खण्ड-233, अंक-6
सोमवार, 5 भाद्रपद, शक संवत् 1884
(27 अगस्त, 1962 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 233 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९६२

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	७२७–७३१
प्रश्नोत्तर	७३१–७३४
श्री रामलखन वकील के प्रश्नों के उत्तर में शोध	७३४
प्रश्नोत्तर (जारी)	७३४–७४८
कार्य-स्थगन प्रस्ताव तथा नियम ५२ के अन्तर्गत सूचनाएं ..	७४८–७४९
प्रदेश में बाढ़ से उत्पन्न परिस्थिति के संबंध में कतिपय सदस्यों द्वारा दी गई सूचनाओं पर नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य ..	७४९–७७६
जिला झांसी के ग्राम घौरा में पी० ए० सी० के सिपाहियों द्वारा एक व्यक्ति के गोली मारे जाने के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य ..	७७६–७८०
मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पर पुलिस द्वारा विद्यार्थियों पर लाठी चार्ज तथा गोली चलाने के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य	७८०–७८५
विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, १९५८ में संशोधन (स्वीकृत)	७८५
सदन में पुलिस को न बुलाने की प्रार्थना	७८६
उत्तर प्रदेश (नागर क्षेत्र) भूमि और भवन-कर विधेयक, १९६२ (जारी)	७८६–८१५
सदन को एक सप्ताह के लिये स्थगित करने के संबंध में प्रस्ताव (स्वीकृत)	८१५–८१६
उत्तर प्रदेश (नागर क्षेत्र) भूमि और भवन-कर विधेयक, १९६२ (जारी)	८१६–८१७
विभिन्न समितियों के निर्वाचन-कार्यक्रम में परिवर्तन की सूचना ..	८१७
उत्तर प्रदेश (नागर क्षेत्र) भूमि और भवन-कर विधेयक, १९६२ (जारी)	८१८–८१९
जिला गोरखपुर में बर्डघाट पुल पर किये गये खर्च के सम्बन्ध में नियम ५० के अन्तर्गत विवाद	८१९–८२७
नत्थियां	८२८–८३२

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, २७ अगस्त, १९६२

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदनमोहन वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—३४७

अच्छैबरसिंह, श्री
अखंडप्रतापसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, चौधरी
अमजद अली, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधनारायणप्रतापसिंह, श्री
अवधेशकुमार, सिनहा, श्री
अष्टभुजा श्री
अहमद बख्श, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
ईश्वरशरण,श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उल्फत सिंह, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ओंकारनाथद्विवेदी, श्री
कंधईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलासिंह यादव, श्री
कलारानी मिश्रा, श्रीमती
कल्पनाथसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री(उपनाम छुन्नन गु)
कल्याण राय, श्री
काशीनाथबहादुरपाल, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किश्वर आरा, बेगम
कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णा, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केशरीप्रसाद पाण्डेय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गंगासिंह विष्ट, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल, श्री
गयाप्रसाद, श्री (वाराणसी)
गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री
गिरधारीलाल, श्री (बिजनौर)
गिरवरप्रसाद, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती

गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम,श्री
चन्दनसिंह, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चुन्नीलाल, श्री
चैतन्यराजसिंह, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगदीशनाराण सिनहा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट, श्री
जगदीश शरण रस्तोगी, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमादारसिंह, श्री
जमीलुर्रहमान किदवाई, श्री
जयगोपाल, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलील अब्बासी, काजी
जसरामसिंह, श्री
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम वक्कन)
जुगलकिशोर, श्री
जेड० ए० अहमद, श्री
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखंडेराय, श्री
झिलमिट राम, श्री
टम्बेश्वरीप्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तमेश्वरप्रसाद, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेजनारायण त्रिवेदी, श्री
तेजसिंह, श्री
त्रेपनसिंह, श्री
दयाराम शाक्य, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीनदयाल करवरिया, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवीदत्त, श्री
देवेंद्रसिंह, श्री
द्विजेंद्रनारायण ,श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेवसिंह, श्री
नरसिंहनारायण पांडेय, श्री
नरेंद्रबहादुरसिंह, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवरंगसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पांडेय, श्री
नियाज हसन खान, श्री
नियामतुल्ला अन्सारी, श्री
नैनसिंह, श्री
नौनिहालसिंह चौधरी, श्री
नौरंगलाल, श्री
पंचमदास, श्री
परमाई, श्री
पशुपतिनाथसरनसिंह, श्री
पातीराम अहरवार, श्री
पिताईराम, श्री
पीतमसिंह प्रधान, श्री
पुरुषोत्तमलाल बधवार, श्री (राजाजी)
पूरनलाल, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रेमसिंह, श्री
प्रेम सुन्दर, श्री
फूलसिंह, श्री
बंकटासिंह, श्री (टुन्नूसिंह)
बंशीधर पांडेय, श्री

बंशीधर मिश्र, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बनवारीलाल विप्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बब्बनसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवानसिंह, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बसन्तसिंह, श्री
बाबूलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालोजी अग्रवाल, श्री
बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजभूषणशरण, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजराजसिंह, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वर सहाय, श्री
बेचनराम, श्री
बेदराम, श्री
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवान सहाय, श्री
भानुप्रतापसिंह, श्री
भीखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
मंगल, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगलप्रसाद आर्य, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मन्नालाल, श्री
महमूद हसनखां, श्री
महरामसिंह, श्री
महादेव, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुलतानसिंह, श्री
महम्मद रफी खां, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेघनाथसिंह शिशोदिया, श्री
मेवालाल, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनलाल अहिरवार, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह, श्री
यशपाल, श्री
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीर सहाय कैथवार, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतीपाल, श्री
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवेंद्रप्रतापसिंह, श्री
राजनाथ सिंह, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण मिश्र, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजाराम, श्री
राजेंद्रकिशोरी, श्रीमती
राजेंद्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
राधेश्याम शर्मा, श्री
रामआधार कनौजिया, श्री
रामआधीनसिंह, श्री

रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध, श्री
रामआसरे, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचन्द्रसिंह, श्री
रामचरण शाह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरती, श्रीमती
रामलखन वकील, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामलाल, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामेश्वरनाथ, श्री (उपनाम चौबे)
रियासत हुसैन, श्री
रुकुमसिंह राठोर, कुंवर
रुद्रप्रतापसिंह, कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लखीसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (जौनपुर)
लालबहादुरसिंह, श्री (वाराणसी)
लोकपालसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
विक्रमशाह, राजा
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयकुमार, श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकर सिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विद्यावती, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशनलाल यादव, श्री
विश्वनाथ पांडेय 'प्रणव', श्री
विश्वनाथप्रसाद, श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
वैजनाथ पांडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शशिभूषणसिंह, श्री
शांतिचन्द, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदानन्द, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवराजसिंह, श्री
शिवेंद्रप्रताप, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शुगनचन्द शर्मा, श्री
श्यामसुन्दर, श्री
श्रद्धादेवी, कुमारी
श्रीनिवास, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
श्रीराम, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
सत्यदेव, श्री
सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सरदारसिंह, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सालिग्राम जैसवाल, श्री
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखदेवप्रसाद, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरजन, श्री
सुरेंद्रदत्त बाजपेयी, श्री

सूरजपालसिंह, श्री
सुरेंद्रविक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सेवाराम, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरीदत्त कांडपाल, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेतराम सिंह, श्री
हेमराज, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री
होरीलाल यादव, श्री,

नोट :—वन मंत्री, श्री अलगू राय शास्त्री भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

सोमवार, २७ अगस्त, १९६२

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

कोयला लाने के लिये राज्य के जल मार्गों का उपयोग करने पर परामर्श

**१—श्री कल्पनार्थसिंह (जिला गोरखपुर) श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़) तथा श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश के जल मार्गों द्वारा कोयला ढोने या अन्य यातायात की व्यवस्था के लिये केन्द्रीय सरकार से कोई बातचीत चल रही है। यदि हां, तो क्या सरकार उक्त विवरण सदन की मेज पर रखने की व्यवस्था करेगी ?

रसद उप-मन्त्री (श्री बलदेव सिंह आर्य)—इस समय भारत सरकार से नदियों द्वारा प्रदेश में कोयला लाने की बातचीत चल रही है। कुछ मास हुये भारत सरकार ने गंगा, घाघरा नदियों द्वारा प्रदेश में कोयला लाने की संभावनाओं की खोज करने हेतु एक सर्वे टीम, इलाहाबाद, वाराणसी और बरहज भेजा था। इस टीम की रिपोर्ट अभी तक राज्य सरकार को भारत सरकार ने उपलब्ध नहीं की है। भारत सरकार के ही निदेश पर राज्य सरकार ने भी नदियों द्वारा कोयले के यातायात के साधनों की खोज की थी। २२ जिलों के जिलाधीशों से ३० टन के बजरों की उपलब्धि, उनका किराया, नाविकों की उपलब्धि, उनकी मजदूरी, कोल डम्प हेतु बारहों महीने उपयोग में आ सकने वाले घाटों आदि संबंधी सूचनायें मंगाई गई थीं। उनके अवलोकन से विदित हुआ कि यह योजना बजरों की अल्पता, नाविकों की ऊंची मजदूरी के कारण व्यवहार में लाई नहीं जा सकती और इस बात की सूचना भारत सरकार को दे दी गई है।

भारत सरकार इस समय एक नवीन योजना पर विचार कर रही है, इसके अन्तर्गत बंगाल, बिहार के कोयला खदानों से कोयला सड़क द्वारा मुकामा घाट लाया जायगा। और वहां से गंगा नदी द्वारा इस प्रदेश में लाया जायगा। इस उद्देश्य से भारत सरकार १७, १८ अगस्त, १९६२ को एक मीटिंग पटना में कर रही है। इस मीटिंग में भारत सरकार उत्तर प्रदेश तथा बिहार के राज्य सरकारों के प्रतिनिधि, दामोदर वैली, कार्पोरेशन के एक विशेषज्ञ और एक इंडियन नेवी के विशेषज्ञ भाग ले रहे हैं। जब तक इस मीटिंग की रिपोर्ट और उस पर भारत सरकार का निर्णय राज्य सरकार को उपलब्ध न हो जाय आगे कुछ बताया नहीं जा सकता।

श्री कल्पनार्थसिंह—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि उक्त योजना जो भारत सरकार के निर्देश पर चल रही है, जिसका सर्वेक्षण हुआ है, उसमें भारत सरकार ने कौन-कौन सी मुख्य बातें प्रांतीय सरकार को लिखी थीं ?

रसद मन्त्री (श्री जगमोहनसिंह नेगी)---यही कि नावें उस टनेज की उपलब्ध हो सकती हैं और उन पर क्या खर्चा होगा और किन-किन जिलों में यह काम किया जा सकता है।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि १७,१८ अगस्त को जो बैठक हुई थी उसमें प्रदेश के कौन अधिकारी शामिल थे और वहां क्या निर्णय लिये गये?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---उसमें सेक्रेटेरियट के अधिकारी गये थे।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या निर्णय लिये गये यह तो बतायें?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---क्या निर्णय लिये गये, उसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी।

श्री गेंदासिंह---मंत्री जी इस उत्तर को पढ़ने की कृपा करेंगे जिसमें लिखा है १७, १८ अगस्त, १९६२ को एक मीटिंग पटना में कर रही है। तो इसको पढ़ लें, कर रही है या हो गई?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---१७,१८ को मीटिंग थी और इसकी अखबारों में भी चर्चा हुई कि मीटिंग हुई।

श्री गेंदासिंह---मैं शायद मंत्री जी का ध्यान नहीं दिला सका। मैं यह कह रहा हूं कि उत्तर में जो लिखा है कि मीटिंग कर रही है, मालूम ऐसा होता है कि यह मीटिंग होने के २,४ रोज पहले ही उत्तर लिख दिया गया था। तो क्या मीटिंग हो गई? अगर हो गई, तो उसमें क्या हुआ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---यह प्रश्न पहले रोज के लिये रखे गये थे उस रोज शायद माननीय सदस्य उपस्थित नहीं थे, यह मीटिंग से पहले के उत्तर हैं।

श्री गेंदासिंह---इस प्रश्न में जलमार्ग ही था या अन्य यातायात के संबंध में भी प्रश्न पूछे गये हैं और उनका भी कोई सर्वेक्षण किया गया है और उसके संबंध में कोई बात हुई है तो क्या?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---इसमें तो केवल नदियों से लाने का ही प्रश्न था। वैसे हम अपनी तरफ से केन्द्रीय सरकार के निर्देश पर इतना कर लेते हैं कि बरौनी तक उसे लाते हैं। फिर इसके बाद सड़क से मोटर ट्रांसपोर्ट कर लेते हैं।

श्री गेंदासिंह---अध्यक्ष महोदय, एक बात आप साफ कर दें कि अन्य यातायात भी इसमें लिखे गये हैं। इस वक्त तक उन पर कोई विचार न किया गया हो तो ठीक है। उन पर आगे विचार किया जाय, लेकिन यह आवश्यक है कि अन्य यातायात की भी सुविधा प्रदान करनी चाहिये और उसमें सरकार ने शायद कोई टेंडर भी मांगा था। मोटर रोड से कोयले ले आने में भी कोई प्रोग्रेस हुई हो तो माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---मैंने जो कहा था शायद उस पर ध्यान नहीं दिया। बरौनी तक हम मोटर से लाते हैं। उसके बाद मीटर गेज से पूर्वी जिलों में ले जाते हैं। वहां वैगन्स की कमी नहीं है और काफी कोयला वहां भेज रहे हैं और लोगों ने देखा होगा कि काफी वैगन्स पहले से उस रास्ते से आये हैं।

श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)---जिला अधिकारियों द्वारा उन्होंने इस बात का सर्वेक्षण कराया कि कौन-कौन से रास्ते हो सकते हैं जिनसे कोयला लाया जा सकता है और सर्वेक्षण के बाद इस नतीजे पर पहुंचे कि इन योजनाओं को लागू नहीं किया जा सकता है। तो मैं जानना चाहूंगा कि कौन से कारण हैं जिनकी वजह से जलमार्ग से कोयला लाने में रुकावट है, नाव की कमी है या खर्चा अधिक हो जायगा?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—वाराणसी में ३० टन के ३६ बजड़े हैं और ६०० से ६०० रुपया प्रति बजड़ा फी महीना किराया पड़ेगा। मिर्जापुर में कुल २० हैं और ६० रुपया प्रति बजड़ा किराया पड़ेगा। और आजमगढ़ में केवल २ बजड़े हैं जो ६०० रुपये प्रति बजड़ा हायर चार्जेज फी महीना लेंगे। इस तरह फतेहपुर, इलाहाबाद, औराई, जालौन, बनारस, मिर्जापुर, वगैरह में बहुत कम बजड़े हैं छोटे किस्म के और उन पर भी किराया इतना ज्यादा है जिससे किराया बहुत मंहगा पड़ेगा।

श्री राजेन्द्रसिंह (जिला एटा)—बरौनी तक मोटर से कोयला ला कर पूर्वी जिलों में जब मीटर गेज से कोयला पहुंचाया जाता है तो आगरा जिले में भी मीटर गेज के वैगन्स के जरिये कोयले भेजने का प्रबन्ध सरकार करेगी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—जहां तक मीटर गेज जा सकती है और जितने वैगन्स अवेलेबिल होंगे उनके जरिये कोयला भेजने की हम कोशिश कर रहे हैं।

श्री कल्पनार्थसिंह—नाव से और मोटर से कोयला लाने में प्रति मील कितना किराया पड़ता है और दोनों का अन्तर क्या है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—इसका बारीक हिसाब नहीं लगाया, लेकिन इन के चार्जेज अनइकोनामिक मालूम हुये और यही अन्दाज लगा मोटे तौर से कि रेलवे से बहुत कम पड़ता है और नाव से बहुत ज्यादा पड़ता है।

श्री केदारसिंह—क्या दो चार दिन पहले खाद्य मंत्री और मुख्य मंत्री की एन० ई० रेलवे के सी० ओ० पी० एस० से बात हुई और उन्होंने आश्वाशन दिया कि बड़े पैमाने पर बरौनी से इस तरफ कोयला वह ले आने को तैयार हैं ? अगर ऐसी बात हुई तो क्या बात हुई और सरकार उस संबंध में क्या कर रही है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—उन्होंने यह कहा कि स्लेक सीजन में कोयले की जरूरत नहीं है। सितम्बर, अक्टूबर में वह एक्स्ट्रा गाड़ी दे देंगे और उन गाड़ियों में आगे चल कर कोटे में से फिरकाट देंगे। हम यह कर रहे हैं कि उस समय जितना डम्प कर लें उतना ही अच्छा है। अगर बनारस का कोल डम्प, जिसमें बाक्स टाइप वैगन्स कोयला लावेंगी और जिसके लिये हमने करीब डेढ लाख के करीब रुपया दे दिया है, बन जायगा तो बहुत लाभ होगा क्योंकि बाक्स टाइप वैगन्स २२ टन के बजाय ५५ टन की कैपेसिटी के होते हैं।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—क्या राज्य सरकार को यह जानकारी है कि गाजीपुर और बलिया के जिलाधीश ने सरकार के पास रिप्रेजेंटेशन किया है कि बरौनी से जो कोयला आ रहा है उसका रेट ८० और ८६ पड़ता है, लेकिन बक्स वगैरह में कोयले का रेट ५५–५६ है, अतः बरौनी को छोड़ कर किसी दूसरे स्टेशन से मंगवाने का प्रबन्ध किया जाय।

श्री जगमोहनसिंह नेगी—यह बात सही है कि बरौनी से लाने पर कोयला मंहगा पड़ता है। अब यह भी विचाराधीन है कि सिंगरौली जो मध्य प्रदेश में है वहां भी इन्तजाम किया जा रहा है और एक सड़क बनाने का प्रबन्ध किया जा रहा है जो कि पिपरी स्टेशन तक जायगी। और वैसे कोयला तो सस्ता तभी हो सकता है जब वैगन्स काफी मात्रा में मिलें और मुगलसराय के बाद ब्राड गेज पर जो बाटलनेक है यह टूटे।

श्री रामसुन्दर पांडेय—माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि १७–१८ अगस्त को जो मीटिंग पटना में हुई उसमें क्या तय हुआ और भारत सरकार को क्या लिखा गया है और कब संभावना है उसकी रिपोर्ट आ जाने की ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी —वह मीटिंग भारत सरकार ने ही की थी। उसकी प्रोसीडिंग्स हमारे पास अभी पहुंची नहीं है। जब वह आ जायगी और सदन नोटिस देगा तो हम सूचना देंगे।

श्री रामलखन वकील के प्रश्नों के उत्तर में शोध

स्वायतशासन मंत्री (श्री विचित्र नारायण शर्मा)—अध्यक्ष महोदय २८ अगस्त, १९६१ को श्री रामलखन वकील के तारांकित प्रश्न १३ तथा १५ के उत्तरों में त्रुटि रह गई संशोधित उत्तर संलग्न तालिका में दिये गये हैं।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ८२८–८२९ पर)

प्रश्नो —

तारांकित प्रश्न

लखनऊ महापालिका के रेंट ऐंड कलेक्शन विभाग में गबन

*१–श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि लखनऊ महापालिका के टैक्स डिपार्टमेंट में कोई गबन हुआ है ? यदि हां, तो वह गबन कितने धन का है और उसमें अब तक क्या-क्या कार्यवाही हुई ?

स्वायत शासन मन्त्री के सभा सचिव (श्रीमती तारा अग्रवाल)—जी हाँ। इसकी रिपोर्ट पुलिस में कर दी गई थी और जांच चल रही है। मुख्य नगर अधिकारी ने यह सूचित किया है कि गबन किये हुये धन की पूर्ण धनराशि का पता अभी तक नहीं लग पाया है और यह जांच पूरी होने के उपरान्त ही ज्ञात हो पायगी। इस सम्बन्ध में अब तक दो बिल कलेक्टर तथा एक क्लर्क निलम्बित किये गये हैं और वह न्यायालय से जमानत पर छूटे हुये हैं।

*२–श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या स्वायत्त शासन मंत्री कृपया बतायेंगे कि लखनऊ महापालिका के Rent and Collection विभाग का १९५२ से audit नहीं हुआ है ? यदि हाँ, तो क्यों ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—आडिट नियमानुसार प्रतिवर्ष बराबर होता रहा है।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या माननीय मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि महापालिका के किस विभाग में गबन था और उसकी सूचना मुख्य नगराधिकारी को कब मिली ?

स्वायत शासन मन्त्री (श्री विचित्रनारायण शर्मा)—इसकी सूचना पुलिस को २४ मार्च, १९६१ को कर दी गयी थी। पता तब चला जब कुछ लोगों से तकाजा किया गया मकान के किराये का तो उस समय उन लोगों ने रसीदें दिखायीं।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब मुख्य नगराधिकारी को पता चला उस समय कितने धन का गबन बताया गया था और किस के द्वारा ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—उस समय तो दो, चार आदमियों ने जब रसीदें दिखायी तो पता चला था, लेकिन बाद में जब देखा गया तो धीरे-धीरे पता चला। अब भी यह कहना कठिन है कि जितना गबन किया गया उस सारे धन का पता चला या नहीं।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—जब अभी तक पूरे धन का पता नहीं चला है तो क्या मंत्री महोदय को जांच कमेटी बिठायेंगे जिसमें पूरे धन का पता चल सके कि कितना गोलमाल है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—यह तो आडिट किया जा रहा है और मामला पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया है।

श्री राजेंद्रसिंह—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि अब तक कितने धन के गबन का पता चला है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—श्रीमन्, यह सूचना मेरे पास नहीं है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि पुलिस में क्या रिपोर्ट लिखाई है ? कितने का गबन हुआ है और किन लोगों ने गबन किया है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—श्रीमन्, निवेदन किया कि दो-चार रसीदों से पता चला और मामला पुलिस को दे दिया गया कि एम्बेजिलमेंट का केस है इसकी जांच हो ।

श्री विजयसिंह (जिला जालौन)—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह मामला कलेक्शन विभाग का ही है या किसी और विभाग का भी है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—इसमें हाउस रेंट का भी गबन किया गया है इस तरह से दो जगह पकड़ा गया है ।

श्री राजेन्द्रसिंह—श्रीमन्, मार्च में रिपोर्ट की गई है तो क्या कारण है कि अभी तक पता नहीं चल सका कि कितने का गबन हुआ है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—कुल का पता अभी तक नहीं लग सका है, क्योंकि अभी जांच जारी है ।

श्री राजेन्द्रसिंह—श्रीमन्, मेरा मतलब यह है कि कितने धन के गबन का पता लग चुका है, यह बताया जाय और अगर पता नहीं लगा तो मार्च से अब तक क्या हुआ ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—श्रीमन्, कुल धन के गबन के बारे में मेरे पास सूचना नहीं है ।

श्री विजयपाल सिंह (जिला मुजफ्फनगर)—श्रीमन्, अभी मंत्री जी ने बताया है कि कुछ पया हाउस रेंट का भी है तो इस विभाग का इस वर्ष का आडिट क्या है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—श्रीमन्, आडिट तो थोड़ा-सा होता है इसमें सब चीजें पकड़ में नहीं आती हैं । यदि एक-एक आइटम का आडिट हो तो हर चीज पकड़ में आ सकती है । अभी तक यह होता है कि दो महीने का आडिट कराते हैं । टोटल आडिट का कायदा नहीं है । जरूरत पड़ने पर कराया जाता है ।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या मंत्री जी जाँच के बाद इसकी रिपोर्ट सदन की मेज पर रखेंगे ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—श्रीमन्, जाँच के बाद क्या किया जायगा इसको तो बाद में बताया जायगा । मुकदमा चलने पर जेल हो जायगी तो सूचना दे दूंगा, और कुछ होगा तो बता दूंगा ।

महानगर, लखनऊ में सीवेज पम्पिग स्टेशन बनाने का आयोजन

*३—श्री हिम्मतसिंह (जिला बुलन्दशहर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि लखनऊ महानगर में Sewage Pumping Station बन रहा है ? यदि हां, तो (क) उस पर कितना खर्चा होगा, (ख) वह कब तक बन कर तैयार होगा तथा (ग) क्या महानगर निवासियों ने उक्त पम्प को हटाने की माँग की है ? यदि हाँ, तो उसमें क्या हो रहा है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—जी हाँ ।

(क) लगभग २,६८,१०० रुपये ।

(ख) मई, १९६४ तक पूर्ण होने की आशा है ।

(ग) जी हाँ । महानगर के निवासियों ने यह शंका उठाई है कि पंपिंग स्टेशन के बन जाने से आस-पास के कुओं का पानी दूषित हो जायेगा और सारे क्षेत्र में बदबू फैलेगी । जाँच करने के उपरान्त यह ज्ञात हुआ है कि दोनों शंकायें निराधार हैं क्यों कि सीवेज को एक Water proof concieting shell में इकट्ठा कर कुकरेल के पास सीवेज फार्म में पम्प किया जायगा इससे सीवेज के पानी के सम्पर्क में आने तथा बदबू देने की कोई सम्भावना नहीं है ।

*४—**श्री हिम्मतसिंह** (अनुपस्थित) तथा **श्री रक्षपालसिंह** (जिला फतेहपुर)—[हटा दिया गया ।]

पशुचर भूमि

*५—**श्री कल्याणचन्द मोहिले**—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश में जिलेवार कितनी जमीनें ऐसी हैं जिन्हें सरकार ने जानवरों को चरने हेतु छोड़ रक्खा है तथा उनका प्रबंध सरकार द्वारा होता है ?

वन मन्त्री के सभा-सचिव (श्री हरीदत्त कांडपाल)—वांछित सूचना संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ८३०–८३१ पर)

श्री विजयसिंह—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जालौन जिले में जो भूमि चराई के लिये छोड़ी गई है उसमें किस तरह के जानवर चराये जाते हैं और कुछ चार्ज भी लिया जाता है ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—जो जानवर किसान गाँव में पालते हैं वही चरते हैं और चराई की बाबत सूचना की आवश्यकता होगी ।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो जमीन चराई के लिये छोड़ी गई है और जिसमें जानवर चरते हैं उनका कुछ चार्ज किया जाता है ? यदि हाँ तो किस रेट पर ?

वन मन्त्री (श्री अलगूराय शास्त्री)—श्रीमन्, चराई के चार्जेज के बारे में सूचना तो माँगने पर दी जा सकती है मगर जो चराई के लिये छोड़ी हुई भूमि है, वन विभाग उसके लिये कहीं-कहीं चार्ज करता है ।

जैसे बनारस राज्य के जो वन हैं उनमें गाय, भैंस, बकरी इनके लिये अलग-अलग चराई के रेट्स हैं । यह सूचना इस समय हमारे पास नहीं है, लेकिन जितनी जानकारी है उसके आधार पर मैं कह रहा हूं । इसी तरीके से गूजर लोग हैं जो हिमांचल प्रदेश से, कश्मीर से, अपने पशुओं को लाते हैं उनसे भी नाम मात्र चराई ली जाती है । जो इन चरागाहों के आसपास रहने वाले गाँव के लोग हैं गढ़वाल और कुमायूं वगैरह में, उनके लिये चराई के क्या रेट्स हैं, इसके बारे में कोई जानकारी इस समय हमारे पास नहीं है ।

श्री नरसिंह नारायण पांडेय—क्या वन मंत्री जी इस बात को सूचना मान कर कि गोरखपुर में बाढ़ वगैरह बड़ी जोर से आयी है और वहाँ जंगल में जो कहा जाता है कि चराई के लिये भूमि छोड़ी गयी है, वह ठेकेदारों को नीलाम कर दी गयी है । तो क्या इस साल ऐसी व्यवस्था करेंगे कि जो जमीन छोड़ी गयी है जानवरों के चराने के लिये, उसका ठेकेदारों को दिया गया ठेका कैंसिल किया जाय ?

माल मन्त्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—फ्री ग्रेजिंग की इजाजत दे दी गयी है । सैलाब के मौके पर आजादी से चराने का मौका दे दिया गया है ।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)---क्या माननीय मंत्री जी को जानकारी है कि कुछ चरागाह जो गाँवों में थे उनको वन विभाग ने ले लिया है, तो क्या उन चरागाहों को गाँवों के लिये छोड़ देंगे ?

श्री हरीदत्त कांडपाल---सवाल तो यह था कि सरकार के प्रबंध में जो जमीनें हैं उनम से चराई के लिये कितना छोड़ा गया है । माननीय सदस्य बुलन्दशहर जिले की बाबत पूछते हैं कि वहाँ चराई के लिये कितनी जमीन छोड़ देंगे । तो जो सरकार के प्रबंध में जमीन है, उसी जमीन का सवाल उठ सकता है । बुलन्दशहर जिले में कितनी जमीन छोड़ी गयी है यह इसी सूची में मौजूद है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---माननीय मंत्री जी सदन की जानकारी के लिये क्या बताने की कृपा करेंगे कि सारे प्रदेश में कुल कितनी जमीन चरने के लिये छोड़ दी गयी है ?

श्री हरीदत्त कांडपाल---जिलों में जितनी जमीन छोड़ी गयी है वह सूची में दी गयी है । सब का अलग-अलग दिया हुआ है, उसका टोटल लगाना बाकी है । माननीय सदस्य स्वयं उसका टोटल लगा सकते हैं ।

श्री राजेन्द्रसिंह---क्या माननीय मंत्री इस बात की व्यवस्था करेंगे कि जो विभिन्न जिलों में चराई के लिये जमीन छोड़ी गयी है सरकार द्वारा उसका मेंटिनेंस न करवा कर गाँव सभाओं को हस्तांतरित कर दें ?

श्री अलगूराय शास्त्री---ऐसा करना सरकार के लिये सम्भव नहीं होगा । पशुचर जमीन के ऊपर अनुचित कब्जा होने की सम्भावना हो जाती है ।

श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि बुलन्दशहर के कई गाँवों से इस तरह के आवेदन-पत्र आये हैं कि उनको एक इंच भी जमीन गोचर के लिये नहीं दी गयी है, जैसे सिमरहा, सैलार इत्यादि गाँव हैं ?

श्री अलगूराय शास्त्री---जहाँ तक मुझे मालूम है ऐसा कोई पत्र विभाग के पास आया नहीं है । वन विभाग ने जो गोचर के लिये भूमि छोड़ रखी है उसकी तालिका इसमें दे दी गयी है । प्रश्नकर्ता के पास यह सूची है । माननीय सदस्य के पास वह नहीं है । श्रीमन्, आपके पास भी है । यदि उसकी जानकारी के लिये आप आवश्यक समझें तो यह पूरी सूची पढ़ दी जाय तब माननीय सदस्य को मालूम हो जायगा । उसमें समय लगेगा ।

श्री गेंदासिंह---यह जो जिलेवार सूची है वह सब जिलों की बताना तो मुश्किल होगा और सबका मौजान भी एक जगह नहीं है, लेकिन यह किस आधार पर यह कागजात तैयार किये हैं कि इस जिले में इतनी जमीन चरागाह के लिये है ? क्या यह वाकई जमीन चरागाह के तौर पर उपयोग में आ रही है या सरकारी कागजात में तो चरागाह है और मौके पर वह जमीन जोत ली गई है, ऐसी भी कोई सूचना है ?

श्री हरीदत्त कांडपाल---यह सम्भव हो सकता है । आपका सवाल यह है कि जो जमीन चरागाह के लिये छोड़ी गई है वह सचमुच में चरागाह है या उस पर काश्त हो रही है, तो हमारी निगाह में तो चरागाह है । अगर कहीं नाजायज तरीके से किसी ने काश्त कर ली हो, उसकी सूचना माननीय सदस्य हमें दें तो हम उसको देख लेंगे ।

श्री रामप्यारे (जिला मिर्जापुर)---क्या वन मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जैसे वह चरागाह पर कुछ महसूल लेते हैं तो उसी प्रकार बहुत-सी जगह और खासकर मेरे मिर्जापुर के क्षेत्र में जंगली जानवर आकर किसानों के खेतों को नष्ट कर देते हैं, तो क्या उनको कुछ कम्पेनसेशन देने पर सरकार विचार करेगी, क्योंकि जंगली जानवर उनकी खेती को नष्ट कर देते हैं ?

श्री अध्यक्ष---अब यह आप नया प्रश्न पूछ लीजियेगा ।

तालबेहट क्षेत्र में माफी की लकड़ी का वितरण

*६—**श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी** (जिला झांसी)—क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तालबेहट रेंज (जिला झांसी) में किस गाँव को कितनी लकड़ी माफी की दी जाती है और किस आधार पर तथा कब से ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—तालबेहट रेंज के वनों से विभिन्न ग्रामों को दी जाने वाली माफी की लकड़ी का विवरण संलग्न †सूची में दिया है। यह लकड़ी वन बन्दोबस्त के आधार पर लगभग सन् १९०० से दी जाती है।

*७—**श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी**—क्या वन मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि तालबेहट रेंज (झांसी) से सन् १९५७–५८, १९५८–५९, १९५९–६०, १९६०-६१, में प्रत्येक अलग-अलग वर्ष में किस गाँव के किस व्यक्ति को कितनी लकड़ी माफी की दी गई है और किस आधार पर दी गई ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—सन् १९५७–५८ से लेकर १९६०–६१ तक किसी भी गाँव को माफी की लकड़ी नहीं दी गई, क्योंकि नियम के अनुसार किसी भी गाँव के नम्बरदार का इन्डेन्ट डिवीजनल फारेस्ट आफीसर को नहीं प्राप्त हुआ।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी—क्या माननीय वन मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि यह जो लकड़ी दी जाती थी यह नम्बरदारों के मार्फत गाँव वालों को दी जाती थी, अब चूंकि जमीदारी और नम्बरदारी खत्म हो गई है तो अब यह लकड़ी क्या सरकार गाँव सभाओं के प्रधान के माध्यम से गाँव वालों को उनके इस्तेमाल के लिये देने की कृपा करेगी ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—माननीय सदस्य यदि इस प्रकार का सुझाव दें तो उस पर विचार किया जा सकता है कि नम्बरदारों के बजाय गाँव सभाओं के सभापति उस काम को किया करें।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी—मेरा निवेदन यह है कि चूंकि यह गाँव के निवासियों का हक था, नम्बरदारों के मार्फत लकड़ी उनको मिलती थी और अब नम्बरदारी, जमींदारी खत्म हो गई है तो गाँव वालों का हक न छिने और गाँव सभा के प्रधान के मार्फत वह लकड़ी उनको मिलनी चाहिये। १९ से लेकर १९५७ तक जो हकूक उनको मिले हुये थे वह उनसे न छीनने की कृपा सरकार करेगी ?

श्री अलगूराय शास्त्री—श्रीमन्, जो सूची माननीय सदस्य को उत्तर में दी गई है उसको देखने से स्पष्ट हो जायगा कि जमींदारी उन्मूलन के बाद भी नम्बरदारों के इंडेन्ट करने पर सन् १९५६ तक इस तरह की लकड़ी माँगने पर दी गई है। वह इंडेंट करते रहे हैं और डिस्ट्रिब्यूट करते रहे हैं। किसी किस्म की गड़बड़ी नहीं हुई है। उसके बाद में लकड़ी की माँग कोई नहीं हुई है, कोई इंडेंट प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिये कोई लकड़ी नहीं दी गई है। अब यह बात गोस्वामी जी ने कही है कि जमींदारी प्रथा तो खत्म हो गई, नम्बरदारी रही नहीं है, और गाँव सभाओं का संगठन हो गया है तो यह प्रश्न विचार में लाया जायगा और जल्द से जल्द इसके ऊपर कोई निर्णय हम करेंगे कि कोई इंडेंटिंग एजेंसी उनकी जगह और दूसरी कायम की जाय या क्या किया जाय, बिना एक प्रामाणिक इंडेंटिंग एजेंसी के इस तरह से लकड़ी देना गड़बड़ी ज्यादा पैदा करेगा, उसका दुरुपयोग ज्यादा हो सकता है, सदुपयोग कम होगा। मगर यह बात विचार करने के योग्य है और इस पर हम विचार करेंगे।

---

†छापी नहीं गई।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी—माननीय मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि क्या उनके पास इस बात की जानकारी है कि जब यह जंगल सरकार ने लिये थे उस वक्त गाँव के निवासी जो थे उनके यह हक कायम किये गये थे जमींदारों के माध्यम से और सन् १९५६ तक जो माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि मिलती रही, वह अवैधानिक तरीके से जमींदार वन विभाग के अधिकारियों से मिलकर लकड़ी ले जाते थे? सन् १९५७ में मैं इस सदन का सदस्य हुआ और अधिकारियों से लड़कर इस नाजायज रवैये को बन्द कराया। तब से उनको यह लकड़ी नहीं मिल रही है। तो जो गलत तरीका बन्द कराया गया उससे गांव वालों के हकों को तो खत्म न करने की कृपा माननीय मन्त्री जी करेंगे?

श्री अलगूराय शास्त्री—मैंने यह तो नहीं कहा है कि वह हकूक रोक दिये जायेंगे, बल्कि एक प्रमाणिक एजेंसी नम्बरदारों की जगह कायम की जाय और आप के ही दिये हुए सुझाव के मुताबिक जैसा कि गांव सभाओं के लिये आप ने कहा है, यह कहने पर भी मैं नहीं समझता कि भ्रम के लिये कोई स्थान रह जाता है।

*८—**श्री लखपतराम शर्मा**—[हटा दिया गया।]

१९४२ के आन्दोलन में जेल विभाग के सहयोगी कर्मचारी

*९—**गणेशचन्द्र काछी** (जिला मैनपुरी) तथा **श्री नरोत्तमसिंह** (जिला बदायूं)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि विदेशी सरकार को हटाने के सिलसिले में जो आन्दोलन सन् १९४२ ई० में हुआ था, उसमें जेल विभाग के सरकारी कर्मचारियों ने विदेशी सरकार को हटाने में सहयोग दिया था इसकी कोई लिस्ट तैयार की गई है या नहीं?

कारागार मन्त्री के सभा सचिव (श्री धर्मदत्त वैद्य)—इस प्रकार की कोई लिस्ट तैयार नहीं की गई है।

*१०—**श्री गणेशचन्द्र काछी तथा श्री नरोत्तमसिंह**—यदि हां, तो उसकी प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी?

श्री धर्मदत्त वैद्य—प्रश्न नहीं उठता।

श्री गणेशचन्द्र काछी—सरकार ने कहा कि इस प्रकार की कोई लिस्ट तैयार नहीं की गई है, तो क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि इस प्रकार की नहीं तो किस प्रकार की लिस्ट तैयार की गई है?

श्री धर्मदत्त वैद्य—इस प्रकार की कर्मचारियों की लिस्ट तैयार नहीं की गई है, दूसरे प्रकार की लिस्ट माननीय सदस्य पूछेंगे तो उसका जवाब दिया जायगा।

झांसी नगरपालिका के वाटर वर्क्स सुपरिंटेंडेंट, श्री नन्हूलाल शर्मा के विरुद्ध आरोप

*११—**श्री लखपतराम शर्मा**—क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि झांसी नगरपालिका के वाटर सुपरिंटेन्डेन्ट जो दिनांक २० जुलाई, १९६१ से मुअत्तिल हैं उनके विरुद्ध क्या अभियोग हैं उनके मामले में क्या कार्यवाही हो रही है?

श्रीमती तारा अग्रवाल—झांसी नगरपालिका के स्थानापन्न वाटर वर्क्स सुपरिन्टेन्डेन्ट श्री नन्हूलाल शर्मा के विरुद्ध एडवान्स एकाउन्ट का हिसाब न देने तथा ग्वालियर से सरकारी माल आने पर उसे रेलवे से छुड़ा कर नगरपालिका के स्टाक में न जमा करने के अभियोग हैं। सारे सम्बन्धित पत्रादि पुलिस को सौंप दिये गये हैं तथा पुलिस जांच अभी तक जारी है।

*१२—**श्री लखपतराम शर्मा**—क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य नहीं है कि झांसी नगरपालिका में करीब ३ वर्ष से अधिक से कोई वाटर सुपरिन्टेन्डेन्ट जो क्वालीफाइड हो कार्य नहीं कर रहा है, बल्कि वाटर सुपरिन्टेन्डेन्ट के स्थान पर अनक्वालीफाइड इन्जन ड्राइवर से वाटर सुपरिन्टेन्डेन्ट का कार्य कराया जा रहा है ? जिसके कारण नगर की जनता को पानी बिना फिल्टर व बहुत कम मात्रा में मिल रहा है ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—यह सही है कि झांसी नगरपालिका में ३१ अगस्त, १९६० से कोई भी क्वालीफाइड सुपरिन्टेन्डेन्ट कार्य नहीं कर रहा है और यह कार्य अनक्वालीफाइड इंजन ड्राइवर से लिया जा रहा है। लेकिन यह बात सही नहीं है कि अनक्वालीफाइड सुपरिन्टेन्डेन्ट के कारण जनता को बिना फिल्टर किया हुआ और बहुत कम मात्रा में पानी मिल रहा है।

श्री लखपतराम शर्मा—मेरा प्रश्न यह था कि वाटरवर्क्स सुपरिन्टेन्डेन्ट के ऊपर क्या-क्या अभियोग हैं। उसका उत्तर दिया गया कि स्थानापन्न वाटर वर्क्स सुपरिन्टेन्डेन्ट नन्हूलाल शर्मा ने यह किया। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वाटर वर्क्स सुपरिटेन्डेन्ट जो स्थानापन्न बताये गये हैं और उसके पहले जो सुपरिन्टेन्डेन्ट थे ये दोनों गबन और गोलमाल के अभियोग में मुअत्तल हुए, तो कितने हजार का गबन हुआ और कब से पुलिस जांच कर रही है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—श्रीमन्, यह सही बात है कि यह स्थानापन्न थे और इनको भी पुलिस में दिया गया क्योंकि इन्होंने गबन किया और इसी तरह से जो इसके पहले थे उन्होंने भी कुछ गोलमाल किया था, उनको भी पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया। इस तरह से वह दोनों के दोनों चले गये और इसके बाद तीसरा आदमी अनक्वालीफाइड है, जो इंजन ड्राइवर था, उसके मार्फत काम हो रहा है। दोनों ही केस पुलिस को दे दिये गये हैं, पुलिस जांच कर रही है। ये लोग जमानत पर छूटे हुए हैं, लेकिन मुकदमा पुलिस चलायेगी, यह मेरी सूचना है।

श्री लखपतराम शर्मा—मैंने यह पूछा था कि गबन कितने का था, और किस तरह के अभियोग थे तथा पुलिस कब से जांच कर रही है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—प्रश्न कितने का गबन किया, यह तो है नहीं, जहां तक मैं देख सकता हूं और किस तरह का प्रश्न है बिलकुल उसी के मुताबिक उत्तर दिया गया है। इसमें यह कहीं नहीं है कि इतने रुपये का गबन है। उन्होंने, कुछ सामान आया था, उसे स्टेशन से छुड़ाया, लेकिन उसको जमा नहीं किया, यह एक है और कुछ छोटे-मोटे गोलमाल और हैं।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी (जिला बाराबंकी)—सरकार को मालूम है कि यहां पर एक अरसे से एक ड्राइवर काम कर रहे हैं और कोई क्वालीफाइड सुपरिन्टेन्डेन्ट नियुक्त नहीं है। तो क्या सरकार ने उसकी नियुक्ति के लिये कोई नोटिफिकेशन किया है कि क्वालीफाइड आदमी की जरूरत है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—उसके लिये दो बार एडवर्टाइजमेंट किया। कोई उपयुक्त आदमी मिला नहीं। अभी लास्ट में भी हमारे सामने यह बात आई कि जो आदमी दिया जा रहा है वह बिलकुल 'फुल्ली क्वालिफाइड' नहीं है उसको नियुक्त करने के बारे में हम विचार कर रहे हैं।

श्री लखपतराम शर्मा—मैं यह जानना चाहता हूं कि दीगर रिपोर्ट के अलावा जो आखिरी रिपोर्ट अगस्त के महीने में एल० एस० जी० डिपार्टमेन्ट को दी गई उसमें इस बात की रिपोर्ट की गई है कि जो जल का वहां पर वितरण किया जा रहा है उसमें कीड़े रहते हैं और गन्दगी रहती है वह भी पर्याप्त मात्रा में प्राप्त नहीं है, यह चीज लिख कर दी गई है इस परिस्थिति से झांसी के नागरिकों का जीवन खतरे में है, तो क्या यह सही है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—जो हमारी सूचना है उसके अनुसार पानी कम मात्रा में तो मिलता है, लेकिन अनफिल्टर्ड नहीं मिलता है और इसके लिये वहां के अभियन्ता दोषी नहीं ह। मुख्य अभियन्ता ने यह भी बतलाया है कि बिजली की कमी के कारण पर्याप्त पानी नहीं मिलता है। इसका कारण यह है कि बिजली ५ बजे शाम से ९ बजे रात तक बन्द रहती है। जो उपकरण (यन्त्र) पानी के लिये वहां पर १९५२–५३ में लगे थे वही अब भी जनसंख्या के बढ़ जाने पर भी लगे हुए हैं जो उतना पानी नहीं दे सकते जितना चाहिये। तादाद बढ़ जाने के कारण पानी कम पड़ता है। पानी कम मिलने की शिकायत है। पानी के अनफिल्टर्ड मिलने की शिकायत नहीं है।

श्री लखपतराम शर्मा—मैं यह जानना चाहता हूं कि ९ अगस्त को जो शिकायत की गई है उसमें यह शिकायत है कि झांसी के लोगों का जीवन खतरे में है ?

श्री अध्यक्ष—ऐसी सूचना उनको नहीं मिली है।

श्री लखपतराम शर्मा—मैं तारीख दे रहा हूं।

श्री विचित्रनारायण शर्मा—लखपतराम जी यह गलती कर रहे हैं। अभियन्ता की रिपोर्ट को ही वह सरकार की रिपोर्ट समझ रहे हैं। अभियन्ता जब रिपोर्ट भेजते हैं तभी वह आती है। वह हमारे पास नहीं है।

श्री राजेन्द्रसिंह—वहां के लोगों को इस प्रकार का गन्दा पानी मिल रहा है इस बात को सूचना मानकर इसके बारे में जांच कराने की कृपा सरकार करेगी ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—ऐसी शिकायत लिखकर आनी चाहिये ताकि मैं भूल न जाऊं।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी—यह पानी के सम्बन्ध में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और लोगों के जीवन से इसका बहुत बड़ा सम्बन्ध है जिसकी शिकायत कई बार आयी है। तो क्या माननीय मन्त्री जी वहां पर इस पानी की सप्लाई और पानी के इकट्ठा होने के सम्बन्ध में कोई सर्वेक्षण कराकर जांच कराने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—वह जांच करके ही रिपोर्ट दे रहे हैं।

श्री सन्तसिंह युसूफ (जिला कानपुर)—मैं इस बात को जानता हूं कि वहां पर पानी कम है, तो क्या सरकार ऐसा कुछ विचार करेगी कि यह पानी की कमी दूर हो जाय ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—इसके लिये बहुत बड़ी योजना है। लगभग २ करोड़ रुपये की योजना है जो सरकार चला रही है। वह कार्यान्वित हो जाय तो यह पानी की कमी २२३ दूर हो जायगी।

*१३–१४—श्री शिवचरण (जिला आगरा)—[९वें गुरुवार के लिए प्रश्न २२२–२२३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

बुलन्दशहर जिले की नगरपालिका में कथित गबन

*१५—श्री हिम्मतसिंह (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि ऐसी कोई सूचना इस वर्ष (१९६२) में उसके पास आई है कि जिला बुलन्दशहर की किसी नगरपालिका में गबन है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

*१६—श्री विजयपालसिंह (जिला मुजफ्फरनगर)—[९वें मंगलवार के लिए प्रश्न ७१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*१७-१९—श्री शराफत हुसैन रिजवी (जिला मुरादाबाद)—[हटा दिये गये।]

बवेरू टाउन एरिया कमेटी संगठन के लिये आदेश

*२०—श्री मतोलासिंह (जिला बांदा)— क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कस्बा बवेरू की, जो जिला बांदा के प्रगतिशील व प्रमुख नगरों में है और जहां तहसील व थाना इन्टर कालेज व ब्लाक है, आज तक टाउन एरिया न बनाने का क्या कारण है जबकि उसकी आबादी भी सात हजार है ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—कस्बा बवेरू में अप्रैल, १९६१ में टाउन एरिया की स्थापना कर दी गई थी, किन्तु उस क्षेत्र की १९६१ की जनगणना की मोहल्लेवार संख्या अभी उपलब्ध नहीं है और इस कारण टाउन एरिया कमेटी का संगठन नहीं हो पाया है।

श्री मतोलासिंह—क्या माननीय मन्त्री जी बतलायेंगे कि कब तक यह हो पायेगा ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—आदेश गये हैं कि जल्दी से जल्दी वहां चुनाव करा दिये जायं।

महापालिका यूनियनों की मांगें

*२१—श्री बालोजी अग्रवाल (जिला आगरा)—क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य की महापालिकाओं के कर्मचारियों की यूनियनों द्वारा पिछले दो वर्ष में कर्मचारियों की मांगों के सम्बन्ध में कोई प्रतिवेदन सरकार को प्राप्त हुए है ? यदि हां, तो उन पर सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—अभी सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई ऐसी यूनियन नहीं है, फिर भी जिन यूनियनों के मांग पत्र-प्राप्त हुए उन पर शासन ने सहानुभूतिपूर्वक विचार किया है।

श्री बालोजी अग्रवाल—वह कौन-कौन सी यूनियनें हैं जिन्होंने मांग-पत्र भेजे हैं और उनकी मांगें क्या हैं ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—उनके नाम हैं: कबाल टाउन्स स्वायत्त शासन कर्मचारी संघ, कानपुर, आगरा नगरपालिका कर्मचारी संघ, आगरा, कबाल टाउन्स महापालिका कर्मचारी संघ, कानपुर, स्वायत्त शासन कर्मचारी संघ, उत्तर प्रदेश, सीसामऊ बड़ा चौराहा, कानपुर, उत्तर प्रदेश हरिजन मजदूर सेवक संघ, वाराणसी, कारपोरेशन सप्लाई यूनियन, लखनऊ, मेहतर मजदूर संघ, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश स्वायत्त शासन कर्मचारी संघ, चेतगंज, वाराणसी।

श्री बालोजी अग्रवाल—मैंने यह भी पूछा था कि उनकी मांगें क्या हैं ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—मान्यवर, उनकी अलग-अलग मांगें हैं। एक मांग पेंशन के सम्बन्ध में है, मेहतरों की मांगें दूसरी किस्म की हैं। इसके अतिरिक्त उनकी मांग है कि जिस तरह की चिकित्सा अफसरों को मिलती है वह उनको मिले। शिक्षा की सुविधा उनको मिले, यह भी मांग है। इस तरह की और अलग-अलग यूनियन्स की अलग-अलग मांगें हैं।

श्री बालोजी अग्रवाल—क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इतनी लम्बी लिस्ट में से कौन-सी वे मांगें हैं जिनको उन्होंने स्वीकार किया है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—एक सप्ताह में एक दिन की छुट्टी की मांग स्वीकार की गयी है। बच्चियां जितनी दे सकते हैं उसके आदेश दे दिये गये हैं। पेंशन का जहां तक सवाल है उसके लिये हम कोई आदेश नहीं दे सके चूंकि इन महापालिकाओं और नगरपालिकाओं की आर्थिक अवस्था ठीक नहीं है।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—क्या माननीय मन्त्री जी बतलायेंगे कि उनकी मांगें जो शिक्षा तथा चिकित्सा की सुविधा के सम्बन्ध में हैं, उन पर सरकार विचार कर के कुछ सहायता करने का निश्चय किये है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—श्रीमन्, जहां तक सरकार के मदद करने की बात है वह प्रश्न उठता नहीं। नगरपालिकायें और महापालिकायें कितना दे सकेंगी, यह उनकी आर्थिक अवस्था पर निर्भर करता है।

श्री चन्द्रजीत यादव—कुछ यूनियन्स ने यह भी शिकायत की है कि सरकार ने पिछली बार जो ५ रुपया और फिर ढाई रुपये की वृद्धि की थी वह बहुत सी नगरपालिकाओं ने अपने कर्मचारियों को अभी तक नहीं दी है। उस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—सरकार ने आदेश दे दिया है कि जो नगरपलिकायें अपनी आर्थिक स्थिति को देखते हुए दे सकती हैं उनको देना चाहिये। वह वांछनीय है।

श्री बालोजी अग्रवाल—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि ऐसी कौन-सी यूनियन हैं जिन्होंने सरकार को मान्यता प्राप्त करने के लिये प्रार्थना-पत्र दिये हैं और जिनके ऊपर वहाँ के नगरप्रमुख और नगराधिकारी ने मान्यता देने के लिये सिफारिश की है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—जिनकी माँगें आयी थीं उनकी लिस्ट पढ़ दी गयी है।

श्री बालोजी अग्रवाल—सरकारी मान्यता प्राप्त करने के लिये क्या सरकार को प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये हैं ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—इसकी कोई सूचना इस समय नहीं है।

*२२—**श्री बालोजी अग्रवाल**—[१० वें गुरुवार के लिए प्रश्न १२६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

जलकष्ट निवारणार्थ आगरे में हाई पावर कमेटी की नियुक्ति

*२३—**श्री बालोजी अग्रवाल**—क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगें कि आगरा नगर की पानी की समस्या को हल करने के लिये वह कोई हाई पावर कमेटी नियुक्त कर रही है ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—जी हाँ।

श्री बालोजी अग्रवाल—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि इस हाई पावर कमेटी में कौन-कौन व्यक्ति हैं और उन के नाम क्या हैं ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—इसमें मिनिस्ट्री आफ डिफेन्स की तरफ से एक महाशय रहेंगे और सेंट्रल गवर्नमेन्ट की तरफ से भी रखना चाहते हैं। बाकी को अपने यहाँ से रखना चाहते हैं। मुख्य नगराधिकारी वगैरह अभी बाकी इग्जेक्टली कितने आदमी रखे जायेंगे, यह तय नहीं हुआ है। वह तय हो जाने के बाद अंतिम रूप दे दिया जायगा।

फैजाबाद नगरपालिका की आर्थिक स्थिति

*२४—श्री ऊदल (जिला वाराणसी) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि फैजाबाद नगरपालिका ने जप्ती की अवधि और बढ़ा दी गई है ? यदि हाँ, तो क्यों और कितन दिन तक ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—जी हाँ ।

जनहित के लिये उचित और आवश्यक समझ कर अवक्रमण की अवधि को १९ अप्रैल, १९६३ तक बढ़ा दिया गया है ।

*२५—श्री ऊदल (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि नगरपालिका फैजाबाद के ऊपर अब तक सरकार का कितना कर्जा किन-किन मदों में हो गया है और क्या वे रुपये जो कर्जे में दिये गये वे उन कार्यों में खर्च कर दिये गये ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—३१ मार्च, १९६२ तक फैजाबाद नगरपालिका पर १८,९३,६५६ रु० ७८ नये पैसे का ऋण था जिनका ब्यौरा निम्न प्रकार है :

ऋण का कार्य	ऋण की धनराशि	शेष धन जो व्यय न हुआ हो
१	२	३
	रु०	रु०
१ सीमेन्ट की सड़कें निर्माण हेतु ..	७०३०६.७८	..
२ शरणार्थियों के लिये दुकानों का निर्माण ..	६९०३२.००	१७४१२.००
३ अयोध्या जल वितरण योजना ..	८,८५,४००.००	..
४ अयोध्या नाली निर्माण योजना ..	६,४१,४१९.००	..
५ मध्यम वर्ग आय मकान निर्माण योजना ..	२,२७,४९९.००	१०,८२१.००

अयोध्या नाली निर्माण योजना के ऋण में से ८४,००० रुपये व्यय करके एल० एस० जी० ई० डी० द्वारा फ्लश लैट्रिन व यूरीनल अयोध्या व फैजाबाद में जनता के लिये निर्माण कराये गये । शेष उपरोक्त सब ऋण उन्हीं कार्यों में व्यय किये गये जिसके लिये प्राप्त किये गये थे ।

*२६—श्री ऊदल (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उक्त पालिका को अल्प आय वालों को मकान बनाने तथा मेहतर व दूसरे कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देने के संबंध में सन् १९५७ से मार्च, १९६२ तक कितना रुपया सरकार ने अनुदान व कर्ज में दिया ? क्या वह रुपया कामों में खर्च कर दिया गया ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—सन् ५७ से मार्च, १९६२ तक शासन ने नगरपालिका फैजाबाद को मेहतरों के क्वार्टर निर्माण हेतु ९,००० रुपये का अनुदान व कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देने के संबंध में ५,१६,१९० रुपये बतौर राज सहायता (subsidy) के दिया है । महंगाई भत्ते की राज सहायता की कुल धनराशि खर्च कर दी गई है व मेहतरों के क्वार्टर निर्माण हेतु दिया गया अनुदान अभी पूरा खर्च नहीं किया गया है ।

*२७—श्री कल्पनाथ सहं—[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर स्थगित किया गया ।]

*२८–२९—श्री मतोलासिंह—[११ वें मंगलवार के लिये प्रश्न ५६–५७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

*३०—श्री कल्पनाथसिंह—[हटा दिया गया ।]

स्वायत्त शासन कर्मचारियों के लिये पेंशन-कम-प्रावीडेंट फंड स्कीम पर विचार

*३१—श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय—क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में स्वायत्त शासन विभाग में कार्य करने वाले कर्मचारियों हेतु (Pension-cum-Provident Fund Scheme) पेंशन-कम-प्राविडेंट फन्ड स्कीम की योजना प्रदेश में कब से चालू होने जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—यह प्रश्न विचाराधीन है ।

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह प्रश्न कब तक विचाराधीन रहेगा ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—मेरा ख्याल है कि यह सैकड़ों और म्युनिसिपैलिटीज और टाउन एरियाज से संबंध रखता है, इसलिये जब तक उनकी आर्थिक स्थिति ठीक न हो जाय, शायद यह विचाराधीन ही रखेगा ।

*३२—श्री भीखालाल—[९वें मंगलवार के लिये प्रश्न ७९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

सीमेंट का निर्यात रोकने का सुझाव

*३३—श्री भीखालाल—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में प्रति माह कितना सीमेंट तैयार होता है और कितना बाहर से आता है और उसमें से कितना राजकीय कार्यों में प्रयोग किया जाता है और कितना जनता के प्रयोग के लिये दिया जाता है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—प्रदेश में चुर्क फैक्टरी में लगभग २०,००० टन सीमेंट प्रति माह तैयार होती है, इसमें से ९,००० टन चुर्क से इस प्रदेश को मिलती है । लगभग ४०,००० टन सीमेन्ट बाहर से आती है । इस प्रकार प्रदेश को कुल ४९,००० टन प्रति माह प्राप्त होती है । इसमें से राजकीय कार्यों के लिये लगभग १८,००० टन तथा जनता के लिये लगभग ३१,००० टन प्रयोग में आती है ।

श्री भीखालाल—क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि वह केन्द्रीय सरकार से इस किस्म की लिखा-पढ़ी करेंगे कि चुर्क सीमेंट जो बनी हुई है, उससे करीब ११ हजार टन सीमेंट हर माह बाहर भेजा जाता है, वह बाहर को न भेज कर हमारे प्रदेश में ही क्यों नहीं कन्जूम किया जाता है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—यह मैं मानता हूं, पर सेन्ट्रल गवर्नमेंट नहीं मानती है ।

श्री गेंदासिंह—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में जितना सीमेंट हम को बाहर भेजना पड़ता है और जितना प्रदेश में तैयार होता है, उसके खर्च करने से कितनी कमी रह जाती है और कितनी आवश्यकता थी ? क्या सरकार ने इसका अंदाजा लगाया है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—करीबन ४९ हजार मीट्रिक टन है । मेरा ख्याल है आधा है और इतनी और आवश्यकता है, तभी हमारी आवश्यकता की पूर्ति हो सकती है ।

श्री गेंदासिंह—इस आधे सीमेंट की कमी को सरकार ने किस तरह से पूरा करने को सोचा है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—अभी तो अपने प्रदेश में कोई और फैक्टरी लगी नहीं है। यह सोचा जा सकता है कि प्रदेश में और फैक्टरी लगे।

श्री चन्द्रजीत यादव—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार ने यह कारण बताये हैं, जिनकी वजह से ११ हजार टन सीमेंट प्रति माह बाहर जाता है और दूसरे सूबों को। वहाँ का सीमेंट वहाँ न खर्च हो और यहाँ का सीमेंट यहाँ न खर्च हो, इसके क्या कारण बतलाये हैं ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—अगल-अलग फैक्टरीज के अलग-अलग जोन्स हैं। इसलिये हमारे प्रदेश का सीमेंट हमारे यहाँ रहे, यह ठीक नहीं मालूम पड़ता है।

श्री देवदत्त मिश्र (जिला उन्नाव)—क्या माननीय मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि जनता के प्रयोग के लिये जो सीमेंट दिया जाता है, उसकी वितरण प्रणाली में संशोधन करने की आवश्यकता पर विचार करेंगे ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—जिससे जनता को सहूलियत हो, हम उस पर विचार करने के लिये हमेशा तैयार हैं। माननीय सदस्य सुझाव देना चाहें तो दे सकते हैं।

श्री गेंदासिंह—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि यह जो कमी सीमेंट की है, इसके कितने दिनों तक अभी रहने की आशा है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—मेरा अनुमान तो यह है कि २–३ वर्ष तक तो फिलहाल स्थिति ठीक नहीं होगी।

श्री भानुप्रताप सिंह (जिला बस्ती)—चुर्क में जो सीमेंट बनता है उसकी कास्ट आफ प्रोडक्शन में और बिक्री के दाम में कितना अन्तर है ?

श्री अध्यक्ष—यह सवाल अलग से पूछ लीजिये तो अच्छा होगा।

श्री देवदत्त मिश्र—क्या मंत्री जी टाउन के लिये रखकर जिलों में बाकी सीमेंट ब्लाक स्तर पर वितरण करने की व्यवस्था करने की कृपा करेंगे ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—होना तो ऐसा ही चाहिये और कुछ जिलों में ऐसा होता भी है। जहाँ नहीं होता है, मेरा ध्यान आकर्षित करेंगे, तो मैं लिख दूंगा कि ऐसा हो जाय।

श्री भीखालाल—चुर्क का सीमेंट जो ९ हजार टन प्रति माह प्रदेश में सर्फ हो जाता है उसमें से कितना राजकीय कार्यों में और कितना जनता के लिये दिया जाता है, उसका कोई अनुपात बतायेंगे ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—टोटल बताया कि कितना पब्लिक को और कितना सरकारी कार्यों में खर्च होता है, अलग के आँकड़े नहीं हैं।

*३४–३५—श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय—[१० सितम्बर, १९६२ के लिये स्थगित किये गये।]

*३६–३७—श्री टम्बेश्वरी प्रसाद (जिला सीतापुर)—[१० सितम्बर, १९६२ के लिये स्थगित किये गये।]

तिलहर नगरपालिका की सदस्यता से श्री जफर हुसैन खां को अलग करना

*३८—**श्री भगवानसहाय** (जिला शाहजहाँपुर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या यह बात सही है कि सरकार ने तिलहर नगरपालिका के एक सदस्य श्री जफर हुसेन खां को तिलहर नगरपालिका की सदस्यता से अलग कर दिया है ? यदि हाँ, तो किस आधार पर ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—जी हाँ, क्योंकि उन्होंने तिलहर नगरपालिका के एक सदस्य की हैसियत से अपने पद का इतना घोर दुरुपयोग (Flagrantly abused) किया था कि उनका आगे सदस्य बने रहना जनहित में नहीं था ।

*३९—**श्री भगवानसहाय** (अनुपस्थित)—क्या यह भी सही है कि श्री जफर हुसेन खां तिहलर नगरपालिका के सदस्य को व तिलहर नगरपालिका को इस अलहदगी के Order की प्रतिलिपियाँ नहीं भेजी गईं ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—जी नहीं । श्री जफर हुसेन खां को इस अलहदगी के आदेश की एक प्रति जिलाधीश, शाहजहाँपुर के माध्यम से भेजी गई थी । तिलहर नगरपालिका को उसकी प्रतिलिपि नहीं भेजी गई थी ।

*४०—**श्री भगवानसहाय** (अनुपस्थित)—क्या सरकार इस Order की एक प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने का कृपा करेगी ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—उक्त आदेश की एक प्रतिलिपि संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ८३२ पर)

नगरपालिका फतेहपुर की भूमि

*४१—**श्री रक्षपालसिंह**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि नगरपालिका फतेहपुर के अन्तर्गत आवादी के अतिरिक्त कितनी भूमि नागर क्षेत्र जमींदारी उन्मूलन अधिनियम लागू होने के समय थी और इस समय कितनी भूमि है ?

श्रीमती ताराअग्रवाल—२६८ एकड़ ।

*४२—**श्री रक्षपाल सिंह**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि चकबन्दी के दौरान में उक्त नगरपालिका के ऊपर कितने मुकदमें दायर हुये, वह कितने बीघे भूमि से संबंधित थे और उनमें नगरपालिका की कितनी बीघा भूमि चली गयी ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—अभी फतेहपुर नरपालिका के अन्तर्गत चकबन्दी नहीं हुई है ।

श्री रक्षपालसिंह—दो आँकड़े पूछे गये थे कि पहले कितनी थी और अब कितनी है ? क्या दोनों के लिये यही आँकड़े हैं ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—जी हाँ ।

श्री रक्षपालसिंह—नगरपालिका के अन्तर्गत जो भूमि है, इसके अतिरिक्त और भी कितनी भूमि थी, कितना बीघा है ? और जो मुकदमे चले उसका व्योरा देंगे ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—इसके लिये नोटिस की आवयश्कता है ।

श्री गेंदासिंह—यह जमीन जमींदारी अबालीशन के बाद बढ़ गयी है या घट गयी है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—जमीन तो प्रकृति से न घटती है, न बढ़ती है, लेकिन जैसा कि बताया गया है २६८ एकड़ भूमि उस वक्त थी और इस समय भी है, घटी या बढ़ी, यह ईश्वर जाने ।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी—क्या यह सही है कि जो जमीन जमींदारी अबालीशन के बाद बहुत-सी ऐसी जमीन पर लोगों ने अपना कब्जा कर लिया है, तो इस पर सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—ऐसी सूचना नहीं है ।

अतारांकित प्रश्न

सहारनपुर नगरपालिका का चुनाव कराने की प्रार्थना

१—श्री जयगोपाल (जिला सहारनपुर)—क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वह प्रदेश में नगरपालिका के चुनावों को अक्तूबर में करा रहे हैं ? यदि हाँ, तो सहारनपुर नगरपालिका का भी चुनाव तभी कराया जायगा या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—आम चुनाव की तिथि का अभी अंतिम रूप से कोई निर्णय नहीं हुआ है। सहारनपुर नगरपालिका के चुनाव का प्रश्न अभी नहीं उठता है, क्योंकि उसके कार्यकाल समाप्त होने की तिथि २० फरवरी, १९६३ है ।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव तथा नियम ५२ के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष—कार्य-स्थगन के प्रस्ताव मेरे पास तीन आये हैं। एक माननीय बिपिन बिहारी तिवारी का है और एक माननीय शराफत हुसैन जी का है। इन दोनों को मैंने नियम ५२ के अन्तर्गत स्वीकार किया है। एक इस प्रकार से है कि—

"बरेली जिले की तहसील बहेड़ी के अनलपुर नामक ग्राम में भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव समारोह से संबंधित जलूस पर एक विशेष सम्प्रदाय के द्वारा एकाएक आक्रमण कर दिया गया। संघर्ष के परिणाम स्वरूप ५ व्यक्ति घटनास्थल पर ही मर गये और अनुमानतः ३५ आदमियों को गंभीर चोटें आयीं जिसमें से २० की हालत अत्यन्त चिन्ताजनक है। जनता में इतना आतंक तथा भय फैला हुआ है कि क्षेत्र के सभी नागरिक अपना घरबार छोड़ कर भाग गये हैं।

घटना से सम्पूर्ण क्षेत्र में उत्तेजना तथा साम्प्रदायिक तनाव का वातावरण व्याप्त हो गया है जिसके प्रदेश व्यापी हो जाने की आशंका है। पुलिस शांति स्थापना करने में बिल्कुल असफल रही है।"

दूसरा प्रस्ताव शराफत हुसैन रिजवी का है जो इस प्रकार है—"ग्राम अनलपुर तहसील बहेड़ी जिला बरेली में साम्प्रदायिक दंगे का बहाना करके कमजोर ग्राम वासियों पर सख्त आक्रमण किया गया, जिससे पांच आदमी मरे और २६ घायल हुये हैं। झगड़े को पुलिस द्वारा न रोके जाने और मजलूमों की कोई मदद न होने से गांव में और आस पास सख्त बेचैनी फैल गई है। कमजोर और मजलूम लोग गांव छोड़-छोड़ कर भाग रहें हैं। इस दंगे, मारे जाने और घायल होने तथा असुरक्षा की गंभीर स्थिति पैदा होने से जो असंतोष और विषम स्थिति पैदा हो गई है, उस पर विचार करने के लिये यह सदन आज का कार्य-स्थगित करता है।"

यह दोनों ही प्रस्ताव मैंने माननीय गृह मंत्री जी के पास भेज दिये हैं। वे कब अपना वक्तव्य देंगे ?

माल मन्त्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—३० तारीख को ।

श्री शराफत हुसैन रिजवी (जिला मुरादाबाद)—अध्यक्ष महोदय, जिस विषय पर मैंने कामरोको प्रस्ताव दिया है, उस पर ३ दिन के बजाय कल ही बयान होना चाहिये, क्योंकि वहां की स्थिति बड़ी भयानक हो गयी है ।

श्री हुकुमसिंह विसेन—कल नहीं हो सकता, उसकी डिटेल मंगाने में टाइम लगेगा ।

श्री अध्यक्ष—मैं माननीय उपनेता सदन से यह कहने जा रहा था कि जो आपत्ति माननीय सदस्य ने यहां अभी उठाई, यह ठीक है कि आप अपना वक्तव्य ३० को ही दें, मगर उस संबंध में उचित कार्यवाही शीघ्रातिशीघ्र करें ।

श्री हुकुमसिंह विसेन—वह तो हो ही रही है ।

श्री अध्यक्ष—माननीय नरसिंह नारायण जी ने एक प्रस्ताव बाढ़ के संबंध में दिया है, तो उस पर तो अभी माननीय राजस्व मंत्री जी अपना वक्तव्य देंगे । सब नेताओं से मेरी बात हुई थी और बाढ़ पर विवाद के लिये एक दिन मुकर्रर कर दिया गया है ।

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय (जिला गोरखपुर)—मैं आपके द्वारा, श्रीमन्, कहना चाहता हूं कि गोरखपुर की स्थिति बड़ी भयानक होती जा रही है, वहां पर मिलिटरी भी बुला ली गई है, तिस पर भी सूचना यह मिली है कि बाढ़ को अभी रोका नहीं जा सका है । मेरा निवेदन यह था कि अगर इस संबंध में कोई लेटेस्ट सूचना माननीय मंत्री जी को हो, तो उसको वे दे दें ।

श्री हुकुमसिंह विसेन—हम अभी स्टेटमेंट देने जा रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष—एक विक्टोरिया मिल के संबंध में प्रस्ताव है, उस पर २८ तारीख को बयान होने जा रहा है ।

श्री कैलाश (जिला देवरिया)—एक बाढ़ के संबंध में नियम ५२ का मैंने भी प्रस्ताव दिया था....

श्री अध्यक्ष—आप कृपया बैठिये, उस संबंध में वक्तव्य अभी होगा ।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—श्रीमन्, लखनऊ में शिया-सुन्नी का झगड़ा हो रहा है, उसके संबंध में मैंने एक प्रस्ताव दिया था, अगर उस पर फौरन विचार नहीं हुआ तो स्थिति बिगड़ सकती है ।

श्री अध्यक्ष—आप उस पर अल्पसूचित प्रश्न कर लें ।

प्रदेश में बाढ़ से उत्पन्न परिस्थिति के सम्बन्ध में कतिपय सदस्यों द्वारा दी गई सूचनाओं पर नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

श्री अध्यक्ष—बाढ़ के संबंध में जो लिट्रेचर साइक्लोस्टाइल हुआ है, उसको सदन में बटवा दिया जाय ।

(वक्तव्य सदन में वितरित किया गया ।)

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय (जिला गोरखपुर)—इस तालिका में यह जरूर दिया है कि फलां-फलां जिले में इतनी बाढ़ आई है और इतना नुक्सान हुआ । कुछ का दिया और कुछ का

[श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय]

टाल दिया है है कि वहां बाढ़ ही नहीं आई । लेकिन यह नहीं दिया कि सहायता क्या दी गई । गोरखपुर डिवीजन का मैं जानना चाहता हूं । यह इनकम्प्लीट है । हमेशा अपूर्ण स्टेटमेंट दिया जाता है ।

श्री अध्यक्ष—जो नहीं होगा वह दे दिया जायगा ।

माल मन्त्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—सवाल कीजिये । मैं जवाब देने के लिये तैयार हूं ।

माल मंत्री के सभा सचिव (श्री बृजबिहारी)—अध्यक्ष महोदय, वक्तव्य प्रारम्भ करने के पूर्व मैं उन समस्त परिवारों के प्रति अपनी और अपनी सरकार की सहानुभूति प्रकट करना चाहता हूं जिन्हें बाढ़ से क्षति उठानी पड़ी है । १० अगस्त, सन् ६२ के सदन के माननीय सदस्यों को उस समय तक की प्रदेश की बाढ़ की स्थिति से अवगत कराया जा चुका है । इसके पश्चात् बाढ़ की स्थिति में काफी परिवर्तन हुआ है । इस संबंध में अनेक माननीय सदस्यों ने कामरोको प्रस्ताव और नियम ५२ के अन्तर्गत नोटिस दिये । इनमें से कुछ सदस्यों ने कुछ जिलों की विशेष जानकारी प्राप्त करनी चाही है तथा कुछ ने समस्त प्रदेश की चर्चा की है । जिलेवार बाढ़ का पूर्ण विवरण तथा दो तालिकाओं सदस्यों की मेज पर रखवा दी गई हैं । जिनमें वर्षा की स्थिति तथा बाढ़ संबंधी दी गई सहायता का पूरा विवरण दिया गया है । जहां तक बाढ़ की स्थिति का संबंध है, उसकी सूचना जिलेवार इस प्रकार है:—

मेरठ डिवीजन—जिला देहरादून में १० अगस्त, १९६२ को ६ घंटे तक चन्द्रभागा नदी में और १७ अगस्त को १२ घंटे तक सोनी नदी में बाढ़ रही । २ गांव, २०५ एकड़ भूमि और ५१ व्यक्ति बाढ़ द्वारा प्रभावित हुये । मक्का, धान और ईख की खड़ी फसल को रुपये में १२ नया पैसा भर हानि हुई । किसी प्रकार की सहायता की आवश्यकता नहीं हुई ।

जिला सहारनपुर और मुजफ्फरनगर में बाढ़ नहीं आई ।

जिला मेरठ में बाढ़ नहीं थी । केवल तहसील मवाना, परगना हस्तिनापुर का एक गांव बैला २ जूलाई, १९६२ को गंगा नदी के बढ़ने से एकाएक प्रभावित हुआ । ग्राम बेला में २२ एकड़ भूमि बह गई जिससे १५० व्यक्ति प्रभावित हुये । मकान गिरने से हानि का अनुमान १,३५० रु० का है । प्रभावित व्यक्तियों को अहेतुक सहायता बांटी गई और उन्हें सामान सहित सुरक्षित स्थानों को स्थानान्तरित किया गया ।

जिला बुलन्दशहर में बाढ़ नहीं आई ।

आगरा डिवीजन—अलीगढ़, मथुरा, आगरा और मैनपुरी में बाढ़ नहीं आई । एटा में गंगा नदी में १ से २३ अगस्त तक बाढ़ रही । तहसील अलीगंज में गंगा नदी में पुनः बाढ़ आई, जिससे ३८ ग्राम, २८ ४३२ व्यक्ति प्रभावित हुये और मकान गिरने से १,५०० रुपये की हानि का अनुमान है । तहसील कासगंज के लहरा ग्राम में सड़क के पुल को क्षति हुई । सूचना प्राप्त हुई है कि गंगा नदी पुनः ओरहर एम्बैंकमेंट के करीब तक बढ़ गई है । बाढ़ पीड़ित से मालगुजारी तथा अन्य सरकारी बकाया की वसूली जिलाधीश द्वारा रोक दी गई है । हर प्रकार की संभव सहायता पहुंचाने का प्रबन्ध किया जा रहा है । प्रभावित क्षेत्रों से व्यक्तियों को सुरक्षित स्थानों को हटाया जा रहा है । तहसील अलीगंज में जरूरत मन्द विस्थापितों के बीच १,००० रुपये अहेतुक सहायता के रूप में बांटा जा रहा है ।

रूहेलखंड डिवीजन—बरेली की किसी नदी में बाढ़ नहीं है परन्तु मजरा-ताजपुर, तहसील सदर के मसूदगंज ग्राम के ५१ घर, जो रामगंगा नदी के किनारे स्थित थे, अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त हुए । प्रभावित व्यक्तियों को सुरक्षित स्थानों को हटाया गया । बिजनौर, बदायूं शाहजहांपुर और रामपुर में बाढ़ नहीं आई ।

मुरादाबाद में २७ जलाई से १ अगस्त तक रामगंगा नदी में बाढ़ रही । २४ ग्रामों की ११,५०० एकड़ क्षेफत्रल की भूमि और ६००० व्यक्ति प्रभावित हुए । ५० मकानों को क्षति पहुंची । धान की फसल को कुछ हानि पहुंची । क्षति अनुमानतः १९ प्रतिशत से २५ प्रतिशत तक हुई । पीलीभीत में तहसील पूरनपुर में शारदा, सुलिया, गोमती और खनौर नदियों में बाढ़ आई । १८ गांवों में ९,३४३ एकड़ भूमि और १६९५ व्यक्ति प्रभावित हुए । ५२ मकान क्षतिग्रस्त हुए । २ व्यक्तियों की जानें गई । पूरनपुर से शेरपुर घुंघटी और पीलीभीत को जाने वाली ३ कच्ची सड़कें कई स्थानों पर टूट गईं । शारदा पार के क्षेत्रों के बाढ़ पीड़ित परिवारों को सुरक्षित स्थानों को हटा दिया गया ।

इलाहाबाद डिवीजन---फर्रुखाबाद की किसी भी नदी में बाढ़ नहीं आई किन्तु अधिक वर्षा के कारण खुदागंज और कमालगंज के बीच रेलवे बैंक पुल पर दरार पड़ गई है । गंगा और रामगंगा नदियों ने दो ग्रामों के भागों को काटा । प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों मे हटाया गया । इटावा में कोई बाढ़ नहीं है । कानपुर में अतिवर्षा के कारण २६३ ग्राम प्रभावित हुए । ८४ मकान पूर्णतया क्षतिग्रस्त हुए तथा १,१०१ मकानों को आंशिक क्षति पहुंची । मकान गिरने से २ आदमियों को चोट आई और १ आदमी मरा । कानपुर नगर में जलप्लावन की कोई सूचना नहीं है । पानी जमा होने के कारण १४८ ग्रामों में १३,७८० एकड़ भूमि प्रभावित हुई । बिजली की लाइन में कोई खराबी नहीं हुई । चौबेपुर, गौर चरा के बीच उत्तर पूर्वी रेलमार्ग दो दिन पर्यन्त जलमग्न रहा । सहायतार्थ आवश्यक प्रबंध कर दिया गया है । फतेहपुर जिले की किसी नदी में भी बाढ़ नहीं आई किन्तु अति वर्षा से बिन्दकी तहसील के ३५ ग्रामों में पानी जमा होने के कारण ५,००० एकड़ भूमि और १०,००० व्यक्तियों पर प्रभाव पड़ा । ३८ मकानों को क्षति पहुंची । उन क्षेत्रों में जो एक सप्ताह तक या उससे अधिक तक जलमग्न रहे खरीफ की फसल की क्षति २५ प्रतिशत और ३७ प्रतिशत के बीच तथा ३७ प्रतिशत और ७५ प्रतिशत के बीच बताई गई है । इलाहाबाद में कोई बाढ़ नहीं है ।

झांसी डिवीजन---बांदा, हमीरपुर और जालौन में कोई बाढ़ नहीं आई । झांसी में वर्षा से ५०० व्यक्ति तथा ३७ परिवारों पर असर पड़ा । ८० मकानों को क्षति पहुंची ।

वाराणसी डिवीजन---वाराणसी, मिर्जापुर और गाजीपुर जिलों में बाढ़ नहीं आई । जौनपुर में गोमती और सई नदियां तेजी से बढ़ रही हैं । स्थिति के प्रति पूर्ण सतर्कता है । आंशिक बाढ़ के संबंध में आवश्यक प्रबंध किया जा चुका है । नावें सहायता के कार्य में लगा दी गई हैं । बलिया जिले में घाघरा नदी में ३१ जुलाई से बाढ़ आई है । इसने खतरे के बिन्दु को १८७ फीट पर पार कर दिया है । और इसके १.६ ऊपर तक बढ़ गई है । १३० ग्राम, ३६,१०९ एकड़ भूमि और ५६,३७६ व्यक्ति प्रभावित हुए हैं । १५,६७७ एकड़ भूमि (१५,४६७ छपा हुआ है) और ७१७ ग्रामों के ३,३२,०१२ व्यक्ति निचले भागों में अत्यधिक वर्षा के कारण पानी भर जाने से प्रभावित हुए । तहसील रसरा में ७५ मकानों को क्षति पहुंची । बाढ़ और अत्यधिक वर्षा के कारण खरीफ की फसलों को ८,४४,७६० रुपये की हानि हुई । घाघरा के तट पर सखोतर के निकट रिंग बंद, जिसकी देखभाल ग्रामीण करते हैं, खतरे में है ।

सहायता तथा बचाने के कार्य के संबंध में घाघरा नदी में २३ देशी नावें काम में लगा दी गयी हैं ।

सहायता और बचाव के संबंध में अन्य प्रबंध भी किया जा रहा है ।

गोरखपुर डिवीजन---गोरखपुर---छोटी गंडक, बड़ी गंडक, राप्ती रोहिन, घाघरा सरयू, कुआनों आदि नदियों में ३ अगस्त, १९६२ से बाढ़ है ।

[श्री बृजबिहारी]

रोहिन नदी ३ अगस्त से बढ़ी शुरू हुई और २४ अगस्त से इसमें पानी घटने लगा है । २१ अगस्त को मानीराम नामक स्थान में इस नदी ने २५८ फीट के उच्चतम बाढ़ बिन्दु को पार कर दिया और अब धीरे-धीरे घट रही है ।

राप्ती नदी ३ अगस्त को खतरे के तल से भी ऊपर बढ़ गयी और १२ अगस्त तक बढ़ती गयी । बर्डघाट पर सका तल २४६.०३ फी० था । तत्पश्चात् इसका तल घट गया । परन्तु १८ अगस्त से यह फिर बढ़ना शुरू हुआ और २४ अगस्त तक बढ़ता गया । इसने १९३४ के उच्चतम बाढ़ बिन्दु को २५०.५७ फी० पर पार कर दिया, पर अब यह धीरे-धीरे घटने लगी है । बड़ी गंडक और छोटी गंडक नदियों का तल भी घटने लगा है ।

डोरा के निकट नारायणी नहर में टूट (Cut) के कारण महाराजगंज तहसील के उत्तरी भाग से बहुत पानी का निकास हो गया है । १६४० ग्रामों के ३,८२,६०० निवासी तथा ३,७२,५०० एकड़ भूमि प्रभावित हुई ।

३,५१६ मकानों को क्षति पहुंची और २,०७१ मकान ध्वस्त हुए । मकानों के गिरने से हानि का अनुमान ११,०१,८०० रुपये का है....

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)---माननीय अध्यक्ष महोदय, एक निवेदन करना चाहता हूं। यह जो माननीय मंत्री जी पढ़ रहे हैं इसकी सूचना तो सदन की मेज पर रख ही दी गयी है । मेरा ख्याल है माननीय सदस्यों ने अपने-अपने जिलों के विवरण देख ही लिया होगा । अब माननीय मंत्री आगे इसको न पढ़ें जिससे हम थोड़ा प्रश्न कर सकें ।

श्री बृजबिहारी---इसमें मुझे कुछ आपत्ति नहीं है। मैं पढ़ने से ही बच जाऊंगा ।

श्री अध्यक्ष---अगर सबको यह स्वीकार है, तो मुझे भी कोई आपत्ति नहीं है ।

(किसी ने आपत्ति नहीं की)

*श्री बृजबिहारी---८ जानें गईं जिनमें ४ नाव दुर्घटना के कारण, २ मकान गिरने के कारण और २ आकस्मिक दुर्घटनाओं के कारण ।

इस जिले में नारायणी बंद नामक कोई बंद नहीं है । इस जिले में नारायणी नदी के तट पर एकमात्र बंद छितौनी बंद कहलाता है जिसकी कोई क्षति नहीं हुई है । इस जिले की चारों तहसीलें बाढ़ग्रस्त हैं और बाढ़ का पानी सिसवा बाजार और घुघंली में पहुंच गया है । पंजाब शुगर मिल्स और महाबीर शुगर मिल्स के भीतर भी पानी आ गया था ।

परतावल-कप्तानगंज सड़क और कप्तानगंज-घुघली-सिसवा सड़क पानी के नीचे है । निचलौल, ठूठीवारी सड़क कई स्थलों पर टूट गई है । निचलौल-सिसवा सड़क को क्षति पहुंची । गोरखपुर -फरेंदा सड़क के ऊपर भी पानी है और यह सड़क भी क्षतिग्रस्त है । गोरखपुर से निचलौल, सिसवा और फरेंदा की सड़क द्वारा आवागमन रोक दिया गया है । कनैल मझगांव बंद को भी क्षति पहुंची है । बनराहा बंद और मदना नाला बंद में भी दरारें पड़ गई हैं ।

कप्तानगंज-सिसवा के बीच और चितौनीघाट का रेलगाड़ी का आवागमन रोक दिया गया है ।

मतौले सहरिया गजपुर बंद, कोठा ससर बंद, ढरी बैर्या बंद, चिताहा धुनह बंद, मदना नाला बंद और पौना बंद में दरारें पड़ गई हैं ।

१७,१०० आदमी तथा करीबन १३,२०० पशु सुरक्षित स्थानों को हटा दिये गये हैं । मवेशियों के लिये निःशुल्क चराई के लिये निचलौल, मडवालिया, चौक पाकी लक्ष्मीपुर, फरेंदा

---

*पढ़ा हुआ मान लिया गया ।

और तिकोनिया फौरेस्ट रेंज खोल दिये गये। नरैनी कैनाल बंद के १ मील से ९ मील तक तथा डोसीगढ़ से सहजावां तक रेलवे ट्रैक की घास भी मुफ्त चराई के लिये छोड़ दी गई है।

रोहिण से गोरखपुर शहर की ओर जाने वाले पानी के बहाव को रोकने के लिये कर्मचारी वर्ग रात दिन व्यस्त ह। गोरखपुर शहर की ओर आने वाले पानी के बहाव को रोकने के लिये नौहरीपुर ग्राम के नजदीक एक रिंग बन्द भी बनाया गया है। बरही पर बर्छी पट्टी और डोम रैला के पास डोमरैला बंद के कटाव के रोकने के लिये बल्लियां, बालू के बोरे और आवश्यक सामग्री भेज दी गई है। इलाहाबाद से सेना विभाग की नावें, सहित उनके मल्लाहों के मंगाई गई और उन्हें आवश्यक कार्य पर लगाया गया। सहायता तथा रक्षा कार्यों के लिये ४१४ नावें लगाई गईं।

भुखमरी से कोई मृत्यु नहीं हुई है।

सहायता और बचाव के सभी उपाय किये जा रहे हैं।

३३—बस्ती—घाघरा राप्ती, बान गंगा, बड़ी राप्ती, घोंघी बिलार, तिलार कुन्द्रा, कुआनों, अभी, कठनाइयां और जमौर नदियों में, तथा फजीहतका नाला और संतोषवा नालों में अगस्त २ से १३ तक सदर, बांसी, नौगढ़ और खलीलाबाद तहसीलों में बाढ़ आई।

अति वृष्टि के कारण १८ अगस्त से नदियों में पुनः बाढ़ है और वे बढ़ रही हैं। १७०६ ग्राम, २,८८,९१३ एकड़ भूमि और २,७४,५१८ व्यक्ति प्रभावित हुये। ६९ मकान क्षतिग्रस्त हुए। बाढ़ के सम्बन्ध में ५६ चौकियों (Flood ports) से कार्य किया जा रहा है।

१७६ नावें सहायता और बचाव के कार्य में लगा दी गई हैं।

२३८ व्यक्तियों को सुरक्षित स्थानों को हटा दिया गया है।

२ जानें गईं।

तहसील बस्ती में घाघरा नदी के तट पर सिगोतबा बन्द को क्षति पहुंची है। खलीलाबाद तहसील के सिरसी ग्राम के निकट स्थित कुआनों नदी पर बांध भी टूटा। बांसी और कांकरी के बीच में बांसी–नौगढ़ सड़क में कई स्थलों पर पानी चढ़ आया है।

आवश्यक वस्तुएं, जैसे नमक, मिट्टी का तेल, दियासलाई तथा दूध का पाउडर बांटी गई हैं।

चारे की कमी नहीं है। बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में निःशुल्क चिकित्सा सम्बन्धी सहायता भी की जा रही है।

३४—आजमगढ़—घाघरा नदी में बाढ़ साधारण है और यह बढ़ती जा रही है। इस नदी में पिछले २८ दिनों से बाढ़ है।

सगरी और घोसी तहसीलों के १४० ग्राम, जिनकी जनसंख्या २३,००० और क्षेत्रफल ५२ वर्ग मील है प्रभावित हुए हैं।

तहसील घोसी के ३० ग्राम जो घाघरा और राप्ती नदियों के संगम के निकट हैं, बुरी तरह से प्रभावित हैं।

ग्राम मोलनापुर, जहां ३०० परिवार रह रहे हैं इसके घाघरा नदी के कटाव के कारण बुरी तरह बह जाने का भय है।

सभी व्यक्तियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है।

दोहरीघाट-सूरजपुर-आजमगढ़ सड़क घुटनों तक पानी में डूबी है।

सभी सवारियों का आवागमन बन्द कर दिया गया है।

[श्री बृजबिहारी]

फ़सलों को हानि रुपये में १५ नये पैसे से १०० नये पैसे तक की हुई है जो १,८२,००० रु० के अनुमान की है।

७२ मकान क्षतिग्रस्त हुए जिसमें हानि का अनुमान २५,०००रु० है।

८०० व्यक्ति और ५०० मवेशी सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिये गये हैं। सहायता और बचाव के कार्यों के लिए ३३ नावों को काम में लाया जा रहा है। १९ बाढ़ चौकियां का कार्य कर रही हैं।

आवश्यक वस्तुएं, जैसे चना, तेल आदि और साल की बल्लियां बांटी जा रही हैं।

३५—देवरिया—बड़ी गंडक, छोटी गंडक, बंसी, राप्ती, गुर्रा, भटुआ और घाघरा नदियों में बाढ़ है। तहसील हाता में छोटी गण्डक ने उच्चतम बाढ़ विन्दु को पार कर लिया है।

घाघरा नदी ने २१० फी० पर आपदा बिन्दु को पार कर दिया है। गुर्रा और भटुआ नामक सहायक नदियों के साथ राप्ती नदी भी बाढ़ पर है।

हाटा और पडरौना तहसीलों में बड़ी गंडक में जल कम हुआ है। नगवा खास, पटवनियां, गायघाट, बनकटिया और भेड़ी ग्रामों की आबादी के क्षेत्र राप्ती नदी और उसकी सहायक गुर्रा और भटुआ नदियों के कटाव से पीड़ित हैं। इन ग्रामों में ३५ मकान कटाव में आ गये हैं। प्रभावित व्यक्ति सुरक्षित स्थानों को हटा दिये गये हैं। परसिया खेर ग्राम में ८ मकान कटाव में आ गये हैं। नकेल और अन्य ग्रामों के आबादी क्षेत्रों में कोई कटाव नहीं है, ग्राम केवल के क्षेत्र के कटाव की सूचना मिली है। राप्ती, घाघरा, बड़ी गंडक और बंसी नदियों के कटाव में कुल १५५ घर बह गये हैं।

खड्डा बाजार और छितौनी मिलों में बाढ़ का पानी नहीं आया है। किसी भी बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में चारे की कमी नहीं है और न खाद्यान्नों की कमी है।

नरायनपुर के श्री शिवपूजन सहाय क्षुधा पीड़ित नहीं हैं। १८ अगस्त को उस क्षेत्र में अपने दौरे में जिलाधीश उनसे मिले परन्तु श्री सहाय ने अहेतुक सहायता को इस कारण लेने से अस्वीकार कर दिया कि वह दान है। समझाये जाने पर उन्होंने अहेतुक सहायता लेना स्वीकार किया। तहसील सदर में पुर—गजपुर सड़क टूट गई है। गोरखपुर—कसिया सड़क भी टूट गई है। हाता तहसील में कसिया—हाता सड़क टूट गई है। खड्डा पडरौना सड़क भी टूट गई है।

८४२ गांव, २,५०,७७३ एकड़ भूमि, २,८६,५६४ मनुष्य अब तक प्रभावित हुए हैं।

२,१५३ मकान जिनका अनुमानित मूल्य लगभग २,४२,१०० रु० है क्षतिग्रस्त हुए हैं।

७ मनुष्यों की मृत्यु हुई है।

आवश्यक वस्तुएं जैसे चना, मिट्टी का तेल, नमक इत्यादि प्रभावित लोगों को बांटी गई।

२६७ नावें सहायता कार्य के लिए लगाई गई हैं। सेना से १२ रबड़ की नावें, २ डक नावें, २ दर्जन लाइफ बेल्ट तथा आवश्यक रक्षा दल की मांग की गई है। सेना की कुछ नावें और उनका टेक्निकल स्टाफ तथा सेना के जवान पहुंच गये हैं तथा और पहुंचेंगे। सहायता कार्य जारी है।

कुमायूं डिवीजन

३६—नैनीताल—बाढ़ नहीं है।

३७—अल्मोड़ा—बाढ़ नहीं है परन्तु चम्पावत तहसील अतिवृष्टि से प्रभावित है और अल्मोड़ा रामेश्वर सड़क रुद्ध है इसको खोलने का प्रयत्न जारी है।

३८—गढ़वाल—बाढ़ नहीं है।

३९—टेहरी गढ़वाल—बाढ़ नहीं है।

लखनऊ डिवीजन—

४०—लखनऊ—नदियों के ऊपरी भागों में स्थित जिलों और गोमती नदी के जलग्रहण क्षेत्रों में भारी वर्षा होने के कारण गोमती नदी में पानी का तल १९ अगस्त, १९६२ को ३५९.२ फी० तक बढ़ गया। लखनऊ नगर के नदी तट के निचले क्षेत्र तथा लखनऊ और मलिहाबाद तहसीलों के कुछ ग्राम बाढ़ से प्रभावित हुए।

पिछले सप्ताह में सई नदी भी बढ़ी। अब यह घटने लगी है गोमती में बाढ़ से तहसील सदर के ५२ ग्राम और तहसील मलिहाबाद के १२ ग्राम प्रभावित हुए।

दोनों नदियों की बाढ़ से कुल १५,३४२ एकड़ भूमि प्रभावित हुई। ६ बैल मर गये।

लखनऊ नगर में २९ मकानों के गिरने की सूचना है।

३६ नावें सहायता कार्य में लगा दी गईं और जिला बाढ़ योजना कार्यान्वित की गई।

२,००० मवेशी सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाये गये और उनके चरने के लिये कुकरैल और अन्य सुरक्षित जंगल क्षेत्रों में प्रबन्ध किया गया।

४१—उन्नाव—१८, १९ और २० अगस्त, १९६२ की भारी वर्षा के कारण, सई नदी १९ और २० अगस्त, १९६२ तक दो दिन तक एकाएक बढ़ गई। वर्षा के कारण गंगा नदी भी भराव में आ गई।

चकलबन्सी–औरास–संडीला सड़क एक स्थान पर टूट गई और दो दिन तक उसमें आवागमन रुका रहा।

न फसलों को और न मकान आदि को क्षति होने की सूचना मिली है।

४२—रायबरेली—बाढ़ नहीं आई थी परन्तु भारी वर्षा के कारण सड़कों तथा पुलियों में कुछ दरारें पड़ गई हैं।

४३—सीतापुर—शारदा नदी में २८ जुलाई से बाढ़ आई जो ३ दिन पश्चात् उतर गई। २१ अगस्त से वह फिर बढ़ी हुई है।

सरायन और गोमती में १७ अगस्त की भारी वर्षा के कारण अचानक पानी बढ़ा जो अब उतर गया है।

१०० गांव बाढ़ से और १६७ गांव पानी भर जाने से प्रभावित हुए हैं। १५,०१८ मनुष्य प्रभावित हुए।

९९ मकान क्षतिग्रस्त हुए थे। हानि का अनुमानित मूल्यांकन १५,००० रु० है।

बाढ़ योजना ७ अगस्त से अमल में लाई गई।

मिसरिख और सीतापुर के मध्य संचार साधन अस्त व्यस्त थे तथा सीतापुर से लगभग १० मील दूर वरमीनाल के निकट रेलवे लाइन पानी के अन्दर डूब गई थी।

४४—हरदोई— गोमती, सेंसटा और गरेहरा नाला दो दिन अगस्त १९ और २० को बाढ़ पर थे। रामगंगा नदी का पानी किनारों से ऊपर आ गया। नदियां अब उतर गई हैं।

१२ गांव, २,१५० मनुष्य और ५०० एकड़ भूमि प्रभावित हुई थी।

गृह सम्पदा को ३,२०० रु० की हानि अनुमानित है।

[श्री बृजबिहारी]

तहसील संडीला में फसलों को १८,००० रु० की हानि होने का अनुमान है। सीतापुर-माधोगंज सड़क में दरारें पड़ गई थीं और सीतापुर-हरदोई मार्ग पर गरेसानाला का पुल गिर गया था।

क्षतिग्रस्त परिवारों को आवश्यक वस्तुएं बांटी गईं।

४५---खीरी---अगस्त १४, १९६२ से शारदा और घाघरा नदियों में भारी बाढ़ आई है। सरजू और खडवा नदियां अगस्त १८ से बढ़ी हैं। अब बाढ़ तेजी से घट रही है।

सरजू नदी की बाढ़ सर्वाधिक भयंकर थी।

शारदा नदी की बाढ़ से सम्पूर्ण नगर की चार कालोनी और चम्बलपुर ग्राम बुरी तरह प्रभावित हुआ।

३४ ग्राम, १६,००० एकड़ भूमि और १५,००० व्यक्ति प्रभावित हुए हैं।

२०० घर क्षतिग्रस्त हुए।

मक्का और धान की फसलों को १५ ग्रामों में पूर्ण क्षति और अन्य क्षेत्रों में आंशिक क्षति हुई है।

सम्पूर्ण नगर और खैरिया के बीच सार्वजनिक निर्माण विभाग की सड़क तथा निघासन-बिलरायन सड़क टूट गई है।

प्रभावित ग्रामों के निवासी सुरक्षित स्थानों को हटा दिये गये हैं।

धन और वस्तुओं के रूप में अहेतुक सहायता बांटी गई और चम्बलपुर ग्राम में पानी निकालने के लिये पम्प लगा दिये गये हैं।

फैजाबाद डिवीजन---

४६---फैजाबाद---घाघरा नदी में पानी का तल आपदा-बिन्दु से नीचे है। नदी अब घटाव पर है।

तहसील टांडा के निचले क्षेत्रों के ६४ ग्राम जिसमें खनरिया, औरंगी, देभसा, भंगा आदि है और मंझा में १४,२१० एकड़ भूमि प्रभावित है। फसलें पानी में डूबी हैं।

हानि को न्यूनतम करने और लोगों को प्राणरक्षार्थ सभी प्रकार के उपाय किये जा रहे हैं।

४७---गोंडा---२१ अगस्त से घाघरा में भारी बाढ़ है। पर अब यह घटाव पर है। सरजू नदी बढ़ रहा है परन्तु अभी साधारण बाढ़ बिन्दु से नीचे है। राप्ती नदी बलरामपुर में २४ अगस्त को ३४४.७५ फी० पर बाढ़ बिन्दु तक पहुंची पर अब नदी उतार पर है। १७७ ग्रामों की १,५१,००० एकड़ भूमि और १,२३,००० व्यक्ति प्रभावित हैं। २० मकान, जिनका अनुमानित मूल्य ३,४०० ० है, क्षतिग्रस्त हुए हैं।

तहसील तरबगंज में कुआरी धान और मक्का की फसलों को हुई, हानि का अनुमान १,३८,००० ० है।

नावों की कोई कमी नहीं है।

सहायता के सभी उपाय कर लिये गये हैं।

सभी तहसीलों में प्रभावित व्यक्तियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के कार्य जारी हैं।

४८---बहराइच---घाघरा नदी ने १८ अगस्त को कौड़ियाला घाट में और २१ अगस्त को कटरनियागंज में उच्चतम बाढ़ तल को पार किया।

नदियां अब घटाव पर हैं। परन्तु सरजू और राप्ती नदियों में पानी का भराव पेटे तक ही सीमित रहा।

२४० ग्राम, १,०५,६४४ एकड़ भूमि और ५३,८३८ व्यक्ति बाढ़ से प्रभावित हुए।

यदि पानी बढ़ता गया तो जरवाल कट्टी में पानी के निकट बहराइच–बहरामघाट सड़क के टूट जाने का भय है।

सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों को परिस्थिति को देखते रहने के हेतु सचेत कर दिया गया है।

महत्वपूर्ण स्थानों पर नावों का प्रबन्ध कर दिया गया है।

जरूरतमन्द लोगों में अहेतुक सहायता के वितरणार्थ अधिकारियों के अधिकार में धनराशि रख दी गई है।

४९––सुलतानपुर––बाढ़ नहीं आई।

५०––प्रतापगढ़––बाढ़ नहीं आई।

५१––बाराबंकी––घाघरा नदी जुलाई २७ से अगस्त १ तक और फिर अगस्त ४ से अगस्त ८ तक बढ़ाव पर रही। इसके बाद अगस्त १७ से यह पुनः बाढ़ में है। अगस्त २१ को इसने ३५० फी० पर उच्चतम बाढ़ बिन्दु को पार किया पर अब यह घटाव पर है।

२६१ ग्राम, १,०६,६८८ एकड़ भूमि और ८०,९७२ व्यक्ति प्रभावित हुए हैं। ६२ घर क्षतिग्रस्त हुए या बह गये। घरों के गिरने व बह जाने से हुई क्षति का अनुमान ४,५०० रु० का है।

१८ ग्राम पानी से घिर गये हैं। अहरौली और कोठरी गौरिया ग्रामों के बह जाने का भय है।

अभी तक ६,७६७ व्यक्ति और ५५२ पशुओं को निकाला जा चुका है। रामसनेही घाट और फतेहपुर तहसीलों में फसलों को २५ न० पै० से १०० न० पै० तक क्षति पहुंचने का अनुमान है।

गनेशपुर–चौकाघाट सड़क पर से पानी हट गया है और २ सड़कों को क्षति पहुंची है।

गोमती नदी भी पिछले ४ दिनों से बाढ़ पर है। अब तक इसका जल उच्चतम बाढ़ बिन्दु तक पहुंच गया है।

४० ग्राम, ४,५५० एकड़ भूमि और २,१०४ व्यक्ति प्रभावित हुए हैं। १७ घर क्षतिग्रस्त हुए अथवा बह गये। गृह सम्पत्ति को लगभग ९,००० रु० की क्षति पहुंची।

लोगों को निकालने के लिये ८६ नावें कार्यरत हैं।

असहाय व्यक्तियों में चना, मिट्टी का तेल आदि आवश्यकता की वस्तुएं वितरित की गई हैं।

प्रभावित ग्रामों में टीका लगाने और कीटाणुनाशक औषधियों को छिड़कने का प्रबन्ध किया गया है।

उत्तराखंड डिवीजन––

५२––उत्तरकाशी––बाढ़ की स्थिति नहीं है।

५३––चमोली––सदर तहसील के महरपाला और थाला सतियाना ग्रामों को वर्षा से क्षति पहुंची। महरग्राम में दो मकान गिर गये हैं और भूमि के धसने और पहाड़ के खिसकने के कारण १५ मकानों के गिर जाने का भय है, परन्तु मनुष्यों और पशुओं को कोई हानि नहीं पहुंची।

[श्री बृजबिहारी]

उक्त दोनों ग्रामों के प्रभावित परिवारों को सरकार की ओर से मुफ्त इमारती लकड़ी और अन्य सामान दिया गया है।

सड़कों के टूटने से गाड़ियों का आवागमन बन्द कर दिया गया था।

५४—पिथौरागढ़—वहां बाढ़ का प्रकोप तो नहीं हुआ परन्तु लगातार वर्षा हुई। डिडीहाट तहसील के बोरा गांव, छपराखेता, गराली और खोजा गांव में चट्टान खिसकने की दुर्घटनायें हुईं।

पिथौरागढ़—धारचूला मोटर की सड़क पर बलुआकोट में सीमेंट का पुल, कुल गुड और श्यामकुला के (डी० सी० ए० जी० पी० जी० ब्रिज रोड के पास) ऊपर बने अस्थायी पुल, तथा खुआगड़सेला और डारिना सड़क पर बने लट्ठे के पुल बह गये हैं। पार करने के हेतु अस्थायी प्रबन्ध कर लिये गये हैं।

टनकपुर और पिथौरागढ़ के बीच मोटर की सड़क कई स्थानों पर टूट गई है।

आवागमन बन्द रहा पर अब शुरू हो गया है।

उत्तर प्रदेश में सन् १९६२ में हुई वर्षा का विवरण-पत्र इंचों में आंकड़े

क्रम-सं०	जिले का नाम	अगस्त १९६२ की सामान्य वर्षा	अगस्त, १९६२ की औसत वास्तविक वर्षा		
			प्रथम सप्ताह	द्वितीय सप्ताह	तृतीय सप्ताह
१	२	३	४	५	६
१	मेरठ खंड—				
१	—देहरादून ..	३०.३७	३.२४	११.२८	७.२३
२	—सहारनपुर ..	१०.२६	१.३१	०.६६	४.४१
३	—मुजफ्फरनगर ..	७.८५	०.२०	१.४५	१.९५
४	—मेरठ ..	७.८२	०.०४	०.३४	२.२६
५	—बुलन्दशहर ..	७.६०	शून्य	०.६३	२.६७
	आगरा खंड—				
६	—अलीगढ़ ..	७.५८	०.०६	०.२८	४.५५
७	—मथुरा ..	७.३३	शून्य	०.४०	१.९४
८	—आगरा ..	८.०२	०.२०	१.२०	३.५२
९	—मैनपुरी ..	९.४३	०.१२	०.३२	४.६२
१०	—एटा ..	८.३३	०.३२	०.१०	२.३१

क्रम-सं०	जिले का नाम		अगस्त १९६२ की सामान्य वर्षा	अगस्त, १९६२ की औसत वास्तविक वर्षा		
				प्रथम सप्ताह	द्वितीय सप्ताह	तृतीय सप्ताह
१	२		३	४	५	६
	रुहेलखंड—					
११	—बरेली	..	१२.४९	२.१२	३.५७	२.४९
१२	—बिजनौर	..	१२.०३	०.५०	१.६०	१.९३
१३	—बदायूं		९.११	०.३१	०.८९	२.४०
१४	—मुरादाबाद	..	१०.५९	०.४८	०.९६	०.९९
१५	—शाहजहांपुर	..	१०.७४	२.२६	४.६४	४.६२
१६	—पीलीभीत	..	१३.७३	५.५६	५.८४	४.२८
१७	—रामपुर	..	..	१.२६	३.८२	२.६५
	इलाहाबाद खंड—					
१८	—फर्रुखाबाद	..	९.२५	०.८२	१.९४	६.८९
१९	—इटावा	..	९.७६	०.५६	१.१६	८.८३
२०	—कानपुर	..	१०.०७	७.५८	२.१९	१२.९५
२१	—फतेहपुर	..	१०.५७	५.३६	०.५७	९.६६
२२	—इलाहाबाद	..	१०.९७	२.२१	०.४५	४.०५
	झांसी खंड—					
२३	—बांदा	..	१२.०६	२.१६	१.५२	३.५८
२४	—हमीरपुर	..	१०.७०	१.३४	१.३१	२.२०
२५	—झांसी	..	१०.९८	१.९६	१.९६	०.८५
२६	—जालौन	..	१०.०३	१.२६	१.६०	४.८२
	वाराणसी खंड—					
२७	—वाराणसी	..	१२.०२	५.५२	०.२३	५.३६
२८	—मिर्जापुर	..	१२.९१	४.८२	१.३५	२.७७
२९	—जौनपुर	..	११.३८	३.२५	०.५९	६.५५
३०	—गाजीपुर	..	११.७७	६.७६	०.८६	५.४५
३१	—बलिया	..	११.४०	७.२७	१.२७	६.१७

क्रम-सं०	जिले का नाम	अगस्त १९६२ की सामान्य वर्षा	अगस्त, १९६२ की औसत वास्तविक वर्षा		
			प्रथम सप्ताह	द्वितीय सप्ताह	तृतीय सप्ताह
१	२	३	४	५	६
	गोरखपुर खंड—				
३२	—गोरखपुर ..	१३.२९	७.५७	१२.१४	१२.१४
३३	—बस्ती ..	१२.४५	६.३७	०.७६	६.८९
३४	—आजमगढ़ ..	११.५७	७.४३	१.८३	६.८९
३५	—देवरिया ..	१२.१०	६.३३	२.९०	९.४२
	कुमाऊं खंड—				
३६	—नैनीताल ..	१७.७६	६.६०	३.५७	१०.१७
३७	—अल्मोड़ा ..	१५.६५	१.१९	४.३५	३.६७
३८	—गढ़वाल ..	१५.४०	२.२२	३.४१	४.८६
३९	—टेहरी गढ़वाल ..	..	१.५४	५.०३	४.४५
	लखनऊ खंड—				
४०	—लखनऊ ..	१०.५९	१.४८	०.८७	६.०४
४१	—उन्नाव ..	१०.०६	२.१४	०.३२	१०.४६
४२	—रायबरेली ..	१०.८९	३.८६	०.४१	६.७५
४३	—सीतापुर ..	१०.०६	२.३३	२.४६	६.२९
४४	—हरदोई ..	१०.०८	१.४९	१.१२	६.२४
४५	—खीरी ..	११.८१	६.३५	१.४९	८.४७
	फैजाबाद खंड—				
४६	—फैजाबाद ..	११.३१	३.६८	०.९७	६.४४
४७	—गोंडा ..	१२.९४	५.७२	२.७६	०.६४
४८	—बहराइच ..	१२.२४	४.६९	०.४५	५.५६
४९	—सुल्तानपुर ..	११.८०	३.२८	१.२७	४.५९
५०	—प्रतापगढ़ ..	११.२२	२.२३	०.४३	४.७२
५१	—बाराबंकी ..	११.२१	२.२२	०.९४	६.४२
	उत्तरा खंड—				
५२	—उत्तर काशी		१.३५	१३.२९	२.२०
५३	—पिथौरागढ़		५.७२	५.८०	५.२१
५४	—चमोली		३.२३	३.९०	३.९३

नोट—सामान्य वर्षा के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

उत्तर प्रदेश में बाढ़ में दी गयी सहायता का विवरण २६ अगस्त, १९६२ तक

बाढ़ एवं अधिक वर्षा के सम्बन्ध में दी गई प्रदत्त धनराशि

क्रम-सं०	जिले का नाम	अहेतुक सहायता तथा गृह निर्माण सहायता	अन्य सहायता कार्य	तकावी	सहायता के लिये किये गये उपाय
१	२	३	४	५	६
	मेरठ खंड—	रु०	०	०	
१	—देहरादून	१,०००	१,०००	..	
२	—सहारनपुर	५,०००	५,०००	..	
३	—मुजफ्फरनगर	५,०००	५,०००	..	
४	—मेरठ ..	५,०००	५,०००	..	
५	—बुलन्दशहर	५,०००	५,०००	..	
	आगरा खंड—				
६	—अलीगढ़ ..	५,०००	५,०००	..	
७	—मथुरा ..	५,०००	५,०००	..	
८	—आगरा ..	५,०००	५,०००	..	
९	—मैनपुरी ..	५,०००	५,०००	..	
१०	—एटा ..	५,०००	५,०००	..	बाढ़ से प्रभावित लोगों से मालगुजारी तथा अन्य सरकारी बकाया की वसूली जिलाधीश द्वारा रोक दी गई है।
	रुहेलखंड—				
११	—बरेली ..	५,०००	५,०००	..	
१२	—बिजनौर ..	१,०००	१,०००	..	
१३	—बदायूं ..	५,०००	५,०००	..	
१४	—मुरादाबाद	७,५००	५,०००	..	
१५	—शाहजहांपुर	५,०००	५,०००	..	
१६	—पीलीभीत ..	५,०००	५,०००	..	आवश्यक सामग्री जैसे चना, मिट्टी का तेल इत्यादि असहायों को बांटी गई।
१७	—रामपुर	१,०००	१,०००	..	

बाढ़ एवं अधिक वर्षा के सम्बन्ध में दी गई प्रदत्त धनराशि

क्रम-सं०	जिले का नाम	अहेतुक सहायता तथा गृह निर्माण सहायता	अन्य सहायता कार्य	तकावी	सहायता के लिये किये गये उपाय
१	२	३	४	५	६
		रु०	रु०	रु०	
इलाहाबाद खंड					
१८	फर्रुखाबाद	५,०००	५,०००	..	
१९	इटावा ..	५,०००	५,०००	..	
२०	कानपुर ..	५,०००	५,०००	..	
२१	फतेहपुर ..	१,०००	१,०००	..	
२२	इलाहाबाद ..	५,०००	५,०००	..	
झांसी खंड					
२३	बांदा ..	१,०००	१,०००	..	
२४	हमीरपुर ..	५,०००	५,०००	..	
२५	झांसी ..	५,०००	५,०००	..	
२६	जालौन ..	५,०००	५,०००	..	
वाराणसी खंड					
२७	वाराणसी ..	५,०००	५,०००	..	
२८	मिर्जापुर ..	५,०००	५,०००	..	
२९	जौनपुर ..	५,०००	५,०००	..	
३०	गाजीपुर ..	५,०००	५,०००	..	
३१	बलिया ..	१०,०००	१०,०००	..	
गोरखपुर खंड					
३२	गोरखपुर ..	३,७५,०००	१,०५,०००	११,६०,०००	(१) जरूरतमन्दों को आवश्यक सामग्री बांटी गई। (२) मुफ्त चराई के लिये अनेक वन क्षेत्र खोल दिये गये हैं। रोहिण नदी का पानी के बहाव को

क्रम-सं०	जिले का नाम	बाढ़ एवं अधिक वर्षा के सम्बन्ध में दी गई प्रदत्त धनराशि			सहायता के लिये किये गये उपाय
		अहेतुक सहायता तथा गृह निर्माण सहायता	अन्य सहायता कार्य	तकावी	
१	२	३	४	५	६
					गोरखपुर शहर में आने से रोकने के लिये रात दिन चौकसी रक्खी जा रही है।
					महत्व के स्थानों पर कटाव को रोकने के लिये महत्वपूर्ण स्थानों पर बल्लियों, बालू के बोरे तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं को दे दिया गया है।
					(३) सेना की मांगें भी प्राप्त कर ली गई हैं और सहायता कार्य में लगा दी गई हैं सेना से सहायता की मांग की गई और उसका इस्तेमाल हो रहा है।
३३—बस्ती		२०,०००	१०,०००	१,२५,०००	आवश्यक वस्तुयें जैसे चना, मिट्टी का तेल बांटा जा रहा है। मनुष्यों तथा पशुओं को मुफ्त चिकित्सा सम्बन्धी सहायता दी जा रही है।
३४—आजमगढ़		१३,०००	५,०००	१,२०,०००	आवश्यक सामग्री जैसे चना, मिट्टी का तेल इत्यादि वितरित किया जा रहा है।

क्रम-सं०	जिले का नाम	बाढ़ एवं अधिक वर्षा के सम्बन्ध में दी गई प्रदत्त धनराशि: अहेतुक सहायता तथ गृह निर्माण सहायता	अन्य सहायता कार्य	तकाजी	सहायता के लिये किये गये उपाय
१	२	३	४	५	६
		रु०	रु०	०	
३५	—देवरिया ..	१,००,०००	४३,०००	४,२०,०००	आवश्यक सामग्री जैसे चना, मिट्टी का तेल इत्यादि बांटा गया। सैनिक सहायता मांगी गई है। सेना की नावें और उनके तकनीकी दल की सेवायें इस्तेमाल की जा रही हैं।
कुमाऊं खंड					
३६	—नैनीताल ..	१,०००	१,०००	..	
३७	—अल्मोड़ा ..	१,०००	१,०००	..	
३८	—गढ़वाल ..	१,०००	१,०००	..	
३९	—टेहरी गढ़वाल	१,०००	१,०००	..	
लखनऊ खंड					
४०	—लखनऊ ..	५,०००	५,०००	..	कुकरैल तथा वन क्षेत्र में पशुओं को चराने की व्यवस्था की गई।
४१	—उन्नाव ..	५,०००	५,०००	..	
४२	—रायबरेली ..	५,०००	५,०००	..	
४३	—सीतापुर ..	५,०००	५,०००	..	बाढ़ योजना प्रयोग में लाई गई, सीतापुर में आश्रय गृह खोले गये।
४४	—हरदोई ..	५,०००	५,०००	..	
४५	—खीरी ..	८,०००	५,०००	..	(१) चम्बलपुर गांव में हाथ से चलाने वाले पम्प लगा दिये गये हैं। (२) आवश्यक सहायता दी गई।

क्रम-सं०	जिले का नाम	बाढ़ एवं अधिक वर्षा के सम्बन्ध में दी गई प्रदत्त धनराशि: अहेतुक सहायता तथा गृह निर्माण सहायता	अन्य सहायता कार्य	तकावी	सहायता के लिये किये गये उपाय
१	२	३	४	५	६
	फैजाबाद खंड				
४६	—फैजाबाद ..	५,०००	५,०००	..	जरूरतमन्दों को वितरित करने के लिये अधिकारियों को धन दे दिया गया है। महत्वपूर्ण स्थानों पर समुचित नावों का प्रबन्ध कर दिया गया है।
४७	—गोंडा ..	११,०००	११,०००	..	
४८	—बहराइच ..	१५,०००	५,०००	..	
४९	—सुल्तानपुर	५,०००	५,०००	..	
५०	—प्रतापगढ़ ..	१,०००	१,०००	..	
५१	—बाराबंकी ..	५,०००	५'०००	..	(१) असहायों को आवश्यक सामग्री वितरित की गई। (२) प्रभावित क्षेत्रों में टीके लगाये गये। (३) प्रभावित गांवों के समस्त कुओं में कीटाणुनाशक दवाइयां डाली गईं जिससे स्वच्छ पीने योग्य पानी मिलता रहे।
	उत्तराखंड				
५२	—उत्तर काशी	१,०००	१,०००	..	
५३	—चमोली ..	२,०००	१,०००	..	
५४	—पिठौरागढ़	१,०००	१,०००	..	
	योग ..	७,३३,५००	३,७२,०००	१८,२५,०००	

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—क्या माननीय मंत्री जी आजमगढ़ की रिपोर्ट पर ध्यान देने की कृपा करेंगे, जिसमें कहा गया है कि १४० गांव प्रभावित हुए और उनके लिये ३३ नावों का प्रबंध किया गया है ? मौलना पुर गांव के ३३ परिवारों को क्षति पहुंची है। उस दिन मैं भी वहीं था। वहां के लिये एक भी नाव का प्रबंध नहीं है। क्या इन १४० गांवों को ३३ नावें पर्याप्त हो सकती हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—हमारी सूचना में जितने नावें थी, मैंने बता दी।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—क्या माननीय राजस्व मंत्री जी इसको सूचना मानकर इस गांव के लिये नाव का प्रबंध करेंगे तथा और भी बन्दोबस्त करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—मेरा तो जनरल डायरेक्शन है डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को कि जितनी भी नावें मिल सकें, उनको हायर करके सप्लाई किया जाय।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले में बाढ से कितने गांव प्रभावित हुये हैं और उनमें कुल कितने रुपये वितरित किये गये हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—तमाम जिले की डिटेल आना नामुमकिन है। इसकी सूचना मेरे पास नहीं है। अगर आप डिटेल चाहते हैं तो इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—माननीय मंत्री जी ने जैसा अपने वक्तव्य में कहा है कि जौनपुर में गोमती और सई नदियां तेजी से बढ़ रही हैं, क्या माननीय मंत्री जी सहीं बताने की कृपा करेंगे कि इस समय जौनपुर में गोमती का जल स्तर कितना है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—अभी खतरे से बहुत नीचे है।

श्री राजनारायण मिश्र (जिला कानपुर)—माननीय मंत्री जी ने कानपुर जिले के बारे में अपने वक्तव्य के बारे में कहा है कि अति वर्षा से वहां के २८३ गांव प्रभावित हुए, ८४ गांव पूर्णतया क्षति ग्रस्त हुए तथा ११०१ को आंशिक क्षति पंहुची। मकान गिरने से दो आदिमियों को चोट आई और एक आदमी मरा, लेकिन जहां अन्य जिलों में सरकार द्वारा दी गयी सहायता की सूचना वक्तव्य के अंत में दी गयी है, वहां कानपुर जिले के बारे में सहायता की कोई सूचना नहीं है। कानपुर जिले में जो सहायता दी गयी है उसकी कोई सूचना उनके पास है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जहां-जहां सहायता दी गयी है, उसका जिक्र है और जहां की रिपोर्ट नहीं आयी है वे भी अगर सहायता मांगेंगे तो उन्हें भी सहायता देंगे।

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय—जहां वर्षा के फीगर्स दिये गये हैं वहां माननीय मंत्री जी ने बतलाया है कि गोरखपुर जिले में कुल १३.२९ इंच सामान्य वर्षा हुई, तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि पिछले साल वहां कितनी वर्षा हुई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—पिछले साल की फीगर इस समय हमारे सामने नहीं है, हम तो इस साल में ही हैरान हैं।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी)—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जब झांसी जिले में वर्षा से ५०० व्यक्ति तथा ३७ परिवारों पर असर पड़ा तथा ८० मकानों को क्षति पहुंची और हमीरपुर व जालौन जिले में कोई बाढ़ नहीं आयी, तो उन्हीं जिलों के बराबर, यानी ५,००० रु० की ही सहायता झांसी को भी क्यों दी गयी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जिलाधीशों को पहले से ही ऐडवांस दे दिया गया था कि वे वक्त पर उसे काम में लावें क्योंकि कोई आफत आ जाय तो उस समय मांगने में देर हो जाने की

सम्भावना है । जालौन और हमीरपुर को इसीलिये दे दिया गया था । झांसी से और मांग होने पर हम उसे फौरन मदद देंगे ।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी (जिला बाराबंकी)—जैसा कि माननीय मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में बाराबंकी जिले के सम्बन्ध में बतलाया है कि वहां के अहरौली व कुछ ग्रामों के बह जाने का भय है, क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि सरकार ने उसकी सहायता के लिये क्या क्या कदम उठाया है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—उन्हें सुरक्षित स्थान पर बसाने की कोशिश की जायगी ।

श्री कृष्णा (जिला देवरिया)—श्रीमन जो रिपोर्ट मिली है उससे मालूम होता है कि २४, २५, २६ तक जो गांव छोटी गंडक में ध्वस्त हो गये हैं उन्हीं की इत्तिला इसमें दी गयी है और अभी बहुत से गांव बाकी हैं जिनको हम लोग अपनी आंखों से ढहा हुआ देख आये हैं, तो क्या माननीय मंत्री जी फिर से इन गांवों की सूचना मंगाने की कृपा करेंगे कि अब तक कितने गांव ध्वस्त हुये हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—२६ अगस्त तक की जो इत्तिला है वह मैंने सदन के सामने रख दी, अगर कोई रह गयी हो तो उसको भी मंगवा लेंगे ।

श्री कृष्णा—हम अपनी आंखों से देख कर आये हैं और मैं समझता हूं कि यह रिपोर्ट बिलकुल गलत है, इसलिये फिर से माननीय मंत्री जी इसकी जांच कराने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—आप लिख कर दे दीजिये कि किन-किन गांवों को आप देख कर आये हैं, फिर वे उसकी जांच करा लेंगे ।

श्री हरिनाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)—फैजाबाद की तहसील टांडा के निचले क्षेत्रों के ६४ ग्राम और वहां की १४, २१० एकड़ भूमि जो बाढ़ से प्रभावित है, क्या माननीय मंत्री जी वहां की मालगुजारी व अन्य बकाया रोकने के लिये कोई आदेश देंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जिलाधीश को अधिकार दे दिया गया है कि वे जहां जैसा मुनासिब समझें वसूली स्टे कर दें ।

श्री रामसुन्दर शास्त्री (जिला गाजीपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि नोट में जो लिखा गया है कि बस्ती में बाढ़ की वजह से चारे की कोई कमी नहीं है जबकि वहां पिछले ३ साल में बड़ी भयंकर बाढ़ें आई हैं, तो यह सूचना उन को किस आधार पर है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—केवल इस आधार पर कि मेरे पास कोई रिपोर्ट वहां से चारे की कमी की नहीं आई है ।

श्री जगन्नाथ चौधरी (जिला बलिया)—अभी माननीय मंत्री महोदय ने बताया है कि बलिया जिले में १३० गांव बाढ़ से प्रभावित हुये और वहां केवल २३ नावें भेजी गई हैं तो इतनी कम नावों से उन गांवों को सहायता कैसे हो पायेगी, क्या और सहायता की आवश्यकता वहां बलिया में घाघरा के किनारे नहीं है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जिलाधीश को अधिकार दे दिया गया है कि वह जितनी नाव मुनासिब समझें इकट्ठा करके दें, जितनी उपलब्ध हो सकें और जरूरत हो वह दें और जितनी सहायता की जरूरत होगी वह हम टेलीफोन से फौरन सैंकशन करेंगे अगर हमसे कहा जायगा ।

श्री गयाप्रसाद मेहरोत्रा (जिला सीतापुर)—सीतापुर का जो इससे ब्योरा है उस बिस्वां का जिक्र नहीं है जब कि वहां दस मील तक पानी ही पानी भरा है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—हम जांच करा लेंगे ।

काजी जलील अब्बासी (जिला बस्ती)—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस में जो डुमरियागंज तहसील का जिक्र नहीं है, तो क्या वहां कोई बाढ़ नहीं आई है ? हमारी जानकारी है कि वहां का डाकबंगला, रोडवेज स्टेशन और सड़कें पानी से भर गये हैं ।

श्री हुकुमसिंह विसेन—जिलाधीश ने जब कोई इस तरह की रिपोर्ट नहीं दी तो हम कैसे जान जायं कि वहां की यह हालत है ।

श्री कल्पनार्थसिंह (जिला गोरखपुर)—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जिले में घाघरा नदी पर किढ़िया नाला बांध इस बाढ़ में टूट गया तो उसको बचाने के लिये कौन-कौन से उपाय काम में लाये गये और क्या सहायता वहां पहुंचाई गई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जो सूचना हमें मिली वह बयान में दे दी, इससे ज्यादा हमें नहीं मालूम ।

श्री गिरजाप्रसाद (जिला गोंडा)—गोंडा के लिये कहा जा रहा है कि वहां सरजू बढ़ रही है । लेकिन क्या मंत्री महोदय को यह सूचना है कि इस साल गत वर्ष से अधिक बाढ़ सरजू में आई है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—ऐसी सूचना नहीं मिली, जो मिली वह मैंने बता दिया ।

श्री चैतन्य राजसिंह (जिला अलीगढ़)—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि एटा की जो सूचना प्राप्त हुई है, उसके आधार पर ३८ गांव बाढ़ग्रस्त हैं और २८,४३२ व्यक्ति प्रभावित हुये हैं और मकानों के गिरने से १,५०० रुपये का नुकसान हुआ है, तो मैं जानना चाहता हूं कि उन मकानों की कितनी संख्या है जिनको हानि पहुंची है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—इसके लिये नोटिस की जरूरत है ।

श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)—५,००० रुपया झांसी में बाढ़पीड़ितों को तकसीम कराया गया, इस पर मैं मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करूंगा कि ५०० तो बाढ़ से प्रभावित होने वालों को दिया गया और ४,५०० उनको तकावी का दिया जा रहा है जिन के पास जमीन है और उनको नहीं दिया जा रहा है जिन के पास जमीन नहीं है, लेकिन नुकसान हुआ है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—अगर मेरे मित्र लिख दें तो मुनासिब कार्यवाही कर ली जायगी ।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—इस बयान में यह कहा गया है कि केवल एटा में सरकारी देयों की वसूली रोकी गई है तो क्या अन्य जिलों में जहां भयंकर बाढ़ें आई हैं, वहां पर सरकारी देयों की वसूली को नहीं रोका गया है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—इससे यह नतीजा नहीं निकलता । कलक्टर, एटा ने इस बात को लिखा इसलिये वह बयान में आ गई, बाकी और जिलों के जिलाधीशों को भी अधिकार है कि वह जहां मुनासिब समझें उनको रोक दें । जैसा मैंने कहा, यह उनको अख्तियारात हैं कि जहां-जहां मुनासिब समझें, रोक दें ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—मैंने ७, ८ दिन पहले लिखकर भेजा था कि आजमगढ़ की दो तहसीलों में अभी भी सरकारी देयों की वसूली हो रही है तो मैं जानना चाहता हूं कि जो मैंने लिखा था उसके आधार पर सरकारी वसूली मुल्तवी करने के आदेश गये कि नहीं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—मुझे याद नहीं कब आपने लिखा । यहां एक मर्तबा घोसी का नाम लिया था तो उसके बारे में मैं हमेशा चौकन्ना रहता हूं । तो देखेंगे क्या हो रहा है ।

श्री चन्द्रजीत यादव—इस बात को ध्यान में रखते हुये गोरखपुर डिवीजन में आजमगढ़, बस्ती, देवरिया आदि जिले काफी प्रभावित हुये हैं, हजारों आदमी अपने घरों से हटा कर फ्लड पोस्ट्स पर रखे गये हैं और सूचना में बताया कि चना, दियासलाई आदि बाँटा जा रहा है। तो मंत्री जी जिलाधीशों को आदेश देंगे कि वह जहाँ देखें वसूली हो रही है, उसको अपने अधिकार से बन्द करें और लोगों को तकावी और अन्य प्रकार की सहायता दी जाय ? क्या यह अधिकार जिलाधीशों को दिया जायगा ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—इसमें तो कहने की जरूरत ही नहीं ।

श्री कृष्णा—श्रीमन्, मंत्री जी आपके पुकारने से पहले ही उठ जाते हैं ।

श्री हुकुमसिंह विसेन—मैंने गलती की । मेरा नाम हुकुम सिंह है इस वजह से खड़ा हो जाता हूं ।

श्री गेंदासिंह—माल मंत्री जी की जिम्मेदारी है कि अपनी मालगुजारी वसूल करें, अपने देयों की वसूली करें, साथ ही यह भी जिम्मेदारी है कि अगर किसानों का बकाया कुछ लोगों पर है, मैं गन्ने की कीमत के बारे में कह रहा हूं, २ करोड़ के करीब गोरखपुर और देवरिया के चीनी मिल मालिकों पर बकाया है, तो वह रुपया उन लोगों को दिलाया जाय, जिससे उन बाढ़ग्रस्त लोगों का संकट कुछ हद तक दूर हो ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—राजस्व मंत्री की हैसियत से गन्ने का दाम वसूल करने की जिम्मेदारी मेरी नहीं है । मेरी जिम्मेदारी मालगुजारी वसूल करना, तकावी, छूट, सस्पेंशन करना है । लेकिन बहैसियत मेम्बर गवर्नमेन्ट होने के मैं समझता हूं कि उनके दाम वसूल कराये जायं ।

श्री अध्यक्ष—मैं एक निवेदन करना चाहता हूं । परसों तो इसके ऊपर विवाद होना ही है, सभी नेताओं ने यह स्वीकार कर लिया है । तो क्या ज्यादा अच्छा यह नहीं होगा कि परसों यह सब बातें कहीं जायं क्योंकि दो प्रश्न हैं, एक तो यह प्रश्न है कि कुछ जगहें छूट गई हैं जहाँ बाढ़ आयी है, तो वह बता दें । ज्यादा अच्छा यह होता कि कल आप अल्पसूचित तारांकित प्रश्न के रूप में मुझे दे दें, मैं उसे भेज दूंगा ताकि मंत्री जी उसके संबंध में तैयार हो जायं कि कौन सी जगह छूट गई है । और दूसरा प्रश्न यह है कि क्या-क्या सुविधायें तथा क्या-क्या सहायता उन क्षेत्रों में दी जा रही है जहाँ बाढ़ है । तो उस सम्बन्ध में सुझाव परसों आ सकते हैं । और जो सरकार कर रही है तथा जो उसे करना चाहिये वह परसों मालूम हो जायगा ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—अभी तो सभा सचिव जी ने बयान को पढ़ा तो उस पर सप्लीमेंटरी का मौका बाकी ही है।

श्री अध्यक्ष—मैं कहां कह रहा हूं कि आप सप्लीमेंटरी न करें । आप समझते हैं नहीं, समय लेना ही है तो लें । मैं तो निवेदन कर रहा हूं कि परसों यह बात पूरी हो सकती है। अगर आप शाम तक या कल यह सारी सूचनायें दे दें तो मैं भेज दूंगा ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—७, ८ दिन पहले चिट्ठी भेजी थी, उसकी भी जानकारी नहीं है। अभी अगर सवाल किये जायेंगे तो उसकी जल्दी जानकारी हो जायगी ।

श्री अध्यक्ष—ठीक है ।

श्री कैलाश—श्रीमन्, हम लोगों को सप्लीमेंटरी करने का मौका ही नहीं मिला, प्रार्थना-पत्र भी दिये वे भी मंजूर नहीं हुये । अगर इस तरीके से भी नहीं मालूम होता तो हम लोगों को कैसे जानकारी होगी ? देवरिया जिले में सलेमपुर का जिक्र तक नहीं आया है ।

श्री कृष्णपालसिंह (जिला रायबरेली)—मैं मंत्री जी से अनुरोध करता हूं जो उन्होंने अपनी सूची में हर जिले में कितने इंच पानी बरसा, इसकी सूचना दी है। अगर इसी के साथ यह भी कल सूची में दे सकें कि खतरे के बिन्दु जिले में क्या-क्या हैं और पिछले हफ्ते और इस हफ्ते पानी किस बिन्दु तक पहुंच गया है, तो उससे हम लोगों को परसों बड़ी सुविधा होगी।

श्री हुकुमसिंह विसेन—मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन हर जिले में तो खतरे के बिन्दु होंगे नहीं। राप्ती, छोटी गंडक और बड़ी गंडक, घाघरा में बाढ़ है, लेकिन रायबरेली में गंगा हैं, जिनमें बड़ा प्रकोप नहीं है। तो खतरे का बिन्दु वहाँ में किस बात का दूं ?

श्री अध्यक्ष—जहाँ भी खतरे के बिन्दु का प्रश्न हो उसे तो आप इकट्ठा कर सकते हैं।

श्री हुकुमसिंह विसेन—कल तैयार करा लूंगा, परसों दे दूंगा।

श्री रामकुमार शास्त्री—मैं आपसे, अध्यक्ष महोदय, कुछ निवेदन करना चाहता हूं। बस्ती जिले में बाढ़ का भीषण प्रकोप है लेकिन क्योंकि सुविधायें समाचार पत्र की नहीं हैं जैसी कि गोरखपुर में हैं तो वहाँ की हमें वास्तविक स्थिति नहीं मालूम हो पाती है। माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया वह बिलकुल नामुकम्मल है और उस नामुकम्मल रिपोर्ट के आधार पर वहाँ की ठीक से सहायता नहीं हो सकती है। वहाँ चारे की बहुत कमी है जब कि जवाब में यह आया है कि वहाँ चारे की कोई कमी नहीं है।

श्री हुकुमसिंह विसेन—मेरे पास एक रिपोर्ट मौजूद है। अगर मेरे मित्र को दूसरी बात मालूम है तो वह लिख कर मुझे दे दें ताकि मैं मालूमात कर सकूं कि खामी है और तभी जिलाधीश से भी जवाब मंगा सकूंगा।

श्री अध्यक्ष—अब दो बातें सिर्फ रह जाती हैं। एक तो यह कि बाढ़ कहाँ आई जिसके बारे में यह कहा गया कि नहीं आई या यह हो सकता है कि बाढ़ की जो स्थिति इस समय दिखलाई गयी है वह सही नहीं है, बल्कि एक दूसरी उसकी तस्वीर है। ये दो चीजें हैं।

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय—जो बाढ़ और वर्षा की रिपोर्ट दी गयी है उसके मुताल्लिक मेरा कहना यह है कि पारसाल जितनी वर्षा हुई थी उतनी वर्षा इस साल नहीं हुई है लेकिन बाढ़ की विभीषिका बहुत है। लिहाजा मंत्री महोदय यह रिपोर्ट दें कि पिछले ५ साल में वहाँ बाढ़ की स्थिति क्या थी। मेक्जिमम वर्षा वहाँ कितनी हुई ? मेरा यह स्पेसिफिक सवाल इसलिये है कि यह बाढ़ मनुष्यकृत है, दैवी प्रकोप की वजह से नहीं है। इसलिये गोरखपुर कमिश्नरी के पिछले ५ साल के फीगर्स राजस्व मंत्री मंगवा कर दें। एक ही स्थान पर बाढ़ आने से और ज्यादा वर्षा होने से बाढ़ आती है ऐसी बात तो नहीं है। पानी तो दूसरे स्थान से भी आ सकता है। फिर माल मंत्री को कोई दिक्कत नहीं होगी पिछले ५ साल के फीगर्स बतलाने में।

श्री अध्यक्ष—आपको बतला दिया जाय कि पिछले ५ वर्षों में इतनी वर्षा हुई या नहीं हुई।

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय—यह भी बतला दिया जाय कि नारायणी का जल स्तर पिछले साल कितना था ?

श्री अध्यक्ष—मेरा आपसे निवेदन यह है कि यदि आप कृपा कर लिख कर दे दें कि कौन कौन सी बातें हैं तो सारी बातें बतला दी जायंगी। तीन, चार चीजें हैं उनकी सूचना आप दे सकते हैं, लेकिन अब इस वक्त इस पर बहस करने से समय नष्ट होगा। आप प्रश्न कीजिये।

श्री रामसुन्दर पांडेय—सूचना में एक बात मंत्री जी और जोड़ दें। नदी के किनारे जहाँ बाढ़ आयी है, वहाँ की सूचना तो उनके पास है। लेकिन जहाँ नदी का किनारा नहीं है

और अत्यधिक वर्षा के कारण वाटर लागिंग इतना ज्यादा है कि बिलकुल बरबादी हो गयी है, उसकी भी सूचना इसमें संलग्न कर दें तो काफी जानकारी हो जायगी और सरकार को भी सहूलियत होगी ।

श्री कृष्णा—क्या राजस्व मंत्री जी को यह सूचना है कि २६ तारीख को बन्धु लोहार में नाव के अभाव में एक पीपे की नाव बनायी थी जो उलट गयी थी और वह डूब गया और भटनी मिल पानी में है और वहां के मजदूर रेल के डिब्बे में हैं ? यदि हां, तो मंत्री जी ने इस बात को अपनी रिपोर्ट में क्यों नहीं बताया ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—यह रिपोर्ट मेरे पास नहीं है ।

श्री राजेंद्रसिंह (जिला एटा)—जिला एटा में मंत्री जी ने बताया कि ५,००० रुपये की सहायता दी गयी है और तहसील अलीगंज को केवल १ हजार रुपया ही मिला है । तो मैं यह जानना चाहता हूं कि बाकी ४,००० रुपया कहां गया जबकि बाढ़ केवल अलीगंज तहसील में ही आयी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जिलाधीश जरूरत के मुताबिक खर्च करते हैं जो उनके डिस्पोजल पर रकम होती है उसमें से ।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी—श्रीमन्, मेरा कहना यह है कि कुठरी, गौरिया और अहरौरी, इन तीनों ग्रामों के बारे में मंत्री जी ने भी अपनी रिपोर्ट में जिक्र किया है कि इनके बह जाने की सम्भावना है । लेकिन जब प्रश्न पूछा गया कि इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है तो मंत्री जी ने कहा कि उनको ऊंचे पर बसाने पर विचार किया जायगा । या तो मंत्रीजी के पास जवाब नहीं है या वे जानबूझ कर कतराना चाहते हैं । तो इस सम्बन्ध में मैं व्यवस्था चाहता हूं कि जो प्रश्न हों, उनका निश्चित रूप से उत्तर देने का मंत्री जी प्रयास किया करें ।

श्री हुकुमसिंह विसेन—मैंने यह कहा कि रिपोर्ट में है कि ये गाँव कट जाने वाले हैं लिहाजा वहाँ के लोगों को पनाह देने के लिये व्यवस्था कर दी गयी है और ग्रेटुइश रेलीफ वगैरह का भी प्रबन्ध जिले वाले कर रहे हैं ।

श्री रामअवध (जिला गोरखपुर)—मुझे राजस्व मंत्री जी और पूरे सदन के समक्ष एक नयी बात उपस्थित करनी है । जो तालिका हम विधायकों के समक्ष प्रस्तुत की गयी है वह इस बात का प्रमाण है कि इस प्रदेश में एक कोने से दूसरे कोने तक पूरी बाढ़ आयी है । इसलिये अगर यह असेम्बली दस रोज के लिये बन्द कर दी जाय ताकि हम विधायक अपने अपने क्षेत्रों में रह सकें तो सम्भवत: हम ज्यादा लाभ कर सकेंगे । मुझे आशा है कि राजस्व मंत्री जी और दूसरे सदस्यगण इसे स्वीकार करेंगे ।

श्री कृष्णा—मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और मंत्री जी को सही रिपोर्ट देनी चाहिये ।

श्री कैलाश—मैं भी प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ताकि हम लोगों को बाढ़ को देखने और उसमें सहायता कार्य करने का मौका मिले ।

श्री अध्यक्ष—अब न तो आप परसों इस पर बहस चाहते हैं और न सवाल ही पूछना चाहते हैं। आपका प्रस्ताव है अगर वह मंजूर हो जाय तो सदन बंद हो जाय और आप घर चले जायं । आप लोग कोई बहस नहीं चाहते हैं। दूसरी बात यह है कि इस तरह से प्रस्ताव नहीं आते हैं । आप लोग पहले पार्टी में तय कीजिये और फिर लिखकर मेरे पास भेज दीजिये । मैं प्रस्ताव सदन के समक्ष रख दूंगा और जो सदन तय करेगा वह ठीक होगा । माननीय सदस्य जो सुझाव देना चाहें वे राजस्व मंत्री जी को दे दें ताकि आप लोगों का समाधान करने के लिये तैयार होकर आयें ।

श्री कृष्णपाल सिंह—श्रीमन्, सदन के सामने प्रस्ताव आ चुका है और मैं प्रार्थना करूंगा कि उसे सदन में प्रस्तुत किया जाय।

श्री अध्यक्ष—यह लिखित नोटिस देकर हो सकता है। इस तरह से नहीं हो सकता है। बिना नोटिस दिये प्रस्ताव नहीं आ सकता है।

श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय माल मंत्री जी ने जो रिपोर्ट बाढ़ के संबंध में पढ़ी है, अपने जिले फतेहपुर के संबंध में मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि फतेपुर जिले में पानी नहीं बरसा,जिसके कारण खागा तहसील की धान की फसल सूख गई है....

श्री अध्यक्ष—आप क्या चाहते हैं?

श्री दीपनारायणसिंह—श्रीमन्, मंत्री जी रिपोर्ट मंगा लें। सूखा के कारण उस तहसील की धान की फसल सूख गई है। वह सब से बढ़िया धान का इलाका है। आपने और जगह मदद दी है। इसके लिये भी मदद दें।

श्री हुकुमसिंह विसेन—अध्यक्ष महोदय, मुझे बाढ़ के ऊपर बयान देने का आदेश था, सूखे पर नहीं। लिहाजा सूखे की बात जो बताई जाती है, उसका जिक्र नहीं किया गया है।

श्री कल्पनार्थसिंह—अध्यक्ष महोदय, मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि नदियों के किनारे जहां बाढ़ आया करती है वहां नदियों द्वारा कटाव भी हुआ करते हैं, तो क्या मंत्री जी बतायेंगी कि पिछले साल जो लोग घरहीन हो गये हैं उनको बसाने के लिये क्या इंतजाम किया गया है और आज की बाढ़ की हालत में वे कहां बसे हुये हैं?

श्री हुकुमसिंह विसेन—अगर किसी खास मुकाम की बात बताई जाय तो हम बता सकते हैं।

श्री अध्यक्ष—वे कह रहे हैं कि किसी विशेष जगह के लिये आप कहें तो बता दिया जाय, एक जनरल रूल नहीं बना है।

श्री विजयपालसिंह (जिला मुजफ्फरनगर)—मंत्री जी ने बताया कि मुजफ्फरनगर में बाढ़ नहीं आई लेकिन १८,१९ जुलाई को कैराना में भारी वर्षा से कई गांव घिर गये हैं वहां की जानकारी कराई जाय?

श्री हुकुमसिंह विसेन—हमारे मित्र अलग लिख कर भेज देंगे, तो मैं जानकारी करा लूंगा।

श्री अध्यक्ष—मैंने निवेदन किया है कि आप लिख कर दे दीजिये। वह मालूम कर लेंगे।

श्री कल्पनार्थसिंह—क्या माननीय राजस्व मंत्री को मालूम है कि बांसगांव तहसील, जिला गोरखपुर में सैकड़ों गांव कटाई से बरबाद हो गये हैं और कई हजार व्यक्ति बीसों हजार आदमी आज भी खेतहीन होकर यत्रतत्र पड़े हुए हैं और बहुतों के जानवर इस बाढ़ में बह गये? क्या मंत्री जी इस बात को देखते हुए कि कटाई की वजह से जमीन ऊंची न होने के कारण जमीन न मिलने के कारण जो लोग बसाये नहीं जा सके, उनको बसाने के लिये वह कोई काम कर रहे हैं?

श्री हुकुमसिंह विसेन—यह कहना मेरे लिए मुश्किल है कि सैकड़ों गांव कट गये हैं, लेकिन कुछ कटे जरूर हैं और जो कटे हैं उनकी लिस्ट अगर हमारे मित्र दे दें तो क्या व्यवस्था की गयी है मैं जानकारी करके बता दूंगा।

श्री अध्यक्ष—मैंने निवेदन किया कि जो आपको पूछना है लिख कर दे दें।

श्री गंगाधर मैठाणी (जिला चमोली)—क्या मंत्री महोदय को यह मालूम है कि चमोली डिस्ट्रिक्ट के अन्दर, जैसे डडुआ गांव के सबके सब रहने वाले बह कर मर गये थे उसी प्रकार इस वर्ष अगस्त मुनि गांव के पास १२–१५–गांव.....

श्री अध्यक्ष—माननीय गंगाधर जी चमोली में तो बाढ़ नहीं आयी है।

श्री हुकुमसिंह विसेन—पहाड़ों पर बाढ़ नहीं आती।

श्री गंगाधर मैठाणी—सरकार का शायद खयाल है कि समतल भूमि न होने के कारण वहां वर्षा से नुकसान नहीं होता,गत वर्ष डडुआ गांव के सब लोग बह गये थे।

श्री अध्यक्ष—आप प्रश्न कीजिये।

श्री गंगाधर मैठाणी—क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि चमोली डिस्ट्रिक्ट की तहसील ऊखीमट के १२–१५ गांव जो अगस्तमुनि गांव के पास हैं और जोशीमठ के पलसारी बड़गांव और मिर्ग ऐसे गांव जहां आदमी भी बह गये हैं. . . .

श्री अध्यक्ष—जो नियम ५२ के अन्तर्गत नोटिस दिये गये थे बाढ़ सम्बन्धित हैं यह प्रश्न बाढ़ से सम्बन्धित नहीं हैं। मैं इसको डिस्अलाऊ करता हूं।

श्री चन्दनसिंह (जिला मुजफ्फरनगर —अभी माननीय विजयपालसिंह ने हमारे जिले मुजफ्फरनगर का जिक्र किया। अध्यक्ष महोदय लिख कर देने पर डिस्ट्रिक्ट की हायर आथारिटीज शिकायत समझते हैं। मैं निवेदन करूंगा माननीय राजस्व मंत्री से कि वह स्वयं मालूमात करवा लें कि हमारी तहसील में कितने गांवों में नुकसान पहुंचा और कलेक्टर साहब ने हमारे डिस्ट्रिक्ट की रिपोर्ट क्यों नहीं दी है ?

श्री अध्यक्ष—आप प्रश्न कीजिये।

श्री चन्दनसिंह—प्रश्न यह है कि हमारे जिले का जिक्र लिस्ट में नहीं है।

श्री अध्यक्ष—मैं निवेदन कर चुका हूं कि सूचना दे दीजिये तो प्रश्न का उत्तर मिल जायगा।

श्री चन्दनसिंह—अध्यक्ष महोदय, अगर लिख कर दें तो शिकायत मानी जाती है।

श्री अध्यक्ष—माननीय राजस्व मंत्री, क्या कहना है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—वहां सैलाब तो नहीं आया है। यह रिपोर्ट हमारे पास है, वहां रिपोर्ट दे दिया।

श्री अहमद बख्श (जिला मुजपफरनगर)—क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि मुजफ्फरनगर जिले की कैराना तहसील के १८–१९ गांवों में ११ इंच बारिश हुई ? यदि हां, तो क्या उसके आंकड़े प्राप्त करने की कोशिश करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—हमारे मित्र लिखकर देंगे तो मैं जरूर मंगा लूंगा।

श्री रामचरण शाह (जिला खीरी)—क्या माननीय राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जो यह खीरी जिले की रिपोर्ट दी गई है उसमें जिस क्षेत्र से मैं आया हूं, मैंने उसका टेलीग्राम भी भेजा था, तो जो १६ हजार एकड़ के बारे में लिखा है कि कुल १६ हजार एकड़ भूमि प्रभावित हुई है तो यह तो सिर्फ ४ कालोनीज में इतनी भूमि प्रभावित हुई है, बाकी

[श्री रामचरण शाह]

मेरी अपनी जानकारी के अनुसार, जो मैंने वहां तहसील से प्राप्त की है, वहां पर करीब ६० ७० हजार एकड़ भूमि प्रभावित हुई है और जो २०० मकान गिरे बताये गये हैं, वह मकानों की संख्या भी ज्यादा है, तो पूरी रिपोर्ट माननीय मन्त्री जी मंगाने की कृपा करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—मैं तो सबसे जनरल अर्ज किये देता हूं कि जिन-जिन को शिकायत है, वह लिखकर दे दें, मैं सब मंगा लूंगा ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—माननीय राजस्व मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि अहेतुक सहायता गोरखपुर जिले को ३ लाख ७५ हजार रुपये की और दूसरी सहायता १ लाख ५ हजार रुपये की जो बताई गई है, इसमें अहेतुक सहायता ३ लाख ७५ हजार रुपये की जो है उसमें वह रकम भी शामिल है जो कि हेल स्टार्म के समय दी गई थी और असली सहायता १ लाख ५ हजार रुपये की ही दी गई है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—मेरा तो ख्याल है कि यह सैलाब के लिये है । इसके लिये मैं नोटिस चाहूंगा और पता लगाऊंगा कि इसमें हेल स्टार्म का तो नहीं शामिल है ।

श्री सोहनलाल धुसिया (जिला बस्ती)—जैसा कि सुनने में आ रहा है और हर माननीय सदस्य इस बात को कह रहा है उससे मालूम होता है कि यह स्टेटमेंट इनकम्प्लीट है और कोई भी मेम्बर जब कुछ कहता है तो मिनिस्टर साहब कहते हैं कि लिखकर दीजिये । अध्यक्ष महोदय, मुझे थोड़ी सी आशंका यहां यह होती है कि मेम्बर जो स्टेटमेंट देगा लिखकर के वह सही होगा या गवर्नमेन्ट की फिगर सही होगी ? दूसरी चीज मैं यह जानना चाहूंगा कि ऐसे इंस्ट्रक्शंस तो नहीं हैं कि वह अपने यहां से लेस करके भेजें ? यह बात कुछ समझ में नहीं आ रही है और एक बात और कहूंगा कि जिस दिन इसके ऊपर डिस्कशन हो उस दिन दुबारा पूरे प्रदेश के बारे में रिपोर्ट आ जाय ताकि असली फैक्ट्स ऐंड फिगर्स हम लोगों को मिल सकें ।

श्री अध्यक्ष—एक बात मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जितनी इन्फार्मेशन सरकार के पास है वह आपके सामने रखी जा रही हैं । आप उसे चैलेंज कर रहे हैं तो माननीय मन्त्री जी कहते हैं कि आप उसे लिखकर भेज दीजिए तो उसकी तस्दीक वह करा लेंगे । यह उन्होंने दो मर्तबे कहा है कि अगर किसी को शिकायत है तो वह आज शाम तक लिखकर देंदे, वह फोन के जरिये से उसको तस्दीक करा लेंगे और परसों स्टेटमेंट दे देंगे । यह मैं निवेदन कर रहा हूं कि मुख्य प्रश्न तो तीन ही हैं कि कहां कहां बाढ़ आयी, कहां-कहां नहीं आयी और कितनी उसमें क्षति हुई तथा क्या कार्यवाही सरकार कर रही है ? इन तीनों के बारे में अगर आप लिखकर भेज दें तो कल उसकी सूचना प्राप्त करके परसों आपके सामने स्टेटमेंट वह रख देंगे । अगर आपको स्वीकार हो तो ठीक है, और नहीं तो प्रश्न पूछिये ।

(व्यवधान)

श्री कल्पनार्थसिंह—अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय राजस्व मन्त्री से यह निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्व मन्त्री ने जितनी सूचनायें दी हैं वह सब अपूर्ण सूचना हैं । माननीय राजस्व मन्त्री जी हमसे यह उम्मीद करते हैं कि हम उनको लिखकर देंगे तब यह कांट्रेडिक्शन का प्वाइंट बनेगा कि हमारी बात सही है या उनकी अथारीटीज की बात सही है । मैं माननीय सदस्य की उस राय से पूर्णतया सहमत हूं, जिसमें यह बात कही गई है कि सरकार की रिपोर्ट ज्यादा सही और अधिक से अधिक ऐक्यूरेट होने की कोशिश होनी चाहिए । राजस्व मन्त्री जी ने जो बयान दिया है इस सदन में और जो सूचनायें हम लोगों को उपलब्ध हुई हैं, उनको देखते हुए श्रीमन् मैं इस निश्चित मत का हो गया हूं कि तथ्य छिपाये गये हैं ।

श्री अध्यक्ष—तो अब आप क्या चाहते हैं ?

श्री कल्पनार्थसिंह---मैं यह चाहता हूं कि राजस्व मंत्री जी पूरी जिम्मेदारी के साथ कहें कि अगर कोई सूचना परसों वह दें और कोई भी माननीय सदस्य उस सूचना को चैलेंज करे और सदस्य की सूचना सरकार की सूचना के मुकाबिले सही उतरे तो माननीय राजस्व मंत्री और उनका मन्त्रिमंडल इस्तीफा देने के लिये बाध्य हो।

श्री हुकुमसिंह विसेन---अध्यक्ष महोदय, मिनिस्टर को जो सूचना जिले से मिलती है, वही सूचना वह सदन के सामने रखता हैं। हमको अभी तक कोई वजह नहीं मालूम हुई कि वह सूचना क्यों गलत हैं या नामुकम्मल हैं। अगर किसी मित्र को चाहे वह इधर बैठते हों या उधर हमारी सूचना गलत मालूम होती हो, वह हमको लिखकर भेज दें, हम उसकी जांच करा लेंगे। महज यह कह देना कि नामुकम्मल हैं और अगर ऐसा न हो तो इस्तीफा दें ऐसे कहने से इस्तीफा नहीं दिया जाता है। इस्तीफा दिया जाता है जनता के कहने पर। आपके चाहने से ऐसा नहीं हो सकता है। आपने तो अभी अविश्वास का प्रस्ताव पेश किया था। उसको सदन ने मंजूर नहीं किया। लिहाजा आपकी मांग बिलकुल बेकार है। उसको यहां पर दोहराने से काम नहीं चलता है। हम इस बात के लिये तैयार हैं कि अगर माननीय सदस्य मुनासिब समझते हैं कि हमसे कुछ एन्क्वायरी करा लें तो हमको लिखकर भेज दे। अगर आज ही लिखकर भेंजे तो मंगा सकते हैं। कल नहीं मंगा सकते हैं क्योंकि परसों यह नहीं हो सकता है।

श्री कैलाश---मैं २५ बार खड़ा हुआ लेकिन मुझकों मौका नहीं दिया गया।

श्री अध्यक्ष---आप कितनी ही बार खड़े हों, लेकिन जब सवाल गलत करते हैं तो उसका जवाब कैसे मिलेगा ?

श्री कैलाश---देवरिया जिले में हाटा से लेकर पडरौना तक के पानी की चर्चा इसमें आयी है। वहां पर तहसील सलेमपुर में छोटी गंडक और बड़ी गंडक और घाघरा का पानी भरा हुआ है। खनवा नाले का पानी भी बहुत बड़े क्षेत्र में फैल गया है। इसी तरह से २५ नाले वहां पर ऐसे हैं जिनका पानी उस जिले के बहुत से क्षेत्र में फैल गया हैं। भटनी जंक्शन भी इस समय पानी से भरा हुआ है। देवरिया से लेकर भाटपार तक बीच के क्षेत्र में नाव का प्रबन्ध बहुत कम है। वहां पर एक आदमी की मृत्यु हो गई जो जाति का लोहार था। वहां पर नाव का इतना कम इन्तजाम है कि एक आदमी की लाश को जो २५ तारीख को मृत्यु हुई थी उसको २६ तारीख को निकाला गया। इस प्रकार वहां पर बहुत परेशानी लोगों को हो रही है।

श्री अध्यक्ष---इस पर परसों बहस होगी। उस दिन जो प्रश्न हो आप कर सकते हैं।

श्री चैतन्यराजसिंह---मैं यह जानना चाहता हूं कि एटा जिले की अलीगंज तहसील में लोगों को एक हजार रुपये की अहेतुक सहायता दी गई है और जो लोग प्रभावित हुये है वे २८,४३२ हुये है। तो क्या मंत्री जी की निगाह में इतनी सहायता इतने लोगों के लिये काफी है ?

श्री अध्यक्ष---आप बहस में इस बात को कह सकते हैं कि यह सहायता अपर्याप्त है। वह बहस उस पर परसों होगी।

श्री चैतन्यराजसिंह---दूसरा प्रश्न यह है कि इसके अन्दर लिखा गया है कि अलीगंज में पुनः बाढ़ आगई है। इसके सम्बन्ध में यह लिखा गया है कि सरकार ने मालगुजारी बाढ-पीड़ित किसानों से तथा अन्य सरकारी बकाया की वसूली जिलाधीश द्वारा रोक दी गई है। मैं आपके द्वारा राजस्व मंत्री जी से यह जाना चाहता हूं कि जब उस तहसील में पुनः बाढ़ आ गई है तो माननीय राजस्व मंत्री जी उस जिले में मालगुजारी को बिलकुल माफ करने की बात सोचते हैं या नहीं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---ऐसा सोचना कब्ल अज़वक्त होगा। सैलाब के बाद जब क्षति के एस्टीमेट आजायेंगे तो तब कायदे के मुताबिक जो नुकसान होगा उसके लिये रेमीशन और सस्पेन्शन दिया जा सकता है। इस वक्त हम नहीं सोच सकते ।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)---मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। वह यह है कि अभी राम अवध जी ने एक प्रस्ताव पेश किया। उधर से इसका समर्थन हुआ। विरोध किसी ने कहीं किया। इस सदन में मैं समझता हूं सर्वसम्मति से चाहे जब कोई प्रस्ताव आ सकता है ।

दूसरी बात यह है कि आपने जो चर्चा किया कि कुछ विरोधीदल के लोग अपने पार्टी लीडर से मशविरा कर लें, यह पार्टी वाला विषय इस सदन में नहीं आ सकता है। यह बाहरी विषय है। सदन के अन्दर नहीं आ सकता।

श्री अध्यक्ष---कायदा यह है कि कोई प्रस्ताव बगैर नोटिस के नहीं आ सकता है। कुछ प्रस्ताव ऐसे हैं जिनका नियमावली में उल्लेख है कि वे बगैर नोटिस के नहीं आ सकते हैं। यह प्रस्ताव कि १० दिन के लिये सदन बन्द कर दिया जाय बगैर नोटिस के नहीं आ सकता।

श्री गंगाधर मैठाणी---मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि .....

श्री अध्यक्ष---आप बाद में बोल लीजियेगा।

जिला झांसी के ग्राम घौरा में पी० ए० सी० के सिपाहियों द्वारा एक व्यक्ति के गोली मारे जाने के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

गृह उपमन्त्री (श्री नवलकिशोर)---अध्यक्ष महोदय, झांसी जिले में जो दुर्घटना हुई और जिस के संबंध में सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है,उसका विवरण इस प्रकार है---

दिनांक १४ अगस्त, १९६२ को ग्राम धौरा,जिला झांसी में एक दुखद दुर्घटना हुई। इस ग्राम में पी० ए० सी० का एक सेक्शन डकैतियों को रोकने के लिये नियत था। इस सेक्शन के २ सिपाही, सर्वश्री कोमल सिंह व भोलानाथ राय, एक आटा चक्की पर गेहूं पिसाने के लिये गये। वहां ग्राम की एक औरत के साथ उनकी कहासुनी हुई। इस औरत ने बाबू खां नामक एक व्यक्ति से इसकी शिकायत की। श्री बाबू खां मौके पर आये और उनसे भी उन सिपाहियों से कहा सुनी हुई। यह कहा जाता है कि श्री बाबू खां ने एक सिपाही को मारा। श्री कोमल सिंह सिपाही वहां से हट गये और कुछ ही देर बाद ३ और सिपाहियों को लेकर वहां आये जिन के पास राइफलें थीं। रिपोर्ट के अनुसार ५ सिपाहियों ने, जो श्री बाबू खां के घर पर गये, उनको बाहर निकलने के लिये कहा। एक दूसरे व्यक्ति श्री रमजान खां ,जो शायद बाबू खां के संबंधी थे, बाहर आये और सिपाहियों से बातचीत करके यह कहा कि बाबू खां बाहर नहीं निकलेगा। उनको राइफल के कुन्दे से मारा गया और वह नीचे गिर गये। इस पर उनके भाई श्री शम्सुद्दीन खां मौके पर आये और उन्होंने श्री रमजान के मारने का विरोध किया। यह भी कहा जाता है कि उन्होंने भी एक सिपाही पर छड़ी से हमला किया। सिपाही श्री कोमल सिंह और लालअवधेशसिंह ने इस पर अपनी-अपनी राइफल से एक-एक फायर किया, जिससे श्री शम्सुद्दीन की तत्काल ही मृत्यु हो गयी।

एस० डी० एम० घटनास्थल पर तुरन्त ही पहुंचे और उन्होंने जांच शुरू कर दी। पुलिस अधीक्षक तथा पी० ए० सी० बटालियन के कमान्डेंट भी घटनास्थल पर हो आये हैं और सिपायियों के विरुद्ध धारा ३०२, भारतीय दन्ड विधान का मुकदमा दर्ज किया गया है। पांचों सिपाही इस समय मुअत्तल हैं और पकड़ कर के जेल में बन्द कर दिये गये हैं ।

पी० ए० सी० के डी० आई० जी० भी १६ अगस्त, १९६२ को घटनास्थल पर हो आये हैं । इस मुकदमे की जांच सर्किल इंस्पेक्टर द्वारा सी० ओ० की देख-रेख में की जा रही है । जांच जारी है ।

श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)—क्या पुलिस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिन पी० ए० सी० के सिपाहियों का यह कार्य है, जिन पर कत्ल का आरोप है और जो जेल में बंद रखे गये हैं, इसे देखते हुए क्या वे इसकी जांच सी० आई० डी० के किसी ऊंचे अफसर को देने की बात पर विचार करेंगे ताकि जनता में अधिक विश्वास पैदा हो और इसकी जांच सी० ओ० से ले ली जाय ? यही मेरी दरख्वास्त भी है और प्रश्न भी ।

श्री नवलकिशोर—जो सी० आई० हैं वह जांच कर रहे हैं और सी० ओ० की देखरेख में यह जांच हो रही है । सरकार इस बात की आवश्यकता नहीं समझती कि इसकी जांच सी० आई० डी० को दी जाय ।

श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)—मैं माननीय गृह मंत्री जी का सूचना के लिये बतलाना चाहता हूं कि यह पी० ए० सी० वाले इस कोशिश में थे कि इस तरह की एक स्कीम बना ली जाय कि ये लोग डकैतों के साथी थे और डकैतों को छुपाने का प्रयत्न कर रहे थे । जब पुलिस पता पाकर डकैतों को गिरफ्तार करने वहां गयी तो उन्होंने रिजिस्ट किया और इस पर गोली चल गयी और इस तरह अपनी जान बचा ली जाय । दूसरे में यह भी निवेदन करना चाहूंगा और यह जानकारी आपको बताने के बाद मैं प्रश्न कर रहा हूं कि इसके लिये एक षडयंत्र रचने की कोशिश की गयी ।

श्री अध्यक्ष—यह आप कह सकते हैं कि मेरी इस तरह की सूचना है । आपका प्रश्न क्या है ?

श्री लखपतराम शर्मा—वह मैं बता रहा हूं । दूसरे, मैं यह कहना चाहता हूं कि गृह मंत्री जी ने बतलाया कि उन सिपाहियों को डंडे से चोटें आयीं । तो इन सिपाहियों का क्या जेलखाने में कोई मुआयना हुआ ? यदि हां, तो क्या उनके शरीर पर चोटों के निशान हैं ?

श्री नवलकिशोर—मान्यवर, अगर आप आज्ञा दें तो जो चोटें आयी हैं उनका विवरण मैं पढ़ दूं ।

1. PAN C: Komal Singh—Examined on 17—8—62 at 18.15

(i) Abrasion $\frac{1}{2}'' \times 1/3''$ on the left side of scalp, 6″ left ear.

(ii) Complaints of pain in back. All the injuries are simple and are caused by some blunt weapon. Duration about 3 days.

इसी प्रकार तीन के और चोटें आई हैं ।

श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)—अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो बयान दिया है, उससे जाहिर होता है कि जो कुछ वहां पर झगड़ा हुआ है, वह एक औरत के कारण है । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मेरी सूचना के अनुसार उन पी० ए० सी० के सिपाहियों ने उस औरत के साथ कुछ अभद्र व्यवहार किया था जिससे झगड़ा खड़ा हुआ । क्या इसकी जांच कराने की कृपा करेंगे कि किस बात को लेकर झगड़ा हुआ ? कोई अश्लीलता का व्यवहार किया गया या वह औरत खामख्वाह उनसे उलझ गई थी ?

श्री नवलकिशोर—जैसा कि मैंने अभी बताया कि जांच चल रही है कि उस औरत के साथ अभद्र व्यवहार किया गया, जिसकी वजह से झगड़ा हुआ या और कोई कारण था । उसकी

[श्री नवलकिशोर]

पुष्टि करने के लिये जांच चल रही है । दफा ३०२ में केस दर्ज कर लिया गया है । दि होल थिंग इज अंडर इनवेस्टीगेशन ।

श्री शराफत हुसैन रिजवी (जिला मुरादाबाद)---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि जिस छड़ी से श्री शम्सुद्दीन ने पुलिस के सिपाहियों पर हमला किया, वह पुलिस के कब्जे में है या नहीं ?

श्री नवलकिशोर---मान्यवर, मेरे पास जो सूचना है, उसमें यह नहीं है कि जिस छड़ी से मारा वह कब्जे में है या नहीं ।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी)---श्रीमन्, सूचना है कि वह औरत चक्की पर आटा पिसवाने गई थी वहां पी० ए० सी० के सिपाहियों का गेहूं फैला हुआ था, उसके ऊपर से वह गई, इस बात को लेकर कोई झगड़ा या वाद-विवाद खड़ा हुआ ? क्या इसकी कोई सूचना है ?

श्री नवलकिशोर---हो सकता है । असल में यह डिटेल की बात है कि वह चक्की पर गेहूं पिसवाने गई तब वहां झगड़ा कैसे हुआ, यह सब डिटेल से सूचना आने पर पूरी चीज बताई जा सकती है ।

श्री अध्यक्ष---अभी इनवेस्टीगेशन हो रहा है ।

श्री भीखालाल---माननीय अध्यक्ष महोदय, आपसे मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि शायद उसकी जांच सी० आई० डी० से करवाने को वे तैयार नहीं हैं । क्या मेरी सूचना गलत है कि उन पी० ए० सी० के सिपाहियों ने उस महिला के साथ अभद्र व्यवहार किया जिसकी वजह से वादविवाद और झगड़ा वहां खड़ा हो गया ? मेरी क्या यह सूचना गलत है कि शम्सुद्दीन और बाबू खां वगैरह और रमजान आदि भी उसमें थे, जब झगड़ा हुआ । क्या इन सब बातों को अधिकारियों के जरिये से सही जांच कराने की कृपा करेंगे ताकि वाकिये का पता चल सके ।

श्री नवलकिशोर---उनकी सूचना कुछ भी हो, जो सूचना उनके पास है, वह मेरे पास नहीं है । एक बात और कि ४ सिपाहियों को चोटें आ गई हैं और वह कैसे आ गई हैं। यह सब बातें इन्वेस्टीगेशन में चल रही हैं और केस इंद्राज कर लिया गया है दफा ३०२ में । इसलिये अब इसमें सी० आई० डी० की इन्क्वाइरी की आवश्यकता नहीं है ।

श्री जेड० ए० अहमद (जिला आजमगढ़)---यह बात सही है कि केस अंडर इन्वेस्टीगेशन है, यह भी सही है कि उसके इन्वेस्टीगेट कराने में टाइम लगेगा । लेकिन यह एक खास किस्म का केस है, जिसमें इस बात को भी देखना है कि पुलिस के हाथ में बंदूक रहती है और वह उसका इस्तेमाल करती है, कुछ पब्लिक के आदमियों की जान लेने के लिये । इसको एक मामूली केस न समझा जाय । चूंकि यह एक मामूली केस नहीं है, इसलिये भीखालाल जी का प्रश्न बिल्कुल जायज है कि क्या सरकार इस बात के लिये तैयार है कि एक ऊंचे अधिकारी को यह केस सुपुर्द कर दिया जाय ताकि जिले के पैमाने पर जो खींचातानी और गलत कार्यवाही होती है वह बन्द हो जाय और ऊंचे अधिकारी की देखरेख में यह इनवेस्टीगेशन हो । मैं समझता हूं, हमारी इस मांग को गृह मंत्री जी को कबूल कर लेना चाहिये ।

श्री नवलकिशोर---डा० जेड० ए० अहमद ने शायद मेरी बात नहीं सुनी । मैंने बतलाया कि एक गजटेड आफिसर की देखरेख में यह इंकवायरी हो रही है । डी० आई०जी०, एस० पी०, कमांडेंट और एस० डी० एम० वहां हो आये हैं । उसके बाद अब समझ में नहीं आ रहा है कि किस और अफसर को वह चाहते हैं ।

कुंवर श्रीपालसिंह---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या इस बात की भी जांच कर ली गयी कि डंडे से मारा फिर बंदूक चली, तो ऐसा तो नहीं है कि डंडे से मारने के बाद बंदूक छीनी जा रही थी और छीनते वक्त बन्दूक दब गयी, अपने आप चल गयी ?

श्री नवलकिशोर---सिपाहियों का यही कहना था मगर गांव वालों ने इसका समर्थन नहीं किया ।

श्री दीपनारायणसिंह---गृह मंत्री जी, मेरा तजुर्बा है कि किसी केस को अगर पुलिस छुड़ाना चाहती है तो बयानात को तोड़-मरोड़ कर लिखती है जिससे डिफेंस कौंसिल को बचाव का मौका मिल जाता है । तफतीश में पुलिस अधिकारी को यह बहुत बड़ा अधिकार दिया गया है ।

श्री अध्यक्ष---आप प्रश्न कीजिये ।

श्री दीपनारायणसिंह---मैं विश्वास करता हूं कि इसकी अहमियत को आपने समझा है । इसलिये एस० डी० एम० ने मौके पर जाकर जो बयानात लिये और.....

श्री अध्यक्ष---आप प्रश्न नहीं करेंगे तो मैं डिस्अलाऊ कर दूंगा ।

श्री दीपनारायणसिंह---१६४ सी० आर० पी० सी० के अन्तर्गत जो बयानत लिये गये क्या आप सदन के सामने रखेंगे ?

श्री नवल किशोर---अभी मुझे पता नहीं कि बयानात किस स्टेज पर हैं । यह बयानात कोर्ट को जाते हैं---सदन में नहीं रखे जाते हैं ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)---जैसा कि अलेज किया जाता है कि सिपाहियों को मारा गया तो क्या उन आदमियों के खिलाफ सिपाहियों ने कोई रिपोर्ट की है और उस पर आप विचार कर रहे हैं ?

श्री नवलकिशोर---मेरे पास जो इत्तला है ३०२ की है, सिपाहियों की रिपोर्ट की कोई नहीं है, मुमकिन है कि लिखाई हो ।

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)---जो सबसे प्रमुख गवाह है औरत, क्या उसका कोई बयान लिया गया है ? यदि हां, तो उसे सदन की मेज पर रखेंगे ?

श्री अध्यक्ष---इसका उत्तर दिया जा चुका है कि अभी पता नहीं है ।

श्री गंगासिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)---जब यह मामला अभी अंडर-इन्वेस्टिगेशन है तब इस प्रर वाद-विवाद मुकदमे पर असर डाल सकता है ।

श्री अध्यक्ष---अभी सब-जुडिस नहीं है ।

श्री शिवेन्द्रप्रताप (जिला सीतापुर)---इस बात को ध्यान में रखते हुए कि जो गोली लगी है यह सरकारी राइफल से लगी है और सिपाही सरकारी ड्यूटी पर थे, क्या माननीय मंत्री जी उस मनुष्य के घर वालों को जिसकी मत्यु हुई है, कोई कम्पैंसेशन देने की बात सोच रही है ?

श्री अध्यक्ष---यह प्रश्न नहीं उठता ।

श्री लखपतराम शर्मा---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि शम्स-उद्दीन के शरीर के किस हिस्से में गोली लगी है ?

श्री अध्यक्ष---यह डिटेल का मसला है, इससे उठता नहीं ।

श्री जगदीशप्रसाद (जिला मुरादाबाद)---क्या माननीय मंत्री जी को ऐसी कोई सूचना है कि पुलिस की बंदूक टूट गयी है ?

श्री नवलकिशोर---जो सूचना मेरे पास है उसमें ऐसी बात नहीं है ।

श्री लखपतराम शर्मा---जो सिपाही शम्सुद्दीन खां के मकान पर गया तो उसने क्या अपनी रवानगी दिखाई है और लिखा है कि वह बन्दूक किस काम के लिये ले गया था ?

श्री नवलकिशोर---जो सूचना मेरे पास उपलब्ध थी, वह मैंने सदन में दे दी है ।

श्री गंगाधर मैठाणी---श्रीमन्, जब बाढ़ के संबंध में प्रश्न किये जा रहे थे और डिस्कशन हो रहा था तो माननीय मंत्री जी ने यह कहा कि पहाड़ों पर बाढ़ नहीं आती । मैं यह बता दूं कि प्रदेश के १/३ हिस्से में बाढ़ आती है और जितना नुकसान बरसात में वहां होता है उतना अन्य किसी मौसम में नहीं होता । कई मत्युयें तक हो जाती हैं ।

श्री अध्यक्ष---आप प्रश्न क्या करना चाहते हैं ?

श्री गंगाधर मैठाणी---मैं यही बतलाना चाहता था, क्योंकि यह कहा गया था कि पहाड़ों पर बाढ़ नहीं आती है ।

मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पर पुलिस द्वारा विद्यार्थियों पर लाठी चार्ज तथा गोली चलाने के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

गृह उपमंत्री (श्री नवलकिशोर)---अध्यक्ष महोदय, मुरादाबाद में २१ अगस्त, १९६२ को रेलवे स्टेशन पर हुई घटना का विवरण इस प्रकार है:---

'२१ अगस्त को सुबह गजरौला से मुरादाबाद जाने वाली गाड़ी पर रेलवे अधिकारियों ने टिकट की चेकिंग की' और कई व्यक्ति जिनमें मुरादाबाद के कालेजों के विद्यार्थी भी थे, बिना टिकट यात्रा करते हुए पाये गये । इन विद्यार्थियों में से ६ को, धारा ११२, रेलवे ऐक्ट के अन्तर्गत गिरफ्तार करना पड़ा और वह रेलवे मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करने के लिये मुरादाबाद लाये गये । इन ६ में से ५ के पास किसी किस्म का टिकट नहीं था और छठें के पास मुरादाबाद से किसी पहले ही स्टेशन तक का टिकट था। लगभग ८-३० बजे सुबह जब रेलवे मैजिस्ट्रेट उनका मुकदमा सुनने जा रहे थे तो करीब २५० विद्यार्थी जो शहर के कालेजों से आकर प्लेटफार्म पर जमा हो गये थे, उन्होंने नारे लगाना शुरू कर दिया और अभियुक्त विद्यार्थियों को फौरन छोड़ दिये जाने की मांग की । यह भी नारे लगाये गये कि यदि विद्यार्थी फौरन न छोड़े गये तो उन्हें बलपूर्वक छुड़ा लिया जायगा । रेलवे मैजिस्ट्रेट ने एकत्रित विद्यार्थियों को समझा कर शांत करने का प्रयत्न किया परन्तु उसका कोई असर न हुआ बल्कि भीड़ और उत्तेजित हो गयी। जब रेलवे मैजिस्ट्रेट ने यह देखा कि भीड़ कोर्ट के कमरे में बलपूर्वक घुसकर अभियुक्तों को छुड़ाने की संभावना है तो उन्होंने भीड़ को अवैध घोषित कर दिया और पुलिस अधिकारी जो वहां मौजूद थे उनको आदेश दिया कि भीड़ को हटा दिया जाय । रेलवे पुलिस के एक सब-इंसपेक्टर तथा कुछ कांस्टेबिल जो वहां थे, उन्होंने भीड़ को हटा दिया और इस कार्य वाही में हल्का लाठी चार्ज करना पड़ा । लाठी चार्ज के बाद भीड़ स्टेशन से हटने लगी तथा उस समय तक खबर पाकर पुलिस अधीक्षक भी मौके पर पहुंच गये थे । भीड़ के प्लेटफार्म से हटने के बाद वह जिलाधीश को, जो टेलीफोन पर नहीं मिल सके, वाकयात बताने चले गये । रेलवे मैजिस्ट्रेट ने मुकदमें शुरू कर दिये । मुकदमे दो मजिस्ट्रेटों की अदालत में हो रहे थे और सब से पहले उन्होंने विद्यार्थियों के मुकदमें शुरू किये । चार विद्यार्थियों ने धारा ११२, रेलवे ऐक्ट

का अपराध स्वीकार किया और उन पर अदालत से जुर्माना हुआ । बाकी दोनों विद्यार्थियों ने कुछ ऐसी उपेक्षात्मक परिस्थितियां (एक्सटेनुएटिंग सरकमस्टांसेज) बताईं जिस कारण उनसे सिर्फ किराया लिये जाने का आदेश हुआ । इन दोनों विद्यार्थियों ने उस समय किराया दे दिया और वह छोड़ दिये गये । शेष चार विद्यार्थियों ने उस समय जुर्माना नहीं दिया परन्तु के० जी० के० कालेज के प्राक्टर के तस्दीक करने पर तीन को पर्सनल बांड लेकर और चौथे को केवल पर्सनल बांड लेकर छोड़ दिया गया । जैसे-जैसे मुकदमें तय होते जाते थे विद्यार्थियों को जाने की आज्ञा मिलती रहती थी ।

अभी मुकदमे हो रहे थे कि लगभग १,५०० विद्यार्थियों की एक भीड़ स्टेशन के सामने इकट्ठा हो गयी और उसने उत्तेजनात्मक नारे लगाने शुरू कर दिये । भीड़ के व्यक्तियों के पास लाउडस्पीकार भी था और वह विद्यार्थियों को छोड़ देने की मांग कर रहे थे । नारों में स्टेशन को लूट लिये जाने व आग लगा दिये जाने की धमकियां भी दी जा रही थीं । इसी समय जिलाधीश और पुलिस अधीक्षक स्टेशन पर पहुंच गये तथा प्लेटफार्म पर गये । इतने में भीड़ और उत्तेजित हो गयी तथा उसने सरकारी गाड़ियों पर और स्टेशन पर ईंटें बरसाने शुरू कर दीं । लाठी और पत्थर से गाड़ियों की तोड़ फोड़ डाला । स्टेशन पर लगे हुए शीशों, फलोरेसेंट ट्यूब्स, तौलने की मशीन आदि को भी हानि पहुंचाई । भीड़ की यह हालत देखकर जिलाधीश तथा पुलिस अधीक्षक बाहर की तरफ आये और स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जिलाधीश ने भीड़ को अवैध घोषित कर दिया और उसे हट जाने को कहा । इस चेतावनी का कोई असर न हुआ वरन् ढेले, पत्थर फेकना और जोर से चालू हो गया । मजबूर होकर जिलाधीश ने पुलिस अधिकारियों से भीड़ को हटाने के लिये शक्ति का प्रयोग करने को कहा । एक लाठी चार्ज करने का प्रयत्न किया परन्तु भीड़ इतनी अधिकता और तेजी से ढेल-पत्थर फेंक रही थी कि पुलिस द्वारा लाठी का प्रयोग असंभव था क्योंकि पुलिस भीड़ के पास पहुंचने में असमर्थ थी । ढेलों व पत्थरों की मार से जिलाधीश के स्वयं चोट लगी तथा एक दर्जन से अधिक पुलिस अधिकारियों के भी चोटें आई । एक-हेड कांस्टेबिल को सिर में सख्त चोट आई और वह तुरन्त बेहोश हो गया । भीड़ ढेलों और पत्थरों की आड़ में बराबर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी । ऐसी हालत में उत्तेजित भीड़ द्वारा सम्पत्ति के नुकसान के अतिरिक्त उक्त हैड कांस्टेबिल की जान एव अन्य व्यक्तियों की जान का खतरा पैदा हो गया था । इसलिये फायर आर्म्स के प्रयोग के अतरिक्त और कोई चारा न था । अस्तु भीड़ को चेतावनी दी गयी कि वह फौरन तितर-बितर हो जाय । अन्यथा फायर आर्म्स का प्रयोग किया जायगा । इसका भीड़ पर काई असर न हुआ और पुलिस को गोली चलाने का आदेश दिया गया । चार बार गोली चलाने का आदेश दिया गया परन्तु तीन बार के बाद ही भीड़ तितर-बितर हो गयी । अतः चौथी बार गोली नहीं चलाई गयी । गोली से न कोई व्यक्ति मरा और न हो घायल हुआ । भीड़ द्वारा ढेले-पत्थर की मार से जिलाधीश को तथा पुलिस के एक इंसपेक्टर, चार सब इंसपेक्टर, तीन हेड कांस्टेबिल तथा १९ कांस्टेबिलों को चोटें आयीं । जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं, एक हेड कांस्टेबिल को गंभीर चोट आयी है ।

इस बीच में पी० ए० सी० बुलाई गयी और खास-खास जगहों में तैनात कर दी गयी । सी० आर० पी० सी० की धारा १४४ के अन्तर्गत आदेश भी जिलाधीश ने फौरन जारी कर दिये । थोड़ी देर बाद सूचना मिली कि एक कालेज में लगभग एक हजार विद्यार्थी फिर से एकत्रित हो रहे हैं और जलूस निकालना चाहते हैं । उन्होंने कालेज के निकट सड़क पर कुछ ईंटें भी इधर उधर फेंकी परन्तु बाद में कालेज के अध्यापकों तथा जिला अधिकारियों के कहने पर शांति-पूर्वक तितर-बितर हो गये । शाम को स्थानीय शिक्षा संस्थाओं के प्रधानाध्यापकों को तथा जिला अधिकारियों की एक मीटिंग भी जिलाधीश ने बुलाई जिसमें स्थिति को सुलझाने तथा शांति कायम रखने के सुझावों पर विचार किया गया । उपरोक्त घटना के बाद कोई अवांछनीय घटना नहीं हुई ।

[श्री नवलकिशोर]

इस सिलसिले में ११ विद्यार्थियों को मौके पर धारा १४७/३३२/४२७/१४९ आई० पी० सी० तथा १२०।१२१ रेलवे ऐक्ट में और बाद में ११ व्यक्तियों को, जिनमें ९ विद्यार्थी थे, धारा १८८ आई० पी० सी० में गिरफ्तार करना पड़ा । कुल व्यक्तियों को उसी दिन जमानत पर छोड़ दिया गया ।

श्री शराफत हुसैन रिजवी (जिला मुरादाबाद)---अध्यक्ष जी, यह जो रिपोर्ट अभी-अभी गृहमन्त्री जी ने पढ़ कर सुनाई , यह यकतर्फा है । यह उन लोगों ने तैयार की है जो लोग इस झगड़े में एक पार्टी हैं यानी कलेक्टर, एस० पी० वगैरह । इसलिये मैं आपके सामने कुछ तथ्य रखना चाहता हूं । क्योंकि मैं भी उसी जिले से चुनकर आता हूं। मैं खुद वहां गया था और मैंने वहां विद्यार्थियों, प्राफेसरों और क्लेक्टर से मिला। उनके बारे में कुछ सही वाकआत में आपके सामने दो-तीन मिनट में रखना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष---जो आप कहना चाहते हैं वह ऐसे कहें कि आपकी सूचना यह है, क्या यह सत्य है ? व्याख्यान नहीं हो सकता ।

श्री शराफत हुसैन रिजवी---मैं इसलिये निवेदन करना चाहता हूं कि सवाल तो मैं दो तीन ही पूछ सकता हूं, चूंकि मुझे बहुत सी बातें कहनी हैं, इसलिये मैं चाहता हूं कि मुझे दो तीन मिनट ही आप बोलने के लिये दे दें।

श्री अध्यक्ष---पहले आप सवाल पूछें।

श्री शराफत हुसैन रिजवी---क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि सबसे पहले रेलवे प्लेटफार्म पर लड़कों पर जो डंडा चार्ज हुआ, उसका आदेश किस अधिकारी ने दिया था ?

श्री नवलकिशोर---सबसे पहले जो माइल्ड लाठी चार्ज हुआ, उसका आदेश रेलवे मैजिस्ट्रेट ने दिया था।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)---क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि दूसरी मर्तबा जब लाठी चार्ज हुआ और जिसके बाद गोली चलायी गयी, (मैं भीड़ के बारे में कह रहा हूं) उस भीड़ के साथ प्राक्टर और प्रिंसिपल भी थे और उन लोगों ने रेलवे मैजिस्ट्रेट से यह मांग की थी कि लड़कों से केवल किराया ले लिया जाय, जुर्माना न लिया जाय, लेकिन उस मांग के बाद भी उन लड़कों पर डंडे व गोली चलायी गयी ?

श्री नवलकिशोर---मान्यवर, दूसरी बार जब लाठी चार्ज हुआ और जिसके बाद गोली चलायी गई उस समय भीड़ के साथ कोई प्राक्टर वगैरह नहीं थे।

श्री शराफत हुसैन रिजवी---क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जिन लड़कों को गजरौला और मुरादाबाद के दरमियान पकड़ा गया था, उनके पास मासिक पास भी था ?

श्री नवलकिशोर---मान्यवर, जिन ६ विद्यार्थियों को पकड़ा गया था, उनमें से पांच के पास कोई टिकट नहीं था और न कोई पास था।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)---क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह जो घटना हुई उसके बाद प्रोफेसरों व जिलाधिकारियों की एक मीटिंग हुई थी, जिसमें इस बात का निर्णय किया गया कि चूंकि अब स्थिति काबू में आ गयी है इसलिये ११ विद्यार्थियों के विरुद्ध जो धारा १४७/३३२ का केस है, उसे वापस ले लिया जाय ? यदि हां, तो उसपर सरकार क्या विचार कर रही है ?

श्री नवलकिशोर—मान्यवर, मेरे पास तो अभी तक यही सूचना है कि शांति स्थापित करने के लिये आपस में बातचीत हुई। जो २० विद्यार्थी गिरफ्तार हुये थे, उनके सम्बन्ध में कोई बातचीत हुई हो तो उसकी सूचना मेरे पास तो अभी है नहीं।

श्री जगदीशप्रसाद (जिला मुरादाबाद)—क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि प्राक्टर और प्रोफेसर उन ६ विद्यार्थियों के मुकदमे फैसल होने के पहले पहुंचे या बाद में ?

श्री नवलकिशोर—के० जी० के० कालेज के प्राक्टर उन ६ विद्यार्थियों के मुकदमे तय होने के पहले पहुंच गये थे ?

कुंवर श्रीपालसिंह—जब प्राक्टर पहले पहुंचे थे तो क्या उन्होंने इस बात की मांग की थी कि इन लड़कों से बिलकुल किराया ले लिया जाय, जुर्माना न वसूल किया जाय ?

श्री नवलकिशोर—मान्यवर, प्राक्टर महोदय ने यह बात जरूर कही थी कि इनसे ऐक्चुअल किराया ले लिया जाय। जब मैजिस्ट्रेट इस बात के लिये तैयार नहीं हुये तो फिर दूसरी मांग उन्होंने यह की कि इन लड़कों के मुकदमे आप जितनी जल्दी हो सके तय कर दें ताकि भीड़ हट जाय और विद्यार्थी भी चले जायं। इसी बात को मान कर उनके मुकदमें पहले तय किये गये ।

श्री शराफत हुसैन रिजवी—मान्यवर, अभी माननीय मन्त्री जी ने बतलाया कि प्राक्टर महोदय ने कहा कि इन लड़कों से पेनाल्टी लेकर इन्हें छोड़ दिया जाय। लेकिन मैजिस्ट्रेट इसपर तैयार नहीं हुये और यही झगड़े का कारण बना। फिर प्राक्टर ने कहा कि आप जमानत ले लीजिये और इनका परिचय कार्ड भी ले लीजिये और पेनाल्टी लेकर इन्हें छोड़ दीजिये । और माननीय मन्त्री जी यहां यह कहते हैं, इसलिये मैं निवेदन करता हूं कि मुझे दो तीन मिनट का समय बोलने के लिये दे दें।

श्री नवलकिशोर—मान्यवर, मैंने यह कहा कि प्राक्टर ने यह फरमाया कि ऐक्चुअल जो किराया है वह ले लीजिये। पेनाल्टी ले लेने की बात उन्होंने कभी नहीं कही। अगर पेनाल्टी की बात कही होती तो फिर झगड़ा ही किस बात का था ?

श्री जगदीशप्रसाद—माननीय मन्त्री जी ने जैसा अपने बयान में कहा है कि प्राक्टर का कहना था कि इन्हें जमानत पर छोड़ दीजिये, तो क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि प्राक्टर पहले चले गये या भीड़ के साथ गये ?

श्री नवलकिशोर—जब तक उन ६ विद्यार्थियों का मुकदमा तय हुआ, तब तक प्राक्टर कोर्ट रूम में मौजूद थे ।

श्री शराफत हुसैन रिजवी—अभी मन्त्री जी ने कहा कि लड़कों ने ईंट और पत्थर फेंके, जिससे गाड़ियों को नुकसान पहुंचा, व स्टेशन की प्रापर्टी को नुकसान पहुंचा। तो स्टेशन की किस-किस प्रापर्टी को नुकसान पहुंचा ?

श्री नवलकिशोर—३ तो मोटर गाड़ियां डेमेज हुईं, इंक्वायरी आफिस क शीशे टूटे, फलोरेसेंट ट्यूब्स तोड़े गये, मेन हाल के, बुकिंग आफिस के काउन्टर और दरवाजों को नुकसान पहुंचाया गया, शीशे तोड़े गये, लाउड स्पीकर के ग्लास और एम्पलीफायर को तोड़ा गया इन्क्वायरी आफिस को प्लाईवुड शीट्स तोड़ी गईं और जो वहां पर वेइंग मशीन थी, उसको भी नुकसान पहुंचाया गया।

कुंवर श्रीपालसिंह—क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जैसा अभी उन्होंने कहा, प्राक्टर महोदय ६ मुकदमों के आखिर तक मौजूद थे तो यह झगड़ा जो शुरू हुआ जिसमें

[कुंवर श्रीपाल सिंह]

यह तमाम नुकसान हुआ यह उन तमाम केसेज के फैसलों के बाद शुरू हुआ या बीच में ही चलने लगा जबकि वहां प्राक्टर साहब मौजूद थे ?

श्री नवलकिशोर—जिस समय छठे विद्यार्थी का मुकदमा तय होने वाला था उस समय वहां एस० पी० और डी० एम० महोदय पहुंचे और उनके पहुंचते ही वहां ईंट पत्थर चलना शुरू हुआ।

श्री शराफत हुसैन रिजवी—मन्त्रीजी ने अभी बताया कि वहां पर बिजली के ट्यूब्स को नुकसान पहुंचा है, मैंने जो वहां देखा है उस में बिजली के ट्यूब्स वहां पर टंगे हैं और वह लड़कों के पथराव से नहीं टूटे बल्कि जब पुलिस ने गोली चलायी तब उनको नुकसान पहुंचा और बाद में उन पर प्लास्टर और कलई वहां की गई है ताकि लड़कों पर उसका दोष लगाया जाय और यह न मालूम हो कि गोली से प्लास्टर टूटा था, क्या यह सही है ?

श्री नवलकिशोर—यह तो माननीय सदस्य की सूचना है, मेरी सूचना ऐसी नहीं है।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—क्या इसको सूचना मानकर कि रेलवे की धाराओं में साफ लिखा है कि अगर मैजिस्ट्रेट देखता है और समझता है कि पेसेंजर बोनाफाइडी है और उसने कोई क्राइम नहीं किया है और उसने किसी गलती से टिकट नहीं लिया है तो छोड़ सकता है। तो जबकि मैजिस्ट्रेट के सामने प्राक्टर किराया देने को तैयार थे तो मैजिस्ट्रेट ने उस धारा का क्यों इस्तेमाल नहीं किया और क्यों हालत बिगड़ने दी ! और सरकार ने मैजिस्ट्रेट के खिलाफ क्या कार्यवाही की ?

श्री अध्यक्ष—वह जुडिशियल (डिस्क्रेशन) तो मैजिस्ट्रेट ही कर सकता था।

श्री शराफत हुसैन रिजवी—क्या लड़के भागे तो उन्होंने केवल रेलवे प्रापर्टी को ही नुकसान पहुंचाया या किसी शाप दूकान या और किसी चीज को भी नुकसान पहुंचाया ? क्या उनका ऐसा इरादा था ?

श्री नवलकिशोर—उनका इरादा हो या न हो, लेकिन फैक्ट यह है कि वहां नुकसान हुआ।

श्री जगदीशप्रसाद (जिला मुरादाबाद)—क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि गजरौला और मुरादाबाद के बीच में अक्सर बिना टिकट का सफर ज्यादा चलता है और रेलवे अधिकारियों का इस प्रकार का कोई पत्र भी आ चुका है कि मुरादाबाद डिवीजन में इस तरह की आम शिकायत है ?

श्री नवलकिशोर—जी हां, ऐसी शिकायत वहां पर है। मुरादाबाद डिवीजन में रेलवे अधिकारियों के अनुसार ऐसी आम शिकायत है।

कुंवर श्रीपालसिंह—मन्त्री जी ने बताया कि जैसे ही एस० पी० और जिलाधीश वहां पहुंचे पथराव आरम्भ हुआ तो क्या मन्त्री जी इस बात की जांच करायेंगे कि बिना इस बात को जाने हुये कि अन्दर क्या हो रहा है कैसे एस० पी० और डी० एम० ने भीड़ को गैरकानूनी डिक्लेयर कर दिया और लाठी चार्ज का हुक्म दे दिया जिसके फलस्वरूप पथराव हुआ ?

श्री नवलकिशोर—ऐसी बात नहीं है। मैं यह भी बता दूं कि इसकी जांच कमिश्नर को दी गई है, वह जांच आरम्भ करने वाले हैं।

श्री भानुप्रताप सिंह (जिला बस्ती)—मन्त्री महोदय ने बताया कि पथराव इतनी जोर से हो रहा था कि लाठी चार्ज नहीं किया जा सकता था लेकिन उस हालत में क्या वहां टीयर गैस का प्रयोग किया गया? यदि नहीं तो उस अस्त्र का प्रयोग क्यों नहीं किया गया, जो पहले होना चाहिये था?

श्री नवलकिशोर—टीयरगैस का प्रयोग नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ यह तो उस समय जो वहां के अधिकारी थे उनके डिसक्रिशन की बात थी कि उन्होंने क्या मुनासिब समझा।

श्री अध्यक्ष—अब मुझे कुछ.....

श्री शराफत हुसैन रिजवी—श्रीमन्, एक प्रश्न और आखिरी एक प्रश्न करना चाहता हूं.....

श्री अध्यक्ष—जी नहीं, अब आगे की कार्यवाही होगी।

विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, १९५८ में संशोधन

श्री अध्यक्ष—अब मैं एक सूचना देना चाहता हूं, परसों बातचीत हुई थी। विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन नियमावली, १९५८ के नियम १६ (१) में यह उपबन्ध है कि सभा ११ बजे पूर्वाह्न से ५ बजे अपराह्न तक समवेत होगी। परन्तु सदन के विभिन्न नेताओं ने अपनी यह सहमति मुझ से प्रकट की कि बीच में एक घंटे का जलपान अवकाश होना चाहिये और विधान सभा की बैठक साढ़े दस बजे पूर्वान्ह से १ बजे अपरान्ह तथा २ बजे अपराह्न से साढ़े पांच बजे सायंकाल तक समवेत हो। क्योंकि सदन की इससे सहमति है मैं रख रहा हूं।

अगर इसमें कोई आपत्ति होगी तो फिर मैं नहीं रखूंगा। इसको सभी पार्टियों के नेताओं ने सहमति दी थी और बातचीत में मौजूद थे। अगर इसमें किसी को आपत्ति करनी है तो यह नहीं रखा जायगा.....

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—यह मेरा संशोधन था पहले ही।

श्री अध्यक्ष—अगर आपका संशोधन था, तो एतराज हो जायगा। सबका संशोधन है और सब इससे सहमत हों तो मैं सदन के सामने रख दूं।

(किसी के कुछ आपत्ति न करने पर)

तो सबकी सहमति से यह नियम इस प्रकार से संशोधित होता है :—

"नियम १६(१) का प्रथम वाक्य निम्न प्रकार से संशोधित किया—

१६(१)—सभा का उपवेशन १० बजकर ३० मिनट पूर्वान्ह से ५ बजकर ३० मिनट अपरान्ह तक होगा जिसमें १ बजे से २ बजे तक विराम रहेगा।"

यह कल से लाग होगा।

श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)—मैं विरोध करना चाहता हूं.....

श्री अध्यक्ष—अब तो स्वीकार हो गया। एक बात सभी तय कर रहे हैं, हमें सबकी राय माननी चाहिये। अब आप बैठ जाइये। अब यह कल से लागू होगा।

श्री दीपनारायणसिंह—११ से ५ बजे में.....

श्री अध्यक्ष—बैठ जाइये आप।

सदन में पुलिस को न बुलाने की प्रार्थना

श्री अध्यक्ष--अब माननीय स्वायत्त शासन मन्त्री बोलेंगे ?

श्री कृष्णा (जिला देवरिया)--श्रीमन्, एक बात आप के सामने रखना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष--किसुना जी, एक बात सुनिये । मैंने मन्त्री जी को बुला लिया है, उनके बाद आप कहियेगा ।

श्री कृष्णा--श्रीमन्, उसी के बारे में कहना है । जो २० अगस्त को घटना हुई है और जिन सदस्यों को माननीय राधेश्याम आदि को, सदन के बाहर पुलिस ले गयी और उसके बारे में कोई व्यवस्था आपने अब तक नहीं दी कि अब पुलिस सदन के भीतर नहीं आयेगी उस दिन की घटना देखकर हम उसी दिन से इन्तजार कर रहे हैं, आपकी व्यवस्था चाहते हैं कि इसकी व्यवस्था आप करें । यह बात बाढ़ की बात ले कर आयी और सरकारी पक्ष नहीं आने देना चाहता था ।.....

श्री अध्यक्ष--बातचीत कर ली है और कल इस सम्बन्ध में मैं बता दूंगा, वह तय हो चुका है ।

श्री कृष्णा--जब तक यह व्यवस्था नहीं देंगे कि पुलिस किसी भी हालत में सदन में नहीं आयेगी तब तक हम सदन का काम नहीं चलने देंगे । और अगर आप यह व्यवस्था दे दें या सरकार आश्वासन देदे कि पुलिस सदन में नहीं आयेगी आप हमको और चाहे जिस तरह से सदन से निकाल दें, लेकिन पुलिस नहीं आयेगी, तो हमें कोई आपत्ति नहीं है । लेकिन जब तक आप यह व्यवस्था नहीं देते कि पुलिस नहीं आयेगी तब तक सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से जो नीति है उसको हम बराबर चलाते रहेंगे ।

श्री अध्यक्ष--जवाब सुन लीजिये माननीय किसुना जी । सब नेताओं ने एक बात तय कर ली है कि पुलिस न आने के लिये दो तरीके सोचे गये हैं । एक तो यह कि माननीय सदस्य इस आदरणीय सदन में कोई ऐसा अवसर न आने देंगे कि पुलिस को बुलाना पड़े और दूसरे यह कि पुलिस के बजाय हम वाच एंड वार्ड का प्रबन्ध कर रहे हैं । उस सम्बन्ध में शीघ्रातिशीघ्र प्रबन्ध हो जायगा ।

*उत्तर प्रदेश (नागर क्षेत्र) भूमि और भवन-कर विधेयक, १९६२

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री विचित्रनारायण शर्मा)--अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश (नागर क्षेत्र) भूमि और भवन-कर विधेयक, १९६२ पर विचार किया जाय ।

(इस समय १ बजकर ४१ मिनट पर उपाध्यक्ष श्री होतीलाल अग्रवाल पीठासीन हुये ।)

इस भवन के उद्देश्यों में यह बतलाया गया है कि हमारी पंचवर्षीय योजनायें चल रही हैं जिन की वजह से देश की जनता का जीवन स्तर धीरे-धीरे ऊंचा उठ रहा है उनको पूर्ण करने के लिये ऐसी व्यवस्था की जाय जिससे हमारे जो विकास कार्यक्रम हैं वे अच्छी तरह से पूरे हो सकें । इसलिये यह विधेयक लाया जा रहा है । हमारी आबादी दुर्भाग्य से बहुत बढ़ती जा रही है और बदकिस्मती से उस अनुपात से हम अपनी आय व उत्पादन को नहीं बढ़ा पा रहे हैं । काफी प्रयत्न करने के बाद भी हमारे यहां अन्न का उत्पादन, खाद्य वस्तुओं तथा जीवन की

---

*२१ अगस्त, १९६२ की कार्यवाही में छपा है ।

आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन उतना नहीं बढ़ रहा है जितना कि आवश्यक है। लिहाजा अगर हम यह चाहते हैं कि हमारे प्रदेश का जीवन स्तर नीचे न गिरे तो यह नितान्त आवश्यक है कि जिस अनुपात से हमारी आबादी बढ़ रही है उससे कहीं अधिक अनुपात से हमारा उत्पादन बढ़ना चाहिये। उत्पादन बढ़ाने के लिये जहां हमारे प्रयत्न की, और जनता के सहयोग की आवश्यकता है, वहां पर बिना साधनों के वह हो नहीं सकता और उन साधनों को मुहइया करने के लिये धन की नितान्त आवश्यकता है। यह आदरणीय सदन कई बार इस विषय पर विचार कर चुका है कि जब जब बजट आता है तब-तब यह विचार और विषय उपस्थित होते हैं उसके लिये मांग यही होती है कि इस मद के लिये धन अपर्याप्त है। शिक्षा के सम्बन्ध में, सिंचाई तथा दूसरे सुधारों के सम्बन्ध में यही मांग होती है कि धन अपर्याप्त है और अधिक होना चाहिये। तो अगर खर्च अधिक होना चाहिये तो अधिक साधन होने चाहिये और वह बिना पर्याप्त धन के और पर्याप्त साधनों के हो नहीं सकता। इसलिये सरकार को मजबूर होकर इस जिम्मेदारी को ओढ़ना पड़ता है कि जितने भी स्रोत हो सकते हैं वहां से धन एकत्रित करना चाहिये। यह देश बदकिस्मती से ऐसा है जहां पर ज्यादातर गरीबी है। बिना किसी इस भय कि मैं गलतबयानी कर रहा हूं, मैं कह सकता हूं कि कम से कम ९० प्रतिशत जनता इस देश की ऐसी है उसे कर में कुछ राहत दें तो अच्छा है, उससे लेने में हमें तकलीफ होती है, संकोच होता है।

सिर्फ ५ फीसदी जनता ऐसी कही जा सकती है जो इतनी खुशहाल है कि अगर उससे कुछ ले लिया जाय तो कोई कष्ट की बात नहीं होगी बल्कि यह वांछनीय हो सकता है समाज के अन्दर बराबरी लाने के लिये। लेकिन जहां तक प्रदेश की सरकार का सम्बन्ध है हम बहुत अधिक इस विषय में नहीं कर सकते हैं कि धनिकों से उनका अधिक धन हम ले लें। इसके साधन हमारे पास सीमित हैं। उसकी कोशिश की जायगी, उधर भी हमारा ध्यान जा रहा है। लेकिन इस योजना को पूर्ण करने के काम में हर एक से हम सहयोग चाहते हैं, बलिदान चाहते हैं और इसलिये चाहे जितना भी अप्रिय यह कार्य हो सरकार इसे करने के लिये मजबूर हुई है। बड़ी प्रसन्नता से हम यह कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हमारे कामों से लोग नाराज़ हों, कोई भी साधारण बुद्धि का आदमी यह पसन्द नहीं कर सकता। लेकिन जब बच्चा बीमार है तो उसको कड़वी दवा देनी पड़ती है, माता पिता अपना हृदय कड़ा कर के, बच्चे की बीमारी ज्यादा न बढ़े, दवा देते हैं। मैं कोई अतिरंजन नहीं कर रहा हूं। जिनके सामने जरा भी फैक्ट्स एंड फीगर्स इस प्रदेश के हैं वे इससे इनकार नहीं कर सकते कि हमारा उत्पादन जिस अनुपात से बढ़ना चाहिये उस अनुपात से वह नहीं बढ़ रहा है। हर कोई चाहता है कि हमारी सड़कें, पुल और स्कूल बढ़ें, मास्टरों की तनख्वाहें ज्यादा हों, लेकिन सबसे पहले हमारे लिये जरूरी है कि देश का उत्पादन बढ़े और उसे बढ़ाने के वास्ते हर सम्भव साधन इकट्ठे करने चाहिये। तभी हम बढ़ती हुई आबादी के प्रश्न पर काबू पा सकेंगे। अगर हम यह नहीं करते हैं तो परिणाम यह होगा कि आबादी बढ़ती जायगी और हमारी राष्ट्रीय सम्पत्ति अधिक बढ़ेगी नहीं या कम बढ़ेगी और हमारा जीवन स्तर गिरता चला जायगा। आज यह पीढ़ी अगर त्याग नहीं करना चाहेगी तो हमारी आने वाली सन्तान कहेगी कि हमारे बूढ़े बहुत ही अदूरदर्शी थे। इसलिये अप्रिय होते हुये भी हमें यह बरदाश्त करना पड़ेगा।

हमने कोशिश यह की है कि जहां तक सम्भव हो सके हर किसी से इस पवित्र काम में सहयोग और बलिदान लें। लिहाजा शहर की ओर भी हमारी दृष्टि गयी और वहां हम लोगों ने इस कर को लगाने का निश्चय किया। यह विधेयक बहुत ही सीधा सादा है। जो भी इसमें कहा गया है बहुत साफ है। दो, तीन प्रश्न इसके अन्दर हैं कि मकानों पर कर लगाया जाय। एक छोटा हिस्सा यह भी है कि जो जमीनें पड़ी हुई हैं, जिनकी कीमत बढ़ती जा रही है, उनसे भी कर कुछ मिल सके तो लेना चाहिये। इसमें मकानों पर कर लगाने की व्यवस्था है कि कहां तक लगाया जाय। हमने यह आज्ञा सदन की मांगी है कि जो भी कर लगायेंगे वह

[श्री विचित्रनारायण शर्मा]

१० प्रतिशत से कम होगा। इसके बाद किस प्रकार से लगाया जाय इसकी व्यवस्था की गई है। इसके लगाने में कोई भूल हुई हो तो अपील हो सकती है और अगर कोई गलती हो गई है तो उसकी दुरुस्ती की जा सकती है। बहुत थोड़ी सी बातें इस विधेयक में हैं और ऐसी हैं जिन पर यदि हम शान्तिपूर्वक बैठ कर सदन में विचार करें तो विचार कर सकते हैं और मेरा यह अनुरोध है कि सदन इस प्रस्ताव को स्वीकार करे और इसके ऊपर विचार करे। इन शब्दों के साथ में प्रार्थना करता हूं कि सदन इसकी अनुज्ञा दे कि इसके ऊपर विचार किया जा सके।

श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)--उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन उपस्थित करता हूं कि—

"उत्तर प्रदेश (नागर क्षेत्र) भूमि और भवन कर विधेयक, १९६२ इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय जो १५ दिन के अन्दर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे (प्रवर समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे।)"

उपाध्यक्ष महोदय, यह सही है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के लिये साधनों की आवश्यकता है जिसको जुटाने के लिये भिन्न-भिन्न स्रोत ढूंढे जायंगे और यह सरकार उसी में लगी हुई है। उनके सम्बन्ध में तरह-तरह के विधेयक सदन में प्रस्तुत हो रहे हैं उन्हीं कर विधेयकों की शृंखला में यह विधेयक भी है। मैंने यह प्रस्ताव इसलिये रखा है कि हमारा यह अनुभव है कि बहुत से मसले ऐसे होते हैं, जिनमें सरकार में और विरोधी पक्ष में, सदन में बैठकर सहमति नहीं हो पाती। लेकिन कमेटी में कुछ संशोधनों और परिवर्द्धनों के साथ हो जाती है यह विधेयक जो टैक्सेज के सम्बन्ध में है, यह भी ऐसा है कि जिसको अगर कमेटी में भेजा जाय तो कुछ संशोधनों और परिवर्द्धनों के साथ एग्रीमेंट हो सकता है। मैं चाहता था कि मैं इस बिल का स्वागत करूं, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जिनके रहते हुए स्वागत नहीं किया जा सकता और उन बुराइयों को, जिनको मैं बुराई समझता हूं, दूर करने के लिये, इस सदन में गम्भीरतापूर्वक विचार नहीं हो सकता है। इसलिये मैं सोचता हूं कि एक कमेटी जिसमें कुछ इधर के और कुछ उधर के लोग हों, इस विधेयक पर गहराई से विचार करें और इसकी खामियों को निकालने की कोशिश करें ताकि दोनों पक्षों में सामंजस्य पैदा किया जा सके और दोनों पक्षों की राय से विधेयक पारित किया जा सके।

श्रीमन्, मैंने यह कहा कि मैं चाहता था कि इस विधेयक का स्वागत करूं इसलिये कि इस विधेयक के उद्देश्य में लिखा हुआ है कि—

"नगरों और शहरों के बढ़ते हुए महत्व को और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि राज्य सरकार को अपेक्षाकृत अधिकाधिक उत्तरदायित्व वहन करना होगा, यह उचित समझा गया है कि समाज के पूर्ण लाभ के लिये नागर क्षेत्रों में स्थित भूमियों या भवनों अथवा दोनों के पूंजीगत मूल्य पर कर आरोपित किया जाय।"

जब मैंने उन उद्देश्यों में यह पढ़ा कि नागर क्षेत्र में स्थित भवनों या जमीनों पर कर निर्धारित किया जाय तो मेरे मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि शायद यह बिल उन मकानों और जमीनों के धनी मालिकों पर कर लगाने के लिये आया है जिन के मकानात या जमीनें शहरों में हैं। मन्त्री जी अभी कह रहे थे कि वह यह नहीं चाहते कि उन लोगों पर टैक्स लगाया जाय जिनको टैक्स देने में तकलीफ हो। वह चाहते हैं कि टैक्स उन पर लगाया जाय जिनको टैक्स देने में तकलीफ न हो। मैंने सोचा शायद यह टैक्स शहर के उन बड़े-बड़े आदमियों पर होगा जिनको टैक्स देने में तकलीफ नहीं होगी। लेकिन जब मैंने इस विधेयक के अन्दर सब बातें देखीं तो मुझको एक धारा ५ ऐसी मिली जिसमें मकान मालिकों को यह सहूलियत दी गई है कि अगर किसी मकान पर टैक्स लगाया जाय तो मकान मालिक उस टैक्स को उस मकान में रहने वाले

किरायेदार से वसूल कर लेगा। इसका मतलब यह हुआ कि कोई भी चाहे जितना बड़ी हैसियत का मकान मालिक हो, अगर उसका मकान किराये पर उठा है और उस मकान पर टैक्स लगाया जाता है, तो मकान मालिक को नहीं पड़ेगा बल्कि किरायेदार पर पड़ेगा। इस धारा के रहते हुए यह टैक्स उन गरीबों को देना पड़ेगा जिनको मन्त्री जी के मतानुसार टैक्स देनें में तकलीफ होगी।

आज छोटे-छोटे कर्मचारी शहरों में आकर सर्विसेज के सिलसिले में रहते हैं। बहुत से मजदूर बाहर से आकर शहरों में मजदूरी का काम करते हैं और किराये के मकानों में रहते हैं। इस धारा के रहते हुए जिन मकानों में वह रहते हैं, उन पर लगा हुआ टैक्स मालिक मकान को न देना पड़ेगा, चाहे वह कितना ही बड़ा क्यों न हो, बल्कि उस छोटे कर्मचारी और मजदूर को देना पड़ेगा जो उस मकान में रहता है। इसलिये इस धारा के रहते हुए, मैं इस विधेयक का स्वागत नहीं कर सकता। आवश्यकता यह है कि इसमें परिवर्तन किया जाय। अगर सरकार की मंशा यह है कि उन बड़ी-बड़ी कोठियों जिनका सैकड़ों रुपया किराया आता है उनके मालिकों पर टैक्स लगाया जाय तो मैं इसका स्वागत करूंगा। लेकिन अगर उनका मंशा यह है कि बड़े-बड़े आदमियों को तो छूट दे दी जाय लेकिन उनके मकानों में रहने वाले छोटे-छोटे कर्मचारियों और मजदूरों पर टैक्स लगाया जाय, तो मैं इसका विरोध करूंगा। मैं नहीं जानता कि सरकार का क्या मंशा है। इसलिये मैं चाहता हूं कि इस बिल को कमेटी में भेज दिया जाय। वहां पर बैठ कर विचार हो और अगर यह धारा इस बिल के उद्देश्यों को पूरा नहीं करती है तो इसमें परिवर्तन किया जाय। तब हम विश्वास दिलाते हैं, इस बिल का हम स्वागत करेंगे। इसीलिये मैंने यह संशोधन रखा है।

जहां तक टैक्स के रेट का सवाल है, माननीय मन्त्री जी ने कहा कि टैक्स का रूप यह रखा है कि वह दस प्रतिशत से ज्यादा न हो, दस प्रतिशत उस मकान या जमीन को पूंजीगत लागत का जो इस टैक्स को लगाने के लिये मानी जाय। इस सम्बन्ध में जो प्राविधान किया गया है उसके अनुसार राज्य सरकार अपने हाथ में यह शक्ति लेना चाहती है कि वह जिस समय भी चाहे गजट में विज्ञप्ति द्वारा यह निर्धारित कर दे कि वह कितने परसेंट टैक्स लगायेगी। यह अधिकार ऐसा है, जो बहुत बड़ा अधिकार है। इस सदन को यह अधिकार है और वह निश्चित करे कि किस रेट से कितना टैक्स लगाया जाय। यह बड़ा अधिकार मैं नहीं चाहता कि सरकार को दिया जाय कि वह जब चाहे मनमाने ढंग से टैक्स की दरों को बिना सदन की अनुमति प्राप्त किये घटा बढ़ा सके। इस विधेयक के जरिये से या इसके मातहत बनने वाले नियमों के जरिये से यह स्पष्टतया निश्चित होना चाहिये कि कितना प्रतिशत टैक्स किस पूंजीगत लागत पर लगाया जाय।

दूसरी बात मान्यवर, जहां तक रेट्स का सवाल है इसमें यह भी प्राविधान कुछ होना चाहिये कि मकान की हैसियत या मकान मालिक की हैसियत की कुछ कैटेगरीज बनानी चाहिये क्योंकि सबको एक लेविल पर रख लिया गया तो यह उनके साथ अन्याय होगा। इसकी कुछ कैटेगरीज बनानी होंगी, कुछ श्रेणियां बनानी होंगी कि किस श्रेणी की पूंजी पर कितना टैक्स लगाना होगा। हमको यह निश्चित कर देना चाहिये कि अमुक श्रेणी तक या अमुक पूंजी तक हम इतना टैक्स लगायेंगे। उसके ऊपर अगर वह पूंजी बढ़कर इतनी होती है तो टैक्स की शरह यह लगायेंगे और उससे आगे यह होती है तो टैक्स की शरह यह होगी। इसके साथ-साथ हमको यह भी निश्चित करना चाहिये कि किस पूंजी तक के मकान को हम इससे मुस्तसना कर दें क्योंकि कुछ मकान ऐसे भी होंगे जिन पर कि सरकार खुद चाहेगी कि टैक्स न लगावें और जिन पर टैक्स लगाना न्यायसंगत न होगा। कुछ मजदूर पेशा लोग शहरों में रहते हैं जिनके छोटे-छोटे मकान हैं या जो अपनी छोटी-छोटी झोपड़ियों में गुजर करते हैं। अगर उनको एग्जेम्प्ट न किया गया तो यह उनके साथ अन्याय होगा। इसलिये पूंजी के सम्बन्ध में एक तादाद भी मुकर्रर करनी चाहिये कि किस तादाद तक हम एग्जेम्प्शन देते हैं और उसके बाद श्रेणी बनानी चाहिये कि किस श्रेणी तक कितना टैक्स लगायेंगे। इसमें एग्जेम्प्शन की बात शायद धारा ६ में कही गई है कि

[श्री भीखालाल]

कुछ श्रेणी होगी जिनको कि एग्जम्प्ट किया जायगा और धारा ६ की उपधारा (३) में यह कहा गया है कि सरकार कुछ एक निश्चित पूंजी के मकानों को एग्जम्प्ट करेगी, शायद उसकी यही मंशा है। लेकिन मेरा ऐतराज यह है कि उस अधिकार को सरकार अपने हाथ में लेना चाहती है। उसको वह बाद में विज्ञप्ति द्वारा प्रकाशित करेगी कि किस तादाद तक वह मुस्तसना करना चाहती है। मेरा कहना यह है कि यह भी एक इस विधेयक के सम्बन्ध में बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जिस पर इस सदन में विचार होना चाहिये। इसका प्राविधान इस विधेयक में होना चाहिये कि किस तादाद तक की पूंजी के मकान को वह एग्जेम्प्शन दिया जायगा या अगर विधेयक में यह प्राविधान नहीं किया जा सकता है तो उसके अन्तर्गत बनने वाले नियमों में यह प्राविधान होना चाहिये कि यह अधिकार ऐसा है कि जिसको सरकार को नहीं देना चाहिये क्योंकि उसमें सरकार अपनी मंशा से अपनी आज्ञा से किसी वक्त भी परिवर्तन कर सकती है जबकि इस सदन को यह अधिकार है कि वह उस पर विचार करे और अगर उसमें कुछ परिवर्तन करना है या सीमा को कुछ घटाना या बढ़ाना है तो सदन विचार करके घटाये या बढ़ाये। इसलिये यह अधिकार सरकार जो अपने हाथ में लेना चाहती है वह उसे नहीं देना चाहिये और उस पर बैठकर विचार होना चाहिये कि इसको किस तरह से विधेयक में या नियमों में रखा जाय।

इसके साथ-साथ एक बात और कहनी है कि यह टैक्स म्युनिसिपैलिटीज, कबाल टाउन्स, नोटीफाइड एरिया और टाउन एरिया सभी नागर क्षेत्रों में लगने जा रहा है। यह सभी जानते हैं कि अगर किसी एक मकान की कीमत या हैसियत एक छोटे से टाउन में कुछ है तो उतनी ही हैसियत के मकान की कीमत म्युनिसिपैलिटी या कबाल टाउन में ज्यादा होती है। अगर उनके ऊपर एक ही फ्लैट रेट से टैक्स लगाया गया तो कस्बों के मकानों के प्रति या उनके मकान मालिकों के प्रति या उनके आक्यूपेंट्स के प्रति यह अन्याय होगा। इसलिये जहाँ तक शहर का सवाल है इसमें भी कैटेगरीज होनी चाहिये कि टाउन एरिया के अन्तर्गत शरह क्या होगी, नोटीफाइड एरिया के अन्तर्गत शरह क्या होगी और म्युनिसिपैलिटीज या कबाल टाउन्स के अन्दर शरह क्या होगी? क्योंकि हर टाउन में मकानों की हैसियत को देखते हुए उनकी शरह या उनकी कीमत बढ़ती है। उनकी कीमत को देखते हुए टैक्स की शरह भी बढ़नी चाहिये। इसलिये मेरा यह सुझाव है कि मकानों की श्रेणी मुकर्रर होनी चाहिये। इसी कारण से मैं चाहता हूं कि जब इसकी गहराई पर हम विचार करेंगे और इस सम्बन्ध में विचार करेंगे कि क्या श्रेणियां मुकर्रर की जायं तो उस समय गम्भीरतापूर्वक इस सदन में विचार नहीं हो सकता। इसके ऊपर यदि हम कमेटी में बैठकर ठंडे दिल से विचार करेंगे तो वहाँ पर हम विचार करके इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। इसलिये मेरा यह सुझाव है कि इसको सेलेक्ट कमेटी में भेजा जाय।

इसके अलावा इसमें यह प्राविधान भी है कि अगर मकान से अनुलग्न, मकान से सम्बन्धित जमीन छूटी हुई है और वह एक एकड़ से ज्यादा है तो वहाँ उस पर टैक्स लग जायगा। एक एकड़ जमीन तक छूट दी है जो मकान के सम्बन्ध में इधर उधर पड़ी है। इस सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह जमीन, जो मकान के लिये सहन के रूप में या फुलवाड़ी के रूप में या गार्डन के रूप में या लान के रूप में रखी जाती है वह हर मकान में नहीं होती है और न हर मकान मालिक ऐसे लान या फुलवाड़ी को मेन्टेन कर सकता है। ये लान या फुलवाड़ी आमतौर से बड़ी-बड़ी कोठियों में ही हुआ करती हैं। यह जाहिर है कि बड़े-बड़े मकान या बड़ी बड़ी कोठियों के मालिक छोटे लोग नहीं हुआ करते हैं। वे बड़े लोग और पैसे वाले लोग हुआ करते हैं। मेरा इस सम्बन्ध में आपसे यह निवेदन है कि इन सारी कोठियों के सम्बन्ध में जो जमीन पड़ी हुई है या बाहर की तरफ उनमें जमीन पड़ी हुई है, उन पर भी टैक्स लगाने की जरूरत है। उनमें एग्जम्प्शन न रखा जाय। अगर कोई खाली जमीन पड़ी है तो उसमें टैक्स लगाने की जरूरत है या अगर मकान के सहन के अन्दर वह है या फुलवाड़ी के रूप में इस्तेमाल होती है तो हम जो यह एक एकड़ की छूट देने जा रहे हैं चाहे उसका मालिक कितना ही छोटा हो उस

पर भी टैक्स लगना चाहिये। कोठियों के मालिक बड़े आदमी होते हैं उनके लिये एक एकड़ की छूट देना मैं समझता हूं न्याय संगत नहीं है। इस एक एकड़ की लिमिट को भी घटाना चाहिये क्योंकि वे कोठियाँ ऐसे आदमियों की हैं जो बड़े लोग हैं और पैसे वाले लोग हैं। उनको टैक्स देना पड़ेगा। वे कोठी वाले बड़े लोग हैं और उनको टैक्स देने में कोई दिक्कत नहीं होगी। उनको कोई दुख नहीं होगा। मैं यह समझता हूं कि इस सीमा को घटाना चाहिये। उन पर यदि कुछ टैक्स बढ़ता है तो उनको दुख नहीं होना चाहिये क्योंकि उनक अन्दर देने की क्षमता है। इसके अलावा उन जमीनों पर जो खाली पड़ी हैं अगर वह ऐसे लोगों की है जो गरीब हैं, जो निर्धन हैं और अपनी निर्धनता के कारण मकान नहीं बना सकते हैं या उनके पास साधन नहीं हैं तो उनको कुछ छूट देनी चाहिये। इस बिल के अन्दर इन चीजों का प्राविधान नहीं है। यह सब बातें ऐसी हैं, जिनके रहते हुए यह विधेयक दोषपूर्ण है और उन दोषों के रहत हुए हम इस विधेयक का स्वागत नहीं कर सकते हैं। इसलिये हम चाहते हैं कि इन सब चीजों पर विचार होना चाहिये और ठंडे दिल से विचार होना चाहिये। इन तमाम दोषोंको दूर करने के बाद एक अच्छा बिल इस सदन के सामने आये ताकि दोनों पक्ष इस पर अपनी सहमति प्रकट कर सकें। इस आशय स मैंने यह संशोधन रखा है कि यह बिल सेलेक्ट कमेटी में भेजा जाय, जिसमें दोनों पक्ष के लोग बैठकर विचार करें और ठंडे दिल से विचार करें और वह अपना प्रतिवेदन १५ दिन के अन्दर सदन में प्रस्तुत करें और यह सदन फिर उस पर विचार करे। मैं समझता हूं कि इस संशोधन के द्वारा जो मैंने अपनी माँग रखी है उस पर सदन गम्भीरतापूर्वक विचार करेगा और इस को प्रवर समिति में भेजे जाने की स्वीकृति प्रदान करेगा।

श्री उपाध्यक्ष—मैं माननीय सम्बन्धित सदस्यों से यह अर्ज करना चाहता हूं कि प्रवर समिति में रेफर करने के लिये चार प्रस्ताव रखे गये हैं और वे सब एक से ही हैं। उसमें जिन लोगों के संशोधन हैं, उनको बोलने का मौका मिलेगा। दूसरी बात यह कि केवल एक प्रस्ताव में परिधि बढ़ाने की बात है। उसको मैं एलाऊ कर दूंगा, बाकी छोड़ दिये जायं।

(श्री रतीपाल का नाम पुकारने पर)

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)—माननीय रतीपाल जी न लिख कर भिजवा दिया है कि उस प्रस्ताव को मैं पेश करूंगा।

श्री उपाध्यक्ष—तो ठीक है। आप पेश कर दीजिये।

*__श्री राधेश्याम शर्मा__—आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश (नागर क्षेत्र) भूमि और भवन कर विधेयक, १९६२ को सदन की एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाय, जिसे परिधि बढ़ाने का भी अधिकार हो और जो अपनी रपट १० दिन के अन्दर सदन के समक्ष प्रस्तुत करे। (समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे।)

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने मन्त्री जी की बात सुनी। श्रीमन्, मैं हर विधेयक के सम्बन्ध में अपनी समाजवादी पार्टी का प्रोग्राम रखना चाहता हूं। पहली बात यह है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के नाम पर यह टैक्स लगाया जायगा और समाजवादी पार्टी डट कर इसका विरोध करेगी सदन में और बाहर भी। समाजवादी पार्टी ८ करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व करती है, उसकी क्षमता रखती है और उसकी दृष्टि में सरकार में जनता को एक क्षण भी विश्वास नहीं है। इसमें विश्वास नहीं है कि यह सरकार तृतीय योजना के नाम पर स्वर्ग बनाने जा रही है। मेरा विरोध व्यक्तिगत है। मन्त्री जी कह रहे थे कि जिस तरह से माँ और बाप बेटे को कड़वी दवाई देते हैं और उसे वह पीनी पड़ती है, उसी तरह से तृतीय योजना को सफल बनाने के लिये यह कड़वी दवाई टैक्स के रूप में दी जा रही है। इससे मैं अपने शब्दों में इस प्रकार कहना चाहता

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राधेश्याम शर्मा]

हूं कि आपने अपने १५ साल के शासन में इतनी कड़वी दवा के घूंट दे दिये हैं कि जनता अब अधिक कड़वे घूंट सहन करने के लिये तैयार नहीं है। डाक्टर बतलायेंगे कि अधिक औषधियों की भरमार करने से मरीज मर जाता है। अब टैक्स रूपी औषधि की भरमार हो गयी है और अब अधिक टैक्स लगाने से ८ करोड़ जनता अधिक दिन बच नहीं सकती ।

श्रीमन्, अब सरकार की निगाह नागर क्षेत्र की जमीनों और मकानों पर गयी है। वह जाना चाहिये, कोई बड़ी बात नहीं है। सरकार तो देखती रहती है कि कहाँ से टैक्स वसूल किया जाय और कितनी तादाद में लिया जाय, लेकिन उसका उपयोग किस प्रकार होता है इस ओर उसकी निगाह कभी नहीं जाती। श्रीमन्, यदि यह टैक्स कोठी वालों पर लगाया जाय तो मुझ कोई परवाह नहीं, लेकिन यदि यह उन लोगों पर लगाया जायगा कि जिनके पास एक ही मकान है तो उनकी बड़ी मुसीबत होगी। मुझे मालूम है कि नगरों में क्या हालत है और अगर उन पर एक नया पैसा भी टैक्स लगाया जायगा तो समाजवादी पार्टी उसका डट कर मुकाबला करेगी। शहरों में गरीब लोगों के पास अपने रहने के लिये कोई ठीक व्यवस्था नहीं है, जब उनसे और अधिक टैक्स लगाया जायगा तो पता नहीं उनकी क्या हालत होगी। जो जमीनें बेकार पड़ी हैं और जिनकी कीमत बढ़ती जा रही है अगर उनके मालिकों के पास एक मकान बनाने से ज्यादा जमीन हो तो जरूर उनसे टैक्स लिया जाय। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि पाँच आदमी जिस परिवार में रहते हैं और जिनके पास एक ही मकान है या उतनी ही जमीन है, उनको इस विधेयक के अन्तर्गत न छेड़िये। यदि आप उन्हें छेड़ेंगे तो समाजवादी पार्टी यह कहेगी कि आप बड़े लोगों पर टैक्स लगाने की आड़ में उन गरीब लोगों को बर्बाद करना चाहते हैं जिनकी क्षमता टैक्स देने काबिल कतई नहीं है। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि माननीय मन्त्री जी बड़े स्पष्ट ढंग से जब कभी वे सुनते हैं, तो वे दलील इस तरह से रखते हैं कि जनता थोड़ी खुश हो जाय। परन्तु उन्हें जनता की आहों का भी खयाल रखना चाहिये। वे अपनी दलील जनता के सामने इसलिये ऐसे ढंग से रखते हैं कि वे जनता में भी पकड़ में न आ सकें। उनकी चतुराई का मैं एक उदाहरण देता हूं। जब हम कहते हैं कि जनता भूखों मर रही है तो वे कहते हैं कि हाँ, मैं इससे ज्यादा कहता हूं कि वह भूखों मर रही है। इस तरह की वे दलील देते हैं जो कि फटे पर पेवन्द लगाने के समान होती है। यह तो आप जनता की बातें पकड़ते हैं और सरकारी दृष्टिकोण जनता के दृष्टिकोण से भिन्न रखते हुए एक समन्वय करते हैं। यह तो आपकी बातों की चतुराई है। परन्तु जहाँ तक टैक्स लगाने की बात है, तो उसका आप जवाब नहीं दे सकते हैं, उसकी आप में क्षमता नहीं है कि आप जनता को इसका उत्तर दे सकें।

मैं यह कहूंगा कि जिन लोगों के पास एक मकान है और ५ आदमी परिवार के उसमें रहते हैं उस पर आप कोई टैक्स न लगाइये। जिनकी जमीन १ मकान के लिए पड़ी हुई है और जिसपर लोग रुपया न होने के कारण मकान नहीं बना पाते हैं, उनको आप छोड़ें। परन्तु जिनके पास २–४ मकान हैं उन पर आप टैक्स अवश्य लगाइये। मैं आपको नहीं रोकूंगा। जैसा कि माननीय भीखालाल जी ने कहा कि जो एक एकड़ भूमि वाले हैं, उनके ऊपर तो आप टैक्स लगा रहे हैं परन्तु जो कोठी वाले हैं उनको आप छोड़े दे रहे हैं। यह बड़ा अन्याय है। आप इन कानूनों के जरिये से गरीब जनता का दिवाला निकाल देना चाहते हैं। यह आपके ऊपर बड़ा भारी इल्जाम है। आप कड़वी दवायें अधिक न दें। ज्यादा दवा देने से मरीज मर जाता है। आप तो गांधीवादी विचारधारा के मानने वाले हैं। परन्तु वह विचारधारा तो प्राकृतिक चिकित्सा के सिद्धान्तों पर आधारित है। आप इन दोनों में कैसे सामञ्जस्य स्थापित करेंगे? यह तो हम जानते ही हैं कि इस सदन में हम चाहे कितनी ही बढ़िया बात कहें परन्तु आप उसको नहीं मानेंगे। मैं यह कहूंगा कि जो टैक्स देने काबिल नहीं हैं और जिन लोगों के घरों में एक वक्त चूल्हा नहीं सुलगता है, उनसे कुछ टैक्स न लिया जाय। शासन से लड़ने के लिए भी जनता के अन्दर बहुत बड़ी ताकत होनी चाहिए। पर हमारी जनता कमजोर है।

यदि जनता ने जनतंत्र को इस देश में समझ लिया होता तो आप जो रोज-रोज टैक्स लगाने की बात करते हैं, तो शायद जनता विधान सभा के दरवाजे पर प्रदर्शन करती और आप को घेरती। मैं तो यही कहूंगा कि आप गलत कानून, गलत विधेयक, पास करने जा रहे हैं। जो प्रगतिशील देश हैं, वहां ऐसी सरकारें जनता की कमजोरी से फायदा उठा कर नहीं कर पाती हैं। हमारी जनता संगठित नहीं है, वह अशिक्षित है। इसलिए आप जो चाहे अनाप-शनाप टैक्स लगा लें। यह मैं मानता हूं कि आप की नीयत भले ही जनता को तबाह करने की न हो परन्तु यह न होते हुए भी यह ठीक नहीं है। यदि जनता समर्थ होती तो आपके आगे, पार्लियामेंट के आगे, लोकसभा के आगे प्रदर्शन करती। परन्तु वह अशक्त है। परन्तु आज जनता परेशान है। मैं इस वादविवाद को ज्यादा नहीं बढ़ाना चाहता हूं। मैं माननीय मंत्री जी से यही निवेदन करूंगा और जैसा कि स्वाभाविक है आप की जितनी बुद्धि है, उसके आधार पर आप टैक्स लगायेंगे। पर मैं यह आपसे कहूंगा कि आप एक मकान वालों पर या जिनकी एक मकान के लिए थोड़ी जमीन पड़ी है, उनको छोड़ कर आप यह टैक्स लगायें। फिर मुझे कोई परवाह नहीं है और न विरोध ही है।

अन्त में इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगा और यही निवेदन करूंगा कि इसे प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय, जिसमें दोनों ओर के माननीय सदस्य रहें। वहां इस पर गम्भीरत पूर्वक विचार हो जाय। इस सदन में बड़ी कशमकश है। कहीं संख्या कम है और कहीं ज्यादा है। अपनी-अपनी पार्टियों की प्रतिष्ठा का प्रश्न भी आ जाता है। वहां पर गम्भीरता से इस पर विचार हो सके और इसकी रिपोर्ट सही ढंग से सदन में आ सके तब जाकर माननीय मंत्री जी, इस विधेयक को लाइये। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

एक सदस्य—जब से इस हाउस में आया हूं, आपने कभी बोलने का मौका नहीं दिया।

श्री उपाध्यक्ष—आप को आज मौका मिलेगा।

*श्री बालोजी अग्रवाल (जिला आगरा)—अध्यक्ष महोदय, योजना के नाम पर जनता पर कर लगाने का यह तीसरा विधेयक सरकारी पक्ष ने आज सदन में उपस्थित किया है। माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि टैक्स उन्हें लगना चाहिए जो देने के योग्य हों। लेकिन यदि इस बिल का प्रभाव केवल उसी जनता पर पड़ता जो कि हमारे सरकारी पक्ष की निगाह में समर्थ हैं तो मैं समझता हूं कि इसका विरोध सदन में न होता, लेकिन पढ़ने से यह भी मालूम होता है कि इसका असर....

एक सदस्य—दो माननीय सदस्य मेरे अन्दाज से सो रहे हैं।

श्री बालोजी अग्रवाल—इस बिल का असर तमाम उस जनता पर भी पड़ता है जो आज टैक्स देने में समर्थ नहीं है, जो कि अपना पेट नहीं पाल सकती है। इस टैक्स को मकान मालिक किरायेदार से वसूल करेगा, इस विधेयक में है। तो ८० परसेंट शहरों में रहने वाली जनता जो कि किराये के मकानों में रहती है वह प्रभावित होगी और २० परसेंट जो कि मकान मालिक या पूंजीपति हैं वह नहीं होंगे।

मंत्री महोदय ने अभी कहा कि जब हम टैक्स लगाते हैं तो प्रसन्नता नहीं होती है, दुःख होता है। मैं मानता हूं कि उनके दिल में ऐसा होता होगा, लेकिन अगर पूंजीपतियों पर टैक्स लगना है तो अधिक होता होगा, इसीलिए ऐसे बिलों को नहीं लाते हैं जिनका सीधा असर पूंजीपतियों पर पड़ता हो। वह ऐसा लाते हैं जिनका असर गरीबों पर किसी न किसी रूप में पड़ता है। शहरों में जहां महापालिकाएं हैं वहां २८ परसेंट टैक्स महापालिका को देते हैं और २५ परसेंट तक कर सकते हैं, यह छूट है। १० फीसदी तक टैक्स लग सकता है, इस तरह से ३५ परसेंट हो जाता है। तहबाजारी, डेवलपमेंट टैक्स, ड्रेनेज टैक्स देन पड़ता है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री बालोजी अग्रवाल]

और भी जितने टैक्स हो सकते हैं महापालिकाओं के, टाउन एरियाओं के और नोटिफाइड एरियाओं के और नगरपालिकाओं के वह शहर की जनता को देने पड़ते हैं और उनके ऊपर और बिल के द्वारा टैक्स बढ़ाया जा रहा है। बलिदान की बात कही जाती है, समय-समय पर हम सरकारी पक्ष की ओर से सुनते हैं। मैं स्पष्ट रूप से पूछना चाहता हूं कि किस प्रकार का बलिदान वह चाहते हैं। आज गरीब जनता, मध्यमवर्गीय, नौकरी पेशा और मजदूर जनता जो फटे चिथड़े पहनते हैं कपड़ों के नाम पर, क्या उनका बलिदान चाहते हैं? उनका जो केवल एक समय चूल्हा जलता है, खाने को नहीं मिलता, क्या उनका एक समय भी चूल्हा न जले, यह बलिदान चाहते हैं? जिनके बच्चों को दूध नहीं मिलता है, दवायें नहीं मिलती हैं और जिनके अभाव में उनके बच्चे बिलख-बिलख कर मर जाते हैं, क्या उनसे उससे भी अधिक त्याग और बलिदान आप चाहते हैं? आज यह बता दिया जाय कि आप योजना के नाम पर किस चीज का त्याग और बलिदान चाहते हैं ताकि हम जनता में जाकर कह सकें कि इस चीज का त्याग और बलिदान करो। माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह कहा कि हमने तो जनता से कहा था कि १९६२ के चुनाव में कि त्याग और बलिदान करो। हमारे कहने पर भी जनता ने हमें बहुमत में भेजा है और जनता इस पक्ष में है कि हम टैक्स लगायें, उनकी यह बात सरासर गलत है। सरकार ने चुनाव में अपने भाषण में कभी नहीं कहा कि हम योजनाओं के नाम पर और टैक्स लगायेंगे। आपने उस समय यह नहीं कहा था कि हम टैक्स लगायेंगे, हम को वोट दो। विरोधी पक्ष के कई सदस्यों ने कहा है कि हम त्याग पत्र देने को तैयार हैं, टैक्स के नाम पर आप चुनाव लड़कर देखिये, उससे जनमत मालूम हो जायेगा। अगर सरकार का यह विश्वास है कि जनता को यह विश्वास था कि हम टैक्स लगायेंगे, और इसी विश्वास में जनता ने हमें बहुमत में भेजा है तो फिर सरकार क्यों नहीं इस बिल को जनमत संग्रह के लिये भेज देती है, ताकि जनमत मालूम हो जाय। आप इसको जनमत के लिये भेज दीजिये, जनता की राय स्पष्ट मालूम हो जायेगी।

इस बिल में सरकार ने १० प्रतिशत तक टैक्स लगाने का अधिकार लिया है। पहले कम लगायेंगे, फिर बढ़ाते चले जायंगे। छूट देने की बात भी कही गयी है, जिसको सरकार समय-समय पर उचित समझे। लेकिन वह चीज भी इस बिल में स्पष्ट नहीं है। वह स्पष्ट होनी चाहिये।

एक गरीब आदमी किसी प्रकार से अपने बच्चों का पेट काट कर अपने रहने के लिये झोपड़ी बनाता है। थोड़ी वह पूंजी इकट्ठी करता है और कुछ कर्जा आदि लेता है, और यह सब करके, तमाम परेशानी उठा कर वह झोपड़ी खड़ी करता है अब उनसे भी यह सरकार टैक्स लेना चाहती है।

श्री उपाध्यक्ष--आप बार-बार एक ही बात को कह रहे हैं। जल्दी अपना भाषण समाप्त करें।

श्री बालोजी अग्रवाल--इस बिल से यह बात स्पष्ट है कि सरकार अमीर आदमियों पर टैक्स न लगा कर, किसी न किसी प्रकार, येनकेन प्रकारेण, गरीब जनता पर ही टैक्स लगा रही है। उसका हम विरोध करते हैं। जनता इसके पक्ष में है या नहीं, यह जानने के लिये इस बिल को जनमत संग्रह के लिये भेज दिया जाय और इसी के लिये मैंने अपना संशोधन रखा है। यही मेरी प्रार्थना है।

*श्री जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट (जिला बरेली)--आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी जिस तरह से यह बिल प्रस्तुत किया गया है उसका स्वागत करने में असमर्थ हूं। मान्यवर, मैं ऐसा समझता हूं कि जिस बिल को माननीय मंत्री जी ने बहुत सीधा सादा बतलाया है उसका

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

असर झोपड़ियों से लेकर बड़े से बड़े पूंजीपति तक पड़ता है। इसलिये यह बिल प्रदेश की नगर की जनता को हिलाकर रहेगा। जब मैं यह कहता हूं कि मैं इस बिल का स्वागत नहीं कर सकता, तो मैं यह प्रत्यक्ष कहना चाहता हूं कि मैं उनमें से नहीं हूं जिनका यह विश्वास है कि आज प्लान को पूरा करने के लिये हमें कोई टैक्स नहीं लगाना चाहिये या टैक्स की दर नहीं बढ़ानी चाहिये।

एक सदस्य—ऐसे बहुत कम लोग हैं।

श्री जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट—इस तरफ़ मेरे माननीय मित्र कह रहे हैं कि ऐसे बहुत कम लोग हैं। ठीक है। परन्तु मेरा तो यह निवेदन है कि आज के युग में अगर कोई माननीय सदस्य यह कहें कि कर न बढ़ना चाहिये और न उसके रेट में कोई फ़र्क होना चाहिये, वह या तो जानबूझकर अपने को भुलावे में रख रहे हैं या उनके सामने लक्ष्य अपनी पार्टी का प्रोपेगेण्डा करना है यह समझ कर कि राज्य का दायित्व कभी उन पर आवेगा नहीं, या वह जिस पार्टी के हाथ में राज्य का उत्तरदायित्व है उसे जानबूझ कर बुरा कहना चाहते हैं।

मान्यवर, मैं एक नगर क्षेत्र का प्रतिनिधि हूं। इस नाते मैं यह भी कहने के लिये तैयार नहीं हूं कि जब सारे प्रदेश से तृतीय पंचवर्षीय योजना के लिये, उसके लक्ष्यों की पूर्ति के लिये, आह्वान किया जा रहा है उस समय मैं यह कहूं कि नगर को उससे क़तई मुक्त कर दिया जाय और नगरों के निवासी उसमें योग न दें, यह भी ठीक नहीं है। मैं तो यहां तक कहने के लिये तैयार हूं कि आज समय आ चुका है जब सरकार को और माननीय मंत्री जी को नगर की तरफ़ जो उन्होंने दृष्टि की है, मैं उसका स्वागत करता हूं। मुझे उससे डर नहीं है। लेकिन दृष्टि करते समय एक लक्ष्य आपका रहे कि नगर में जो पूंजीपति हैं, जो सम्पत्ति रखते हैं, उन्हें आप जितना चाहें कस लें। मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा जिस दिन सदन में ऐसा बिल आवेगा। जब गांव में जमींदारी अबालीशन हो चुका तो क्या औचित्य है कि शहर में एक आदमी के पास २० मकान हों, ५० मकान हों, १०० दूकानें हों, और दूसरी तरफ किसी के पास एक मकान और एक दूकान भी न हो? मैं समझता हूं कि समय आ चुका है कि हम इस तरह का विधेयक सदन में लावें कि हम उन सारे किरायेदारों को जो मकानों और दूकानों में किराये पर रहते हैं उनको उनका अध्यासी बनावें, उनका मालिक बनावें। संविधान की धज्जियां उड़ाकर कोई काम करने में मैं विश्वास नहीं करता। हम ऐसा कर सकते हैं कि किरायेदार वार्षिक मूल्य का २० गुना, जिसमें उसकी कैपिटल वैल्यू आ जाती है, देकर उस मकान का मालिक हो सकता है। मैं प्रार्थना करता हूं कि इस बिल के सन्दर्भ में इस पर भी ध्यान दिया जाय। समय आ चुका है।

हां, मान्यवर, मैं इतना और निवेदन कर दूं कि मैं इसलिये भी इस बिल का विरोध नहीं करता जैसे कि कुछ माननीय सदस्यों ने एमोशनल ग्राउन्ड्स रखे हैं, कहा गया कि १० परसेंट के टैक्स में यह आपत्ति होगी कि शहर में मूल्य ज्यादा है और टाउन एरियाज़ में कम है। यह दलील मैं नहीं समझ सका, इसलिये कि टैक्सेशन का आधार तो उसकी एनुअल वैल्यू का प्रतिशत् होगा। अगर टाउन एरिया में कोई प्रापर्टी स्थित है तो स्वाभाविक है कि उसका मूल्य कम होगा। फिर वह शंका निर्मूल है। मैं उस इमोशनल ग्राउन्ड पर भी नहीं जाना चाहता जिसमें इस बात पर जोर दिया गया कि आप किस तरह का योग चाहते हैं, नगर में यह आपत्तियां हैं, गरीब जनता भयंकर स्थिति में है और आप उस गरीबी को और बढ़ाना चाहते हैं। मेरा विश्वास है कि अगर उस गरीबी को दूर करना है तो हमें कर भी लगाने पड़ेंगे और योजना के लक्ष्य को पूरा करना होगा। मैं मानता हूं कि योजना के लक्ष्य की पूर्ति में हमसे बहुत ग़लतियां हुई हैं और उनकी वजह से आज हम जनता में आस्था पैदा नहीं कर सके। जनता हमें शंका की दृष्टि से देखती है। जिस देश में एक लक्ष्य की पूर्ति के लिये, जनता को जेल जाने के लिये और अपने प्राणों की बलिदान करने के लिये तैयार किया जा सका वहां राष्ट्र के निर्माण के लिये टैक्स देने के लिये भी तैयार किया जा सकता है। लेकिन इसके पहले सरकार को उचित वातावरण बनाना

[श्री जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट]

होगा। वातावरण तब ही बन सकेगा जब कि हम जनता में ऐसा विश्वास पैदा कर सकेंगे कि हमारे पहले प्लानों में जो हमसे भूलें हुई हैं, जो लीकेजेज और वेस्टेजेज हुए हैं, उन्हें हम प्लक कर सकेंगे। दूसरे, हम यह विश्वास पैदा कर सकें कि जितनी इकानामी हम एडमिनिस्ट्रेशन में कर सकते थे उसका अन्तिम प्रयास हम कर चुके हैं। आज अगर हम अपने हृदय पर हाथ रख कर सोचें तो यह कहना पड़ेगा कि वह अन्तिम प्रयास या प्रयत्न नहीं हुआ है और जिस वातावरण को प्रारम्भ करने की कोशिश की गई थी वह एक स्टैगनेशन की स्टेज पर ह। ये दो बेसिक बातें हैं।

इसके अलावा, मेरा इस बिल के विरोध करने का, या स्वागत न करने का, एक आधार यह भी है कि इसमें ऐसा कोई प्रावीजन नहीं है कि इसमें किसी नीचे के इनकम ग्रुप को बख्शा गया हो। यह सब से बड़ा डिफेक्ट इस बिल का है। यह ठीक है कि धारा ६ की उपधारा (३) में, जिसका अभी जिक्र हुआ, इस बात का अधिकार दिया गया है कि सरकार कुछ सीमा तक मकानों को छोड़ सकती है। मैं समझता हूं कि इस बिल में सब से अधिक आवश्यक और आधारभूत बात यह है कि हम किस सीमा के ऊपर टैक्स लगावें और किस सीमा वालों को छोड़ें? अच्छा होता कि इतनी बेसिक और अधारभूत बात को हम ऐक्ट में ही साफ़ कर देते जिससे जनता को शंका नहीं रहती। जब ७ करोड़ जनता के दिल में यह शंका हो तो आवश्यक था कि इस प्रस्ताव की स्टेज पर ही यह बात साफ़ कर दी जाती।

इस समय माननीय मंत्री जी के भाषण से और वैसे वार्तालाप से भी मैंने यह समझा कि मंत्री जी नीचे की कुछ लिमिट मुकर्रर करने जा रहे हैं। लेकिन मैं यह समझता हूं कि जब तक वह लिमिट काफी सब्सटेंशल नहीं होती तब तक उन गरीब आदमियों को वह प्रोटेक्शन नहीं मिलता जिसके वे अधिकारी हैं। मैं ऐसा समझता हूं कि ५,००० रुपये जिस मकान की कैपिटल वैल्यू हो, या ५,००० रुपये की वैल्युएशन का जो मकान हो, उस तक कोई टैक्स न लगे। अगर इस लिमिट को घटाया जाय तो ३,६०० तक ले आइये, लेकिन इससे आगे जाना इन नीचे दर्जे के लोगों के साथ, मुझे ऐसा लगता है, अन्याय होगा। मान्यवर, हमारे देश में ३९.७३ प्रतिशत ऐसे व्यक्ति हैं जिनके परिवार की मासिक आय २०० रुपया माहवार से कम है। ऐसे देश में, जिसमें ४० प्रतिशत के करीब गरीब परिवार रहते हों जिनकी आय २०० रुपये से कम हो वहां हम ३,६०० रुपये की मिल्कियत के मकान को यानी १८० रुपया साल या १५ रुपया माहवार के मकान को भी यदि मुक्त न करें तो यह कहा जा सकता है कि हम उस वर्ग के साथ भी न्याय नहीं कर रहे हैं।

इस विषय में मेरा एक आब्जेक्शन और है और वह यह है कि इस बिल में कोई ऐक्जेंप्शन नहीं रखा गया है कि और न उस एक्जेंप्शन का अधिकार सरकार को ही दिया जा रहा है। म्युनिसिपल ऐक्ट और कोआपरेशन ऐक्ट में ऐसे प्रावीजन्स हैं जिनमें म्युनिसिपैलिटी अथवा कार्पोरेशन को ऐसे अधिकार हैं कि अगर वह यह समझें कि अगर किसी मकान का रहने वाला किसी ऐसी अवस्था में है कि वह कर नहीं दे सकता तो वे उसको एक्जेप्ट कर सकते हैं। उदाहरण के लिये कोई विधवा किसी अपने मकान में रहती है जिसकी आय का कोई साधन नहीं है, एक पैसे की आमदनी नहीं है, किसी तरह से उस मकान में रह रही है, वह कैसे टैक्स देगी? एक अपाहिज है जिसकी कोई इनकम नहीं है। कैसे वह टैक्स देगी? सिवाय इसके कि जनप्रतिनिधियों अथवा जन प्रतिनिधियों की सरकार को गालियां दे, उसके लिये टैक्स देना असंभव है। माननीय मंत्री जी तो सहृदय और उदार व्यक्ति हैं वे अवश्य इस बात पर गौर करें।

इसके अलावा एक बात और है कि वाटर टैक्स जो लगाया जाता है उसके बदले में हम प्रत्यक्ष रूप से कुछ सेवा करते हैं, उसको उसके बदले में पानी देते हैं। इसी प्रकार हाउस टैक्स के बदले में भी हम सर्विस देते हैं। इसलिये उसको असन्तोष नहीं होता। मगर यह जो हम टैक्स लगाने जा रहे हैं वह इस प्रकार का टैक्स नहीं है। कहा जा सकता है कि उसके बदले

में हम तृतीय योजना के लक्ष्यों को पूरा करने जा रहे हैं। मैं इसको मानता हूं लेकिन यह अप्रत्यक्ष चीज है, वह एक डिस्टेंट फ्यूचर में आने वाली है। उसको देखकर कोई व्यक्ति कर देने को, प्रेरित नहीं हो सकता। उनके हृदय में कोई सन्तोष नहीं हो सकता। जो प्रत्यक्ष सर्विस है उसी से सन्तोष हो सकता है। इसके साथ मैं फिर माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे अपाहिज और विधवाओं को अवश्य एक्जेम्प्ट करें।

इसके अतिरिक्त और भी बेसिक एतराज मुझे इसमें है। इस बिल को रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दिया जा रहा है। इसमें कहा गया है कि इसको १ जुलाई से लागू समझा जायगा। आज २७ अगस्त है जब इस पर विचार हो रहा है। यहां से पास हो जाने के बाद यह कौंसिल जायगा, वहां से पास होगा। इस समय इसके लिये जो मशीनरी रखी जायगी उसका कोई प्रावीजन नहीं है। उसके बाद कर निर्धारण होगा। अगर अलादीन का चिराग भी इस्तेमाल कर लिया जाय तो ४–५ महीने से पहले यह मशीनरी अपना काम शुरू नहीं कर सकती और ७, ८ महीने या एक साल पिछला टैक्स यह सरकार लोगों से वसूल करेगी। इसमें भी मुझे क्लेश होता है। जो टैक्स लगावें ऊंचे स्तर पर अवश्य लगावें, मैं उसका हृदय से समर्थन करता हूं लेकिन उस टैक्स को रेट्रोस्पेक्टिव हर्गिज न किया जाय। उस टैक्स के लगाने के लिये आप आज के बाद की कोई तिथि निश्चित करें। मैं कानून बहुत थोड़ा जानता हूं, मैं नहीं कह सकता कि इस कानून की वैधता कहां तक रह सकेगी, लेकिन मान्यवर, यह भी सोचने की बात है कि रेट्रोस्पेक्टिव लेजिस्लेशन इस दिशा में करना कानून की दृष्टि से भी बिल्कुल ठीक नहीं होगा और यह तो प्रत्यक्ष न्याय और इक्विटी की दृष्टि से भी गलत होगा। यह व्यवहार की दृष्टि से भी गलत है।

इसके बाद एक दो बात मैं और निवेदन करना चाहता हूं। जिस प्रकार से इस समय इस विधेयक को लाया गया है, उसमें उसको नाफिज करने का डिफरेंट डेट रखा गया है। यानी यह अधिकार है सरकार को कि कुछ अंश में तो वह नाफिज हो जायगा धीरे धीरे और बाकी हिस्से में नाफिज करने के लिये सरकार बाद को कोई तारीख मुकर्रर करेगी। मैं समझता हूं कि सरकार को चाहिये कि वह इस कानून को सारे प्रदेश में साइमलेट नियसली एक साथ नाफिज करे, किसी नगर, किसी वर्ग या किसी संस्था के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन न करे। जो भी तिथि सरकार अन्तिम रूप से स्वीकार करे उस तिथि से सारे प्रदेश में यह कानून लागू हो।

इसके अतिरिक्त और एक मौलिक बात की तरफ मैं सरकार का ध्यान आपकी आज्ञा से दिलाना चाहता हूं। इसमें न जाने क्यों कैंटुनमेंट एरिया को छोड़ दिया गया है? वहां की जनता शहरों की टाउन एरियाज़ की या और कस्बों की जनता से अधिक ही क्षमता रखती है। मैं ऐसा समझता हूं कि कानूनी तौर से हम कैंटुनमेंट एरिया में भी टैक्स लगाने का अधिकार रखते हैं। यह उचित है कि हम इस दिशा में कोई डिस्क्रिमिनेशन न करें। मैं यह भी जानता हूं कि मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार करने से जो हमारे टोटल इनकम का एस्टीमेट कदाचित् ९० लाख या एक करोड़ रुपये का है, वह भी बढ़ जायगा। अच्छा होता कि माननीय मंत्री जी कोई निश्चित रकम बतलाते तो हम गेस नहीं करते, लेकिन ऐसा अन्दाजा है। अगर मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार करके इसको कैंटुनमेंट एरिया में भी बढ़ा दिया जाय तो जितनी रकम ओरिजनल एस्टीमेट में थी, उससे हमारी इनकम बढ़ जायगी और इस विधेयक द्वारा जितनी रकम प्राप्त करने का आपका लक्ष्य था वह मिल जायगी। फिर गरीब जनता, नीचे के स्तर के आदमी, वे मजदूर, वे अपाहिज, वे विधवायें जो टैक्स देने की क्षमता नहीं रखतीं उससे बच सकें तो उससे माननीय मंत्री जी जैसे सहृदय व्यक्ति को आनन्द का अनुभव होना चाहिये और कदाचित् होगा। मैं प्रार्थना करता हूं कि वे इस बात को ध्यान में रखें कि कम से कम उस लिमिट को जितना ऊंचा फिक्स कर सकें, फिक्स करने की कृपा करें।

एक अंतिम बात मैं इस बिल की मशीनरी के बारे में आपसे निवेदन करना चाहता हूं। आज जो हम इतनी अव्यवस्था और जो करप्शन की शिकायत रात-दिन सुनते हैं उसका कारण यह है कि जिस पवित्र उद्देश्य को लेकर हम यह विधेयक पास करते हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन उस पवित्र मार्ग और उस स्तर पर नहीं हो पाता है जैसा कि कदाचित् एक विधेयक को पारित करते

[श्री जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट]

समय कल्पना करने की इच्छा रखते हैं । उसका कारण यह होता है कि जनता में हाहाकार मचता है । जो मशीनरी इस के लिये होगी उसका इस विधेयक में केवल संकेत है । क्या मशीनरी बने उसकी कोई रूपरेखा हमें नहीं मालूम है । इसलिये मेरी प्रार्थना है कि इसकी ओर ध्यान दिया जाय कि जो हमारी लैंड आर्गनाइज्ड मशीनरीज हैं, उनमें एक लैंड रेवेन्यू वाली मशीनरी है और दूसरी म्युनिसिपल बोर्ड्स वाली मशीनरी है । अब माननीय, मैं क्या कहूं, इन दोनों के बारे में जनता को अच्छी तरह से मालूम है, सदन के किसी भी सदस्य से यह छिपी हुई बात नहीं है । इसलिये आवश्यकता है कि जनता में इस तरह की मनोवृत्ति पैदा की जाय कि हम किसी ऐसी मशीनरी का अनुसरण करें जो इन दोनों से अलग हो । हम यह भी चाहते हैं कि जो मशीनरी इस कार्य के लिये हम इवाल्व करें उसकी कास्ट आफ वलेक्शन अधिक न हो जाय जिस से हमारी आय का जो लक्ष्य है वह घट जाय । इन दोनों बातों को सामने रखकर कि न खर्च बढ़े और न ऐसी मशीनरी ही हो कि जिस पर जनता का विश्वास न हो, ऐसी मशीनरी हो कि जिस पर जनता का विश्वास हो । इस मशीनरी के जो खास पुर्जे हों, असेसिंग आफिसर या जो बड़े अधिकारी हों जो अपीलें आदि सुनें उनके बारे में भी कुछ विचारणीय बातें हैं उनकी क्वालिफिकेशन मुकर्रर होना चाहिये, कोई भी हो सकता है ऐसा न होना चाहिये जिसको कानूनी ज्ञान हो कुछ अनुभव हो, जिसकी आस्था पर हमें विश्वास हो और जनता को विश्वास हो ।

इसके अलावा इसमें अपील कलेक्टर के यहां रखी गई हैं, मैं चाहता हूं कि यह अपील जिला जज के यहां अलाव की जाय । अभी तक कुछ दुर्भाग्य ऐसा रहा है कि जो सरकार की कुर्सियों पर होता है और जो उनसे अलग रहते हैं उनके दृष्टिकोण में इस विषय में भेद हो जाता है । जिन्होंने जीवन भर जुडीशियरी की उपासना की और उसको ऊंचा माना वह भी जब अधिकार सम्पन्न होते हैं तो वह भी उस मशीनरी को अलग कर के एक्जक्यूटिव का मशीनरी सहारा लेना पसन्द करते हैं । इसका कारण यह हो सकता है कि जूडीशियरी के फैसले उस स्पीड से नहीं चलते जिससे एक्जक्यूटिव चलाना चाहती है और अक्सर जूडिशियरी निष्पक्ष रूप से हमारी गलतियां भी बता देती है, कभी कभी उससे कुछ तकलीफ भी होती है । यह मैं मानता हूं कि कभी कभी मामूली टेक्नीकेलिटीज के कारण बड़े बड़े मुकदमे और अपीलें छट जाती हैं । जिससे बाद में दिक्कत होती है लेकिन उस टेक्नीकेलिटी के सूक्ष्म अन्वेषण से कुछ ब्रेक लग जाते हैं और वेगरीज रुक जाती हैं । इस दिशा में हम को जनता में विश्वास पैदा करना चाहिये । जो टैक्स लगाया जा रहा है वह ठीक हो या न हो लेकिन मैं इतना जरूर निवेदन करूंगा कि जो बात आज बड़ी सीधी सादी और छोटी सी मालूम होती है उसका इतना व्यापक क्षेत्र है और उसका इतने लोगों पर असर पड़ेगा, उसके लिये अगर अच्छी मशीनरी न बन सकी और अगर उस में जनता की आस्था न बनी तो उचित न होगा । इसलिये इसकी अपील होनी चाहिये उसके द्वारा निराकरण हो सकता है और अगर इस संबंध में जनता में असन्तोष रहा तो इतनी परेशानी आ सकती है कि उसका इतना ठोस असर पड़े कांग्रेस संगठन पर भी और सरकार के चलाने वालों पर । इस चीज को अभी सही तौर पर असेस नहीं किया जा रहा है । समय आने पर मैंने भी कुछ संशोधन लाने की कोशिश इसमें की है, इस समय उसके विषय में न कहकर समय आने पर प्रयत्न करूंगा । मुझे आशा है कि मेरी प्रार्थना के प्रकाश में मंत्री जी विचार करेंगे और देखेंगे कि इसके प्राविजन्स से जनता को नुकसान नहीं पहुंचता है और जहां तक हो सकेगा इसको जनता के लिये कम कष्टकर बनाने का प्रयत्न करेंगे ।

श्री श्रीराम (जिला बिजनौर)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज हमारे सदन में नगर भूमि विधेयक पेश है, इस प्रकार के बिल जब कभी भी किसी सदन में आयें तो उन पर पूरे तौर पर विचार होना चाहिये । हमेशा ही जब सरकार की ओर से बिल आते हैं और इस तरफ से जब सुझाव दिये जाते हैं तो वह सुझाव माने नहीं जाते । मेरी राय में जो भी सुझाव माननीय जगदीश शरण जी ने दिये हैं वह मान लेने चाहिये । हमारे देश में छोटे गांवों की

आबादी बढ़ती चली गई । तो उस समय वहां स्वास्थ्य की रक्षा के लिये टाउन एरिया और म्युनिसिपैलिटीज बनाये गये । बढ़ी हुई आबादी को टाउन एरिया इसलिये बनाया गया क्योंकि वहां जमींदार अत्याचार करते थे और जब कोई झोपड़ी का मकान बनाता था तो ५ रु० चौखट, १ रु० कड़ी लिया जाता था । सुधारकों ने सरकार से कहा इस तरह के अत्याचार जमींदार लोग करते हैं, इसीलिये बहुत-सी जगह टाउन एरिया बनाये गये । आज जब इस तरह का बिल यहां है तो हमें सभी बारीकियों को देख लेना चाहिये । टाउन एरिया, म्युनिसिपैलिटी हाउस टैक्स और भूमि टैक्स के लिये बिल हैं, कुछ टाउन एरियाज की संख्या बिल में बतायी गई और बाकी को छोड़ दिया गया । मैं जिस टाउन एरिया का रहने वाला हूं, उसका नाम हल्दौर है तथा और भी बहुत-सी ऐसी टाउन एरिया या म्युनिसिपैलिटीज हैं जिनमें मेले लगते हैं वहां पैसा अभी तक जमींदार लोग बराबर ले रहे हैं । किसी किसी टाउन एरिया में ५०,००० रु० की आमदनी जमींदार को वहां की होती है । जब वह टाउन एरिया कायम हुआ और नोटिफिकेशन निकाला गया तो कोई ब्योरा नहीं दिया गया कि अमुक जमींदारी की भूमि इस टाउन एरिया में बरी की गई है । लेकिन मेरी राय अब भी थी इन सब बातों की पहले जांच होनी चाहिये । और विधेयक बनाते समय उन सब को इसमें जोड़ देना चाहिये था । मैं हल्दौर टाउन एरिया की बात बताना चाहता हूं वहां एक दोयज का मेला सितम्बर में लगता है जिससे ५०,००० ० की आमदनी होती है और उसमें बिजली टाउन एरिया की जलती है, उसका खर्चा टाउन एरिया को देना पड़ता है जब कि आमदनी का फायदा वहां के जमींदार उठाते हैं । इस बिल में जितने टाउन एरियाज का नाम है, उसमें हल्दौर का नाम नहीं है । चाहे कोई टाउन एरिया हो जहां मेले या पैंठ लगती हैं और जमींदार उनसे पैसा वसूल करते हैं वह सब इसमें आने चाहिये थे ।

जब जमींदारी विनाश का बिल बना तो सारे सूबे के अन्दर जमींदारी का खात्मा किया गया । लेकिन टाउन एरिया की जमींदारी इसलिये नहीं खत्म की गई कि वहां पर कुछ ऐसे लोगों की जमींदारी आबादी के पास थी जिसका फायदा कुछ विशेष लोगों को पहुंचता था, वह अब तक फायदा उठा रहे हैं । और उसका अर्थ उल्टा निकाल करके उस जगह के पुराने जमींदार, जब कि वह टाउन एरिया नहीं बना था तो वह परती भूमि जिसका नजूल रजिस्टर में जिक्र है, उनको जमींदारी खत्म होने के बाद उन्होंने बेचना शुरू किया । इसलिये ऐसी टाउन एरिया को जिसमें मेले लगते हैं और जिसकी आमदनी का फायदा जमींदार उठा रहे हैं, इस बिल में शामिल कर लिया जाय ।

लोगों के ऊपर इस लिहाज से टैक्स लगाया जाय कि जिन लोगों की ४०, ५० रु० माहवार की आमदनी है और उनके रहने का मकान है वे टैक्स से बरी कर दिये जायं । साथ ही जहां मेले और पैंठ लगते हैं वहां की आमदनी वहां के टाउन एरियाज को पहुंचे यह मेरा सुझाव है । मुझे आशा है मंत्री जी जहां पैंठ लगती हैं और टाउन एरिया की हद के अन्दर मेले लगते हैं और जमींदार उसका फायदा उठा रहे हैं उसको भी इस बिल में शामिल कर लिया जावे ।

*श्री बैजनाथसिंह वैद्य (जिला सुल्तानपुर) --उपाध्यक्ष महोदय, यह विधेयक जो सदन के सामने प्रस्तुत है इसमें, शहर, टाउन एरिया तथा म्युनिसिपैलिटीज में जो भाई किराये के मकानों में रहते हैं, उनसे अपील की गई है कि वह भी योजना संबंधी यज्ञ में अपना योगदान दें । उपाध्यक्ष महोदय, जितने भी बिल इस संबंध में अभी आयेंगे कर के संबंध में, उनका उधर से जो विरोध होगा, उसका एक ही रूप होगा और इधर से समर्थन जो होगा उसका भी एक ही रूप होगा । इस समय हम लोग प्रदेश को बनाने की व्यवस्था में लगे हुए हैं और हम चाहते हैं कि प्रदेश की गरीबी दूर हो और नियोजन के जरिये हम अपने प्रदेश की आर्थिक स्थिति को सुधारें । इस खयाल को लेकर हमारी सरकार उन स्थानों को देख रही है जहां से हमको इस नियोजन को चलाने के लिये सहायता मिल सके । यह बात सही है कि हमें रुपये

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

[श्री बैजनार्थसिंह वैद्य]

की आवश्यकता है और ५ साल में कम से कम १०० करोड़ रुपये की आवश्यकता है, जिसकी हमें कर के ही द्वारा इकट्ठा करना है । इसमें हमें पूर्ण विश्वास है कि अगर इन ५ वर्षों में हमने १४७ करोड़ रुपये अपने और ३५० रुपये केन्द्रीय सरकार के कुल मिला कर ४९७ करोड़ रुपये खर्च किये तो हम अपनी माली हालत जरूर दुरुस्त कर लेंगे । जिन भाइयों का नियोजन में विश्वास नहीं है, उनसे हम कुछ नहीं कह सकते । लेकिन हमारी सरकार, केन्द्रीय सरकार और प्रदेशों की सरकार का यह विश्वास है कि नियोजन के द्वारा ही हम अपने देश और प्रदेश की आर्थिक स्थिति को सुधार सकते हैं । लिहाजा सरकार उन साधनों की तलाश में है जहां से रुपया मिल सकेगा, जहां से सहायता मिल सकेगी और जितने हमारे जरिये होंगे उन सबको हम हर जगह टटोलेंगे और प्रदेश के रहने वालों से कहेंगे कि इसमें हमारी मदद कीजिये । हमारा इसमें विश्वास है और आपको भी विश्वास होना चाहिये क्योंकि किसी मुश्किल काम को हल करने के लिये त्याग की आवश्यकता पड़ती है, कष्ट उठाना पड़ता है और मुसीबत सहनी पड़ती है । मनुष्य के लिए गरीबी महापाप है । गरीब इंसान की बुद्धि नष्ट हो जाती है, उसका चरित्र गिर जाता है और उसके सामाजिक सब दृष्टिकोण गिर जाते हैं । तो गरीब रह कर आप इस प्रदेश की जनता को और गरीब बना कर उसके चरित्र को नीचा करने की कोशश करें और हमदर्दी जाहिर करें यह बात मेरी समझ में नहीं आती । हमको कष्ट उठाना पड़ेगा तो उठायेंगे । थोड़ा-थोड़ा करके हम सारे प्रदेश के रहने वाले लोग चाहे जिस स्थिति में हों, चाहे जिस स्थान पर हों, अपने-अपने तरीके से अपनी स्थिति के अनुसार, अपनी हैसियत के मुताबिक हम इसमें मदद करने को तैयार हैं ।

इस बिल की यह मंशा है कि शहर, कस्बे, टाउन एरिया, म्युनिसिपैलिटी के रहने वाले भाई थोड़ा-थोड़ा टैक्स की शक्ल में, कर की शक्ल में या भीख की शक्ल में हमारे नियोजन के कार्य में योगदान दें । यह बात बिलकुल ठीक है कि एक आध बार मैं कह भी चुका हूं कि हमारी कांग्रेस सरकार अगर सफल होती है तो उधर के बैठने वाले भाइयों की नीति अफसल हो जायगी । अगर हमारी राजनीति में योजना सफल होती है, गरीबी दूर होती है तो परेशानी में वह जो गलत फैसला कर देती है और गलत फैसला करके अपने नुमाइन्दों की तरफ देखती नहीं है कि वे कौन हैं, वह फैसला आगे वह नहीं करेगी और इससे हमारे विरोधी भाइयों को बहुत बड़ा नुकसान होगा । दरअसल वह भाई बड़े ईमानदार हैं और ईमानदारी से जो इस प्रकार के बिलों का विरोध करते हैं हम तो उनकी सराहना करेंगे । लेकिन जो आड़ में इस तरह की बात करते हैं कि हम जनता के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना चाहते हैं, लेकिन नियोजन के जरिये नहीं, यह बात सत्य से बहुत दूर है और मैं समझता हूं कि यह बहकावे और भुलावे की बात है । दरअसल में उनको कहना चाहिये कि कोई भी कार्य जो इस सरकार के द्वारा अच्छा होने वाला है, उसको कभी सफल न होने दें ।

श्रीमन्, इस विधेयक में बहुत सी बातें हैं जो जाहिरा तौर पर खटकने वाली हैं, जैसे जो छोटे-छोटे किरायेदार हैं, उनके बारे में हमारे भाई ने कहा कि उनसे भी कर लिया जायगा । लेकिन उसका जवाब भी मिल गया कि वह तो मकान की हैसियत होगी कि ५ हजार से ऊपर वालों को कर देना पड़ेगा, नीचे वालों को नहीं । (व्यवधान)

एक सदस्य—मालूम होता है कि माननीय सदस्य ने बिल पढ़ा नहीं है, उसमें ऐसा कहीं नहीं है ।

श्री बैजनार्थसिंह वैद्य—हो सकता है कि हमारे कहने में कुछ इधर उधर हुआ हो और आपके समझने में कुछ ज्यादा हो गया है । अभी आपने बड़ी थपोड़ियां बजायी थीं जब माननीय जगदीशशरण जी ने कहा था कि सभी मकानों का राष्ट्रीकरण होने जा रहा है और हमने एक बात कह दी तो आपको बड़ी तकलीफ हो गयी । हम तो धीरे-धीरे समाजवादी

व्यवस्था की ओर जा रहे हैं । गांधी जी की बनायी हुई यह कांग्रेस पार्टी है । एक दिन आयेगा कि जिस तरीके से जमींदारी खत्म करके किसानों को जमीन का मालिक बना दिया गया उसी तरह से शहर के जितने मकान हैं किरायेदार उनके मालिक हो सकते हैं । लेकिन सब चीज का समय होता है, समय से पहले कोई काम करना बहुत मुनासिब बात नहीं होती । और फिर जो हमारा संविधान है उसके भी हम पाबन्द हैं । हर काम करने के पहले हमको कुछ सोचना पड़ता है । इस विधेयक में शहर के किराये वालों से अपील की गयी है और बहुत सी जमीनें ऐसी पड़ी हैं जो कुछ दिन पहले सौ रुपये में खरीदी गयी थीं लेकिन आज उनकी कीमत तीन, चार और पांच हजार हो गयी है । ऐसी जमीनों पर अगर सरकार योजना के लिये थोड़ा-सा टैक्स ले लेती है तो कोई बड़ी बुरी बात नहीं है ।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और अपने भाइयों से भी यह प्रार्थना करूंगा कि वे बहुत सख्ती के साथ इसका विरोध न करें ।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)---उपाध्यक्ष जी, जो बिल आज मंत्री जी ने हाउस के सामने पेश किया है, इसको पढ़ कर कुछ ऐसा मालूम हुआ कि आज शहर को रहने वाली उस जनता का कहीं ठिकाना नहीं रहेगा जो रिक्शा खींच कर या मजदूरी करके गुजर करती है या उन ३८ लाख बेकारों में से है जो पांच साल की योजना के बाद होने जा रहे हैं, उनमें से ज्यादा तादाद भी शहरों में रहने वाली होगी, जिसे यह तसलीम करते हैं कि बेकार हैं, इस तरह का टैक्स यह सरकार लेने जा रही है क्योंकि बिल्डिंग के अंदर हर चीज शामिल कर ली गयी है, झोपड़ी खपरैल, घोड़े का अस्तबल, वगैरह-वगैरह । इसके माने यह हुये कि कोई भी शख्स जो शहर का रहने वाला है वह गरीब है, वह इस टैक्स से बचने वाला नहीं है । हमने इंतहा गरीब को भी टैक्स के बोझ से लाद दिया । अब शहरों में गरीबों की हालत का इससे अंदाजा हो सकता है कि जो रिक्शा चलाने वाले होते हैं, जो मजदूरी करके गुजारा करते हैं, उनकी हालत तांगे के घोड़े से भी बदतर है । जो घोड़ा तांगे में चलता है वह दिन में खाने की फिक्र नहीं करता है । उसके खाने की जिम्मेदारी उस शख्स की होती है जो उसको हांकता है । लेकिन रिक्शा चलाने वाला जहां दिनभर मेहनत करता है, मजदूरी करता है, वहां शाम को उसे फिक्र होती है कि घर में आटा है या नहीं, दाल है या नहीं । इसलिये उसकी हालत घोड़े से भी बदतर है । लेकिन मंत्री जी ने उसे भी नहीं बख्शा है और दुहाई दी जाती है पंच साला प्लान की । साथ ही उन्होंने एक बदकिस्मती बताई कि हमारे यहां आबादी बढ़ती चली जा रही है । मालूम नहीं क्या बात है ? लेकिन जहां एक बच्चा पैदा होता है । वहां खुशी न मनाई जाती हो ऐसा कौन है और जिसके यहां मुबारकबादियां न आती हों और मंत्री जी उसको बदकिस्मती में शुमार कर रहे हैं । बहरहाल, इस बिल के पेश होने से और पास होने से कहां असर पड़ेगा और क्या असर पड़ेगा यह गहराई से सोचने की बात है ?

हमारा प्रदेश पूरे हिन्दुस्तान की आबादी के मुकाबले में एक बटा ६ भाग है और बेकारी में तीसरा हिस्सा है । ऐसी हालत में इस बिल को आने पर गरीब जनता पर क्या असर पड़ेगा ? इसको सोचने की जरुरत है । हमारे साथियों ने कुरबानी की बात को दुहराया है कि कुरबानी की जरूरत है । गरीब को भी जरूरत है और बड़े आदमी को भी जरूरत है ताकि पंच साला प्लान मुकम्मिल हो जाय । मैं भी कहता हूं कि कुर्बानी की जरूरत है । अगर आप समझते हैं कि कुर्बानी की जरूरत है तो कोई जरूरत नहीं है कि साल में ६ महीने हाउस हो, इसको आप तीन महीने कर दीजिये । इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हर एक बिल मैजोरिटी से पास हो जाता है । फिर क्या फर्क पड़ता है, चाहे बिल एक दिन में पास हो या ४-६ दिन में पास हो । इस तरह से कर दें तो काफी बचत हो सकती है क्योंकि हाउस पर एक दिन में दस हजार रुपया खर्चा होता है । दूसरा प्रस्ताव यह है कि हम लोग १०० रुपया तनख्वाह कर दें और ५ रुपया रोज भत्ता कर दिया जाय । इस में किसी अपोजीशन के मेम्बर को मुखालफत

[श्री रियासत हुसैन]

नहीं होगी । लेकिन आप उम्मीद करते हैं उस शख्स से कुरबानी के लिये, जिसके पास मढ़या है, खपरैल है, कच्चा घर है, किन्तु काम करने के लिये कोई सहारा नहीं है, आसरा नहीं है, कोई रिक्शा खींचकर काम चलाता है, कोई गलत काम कर अपने बाल बच्चों का पेट पालता है ।

जहां तक इस बिल की अलग-अलग चीजों का सवाल है, इस बिल में कोठी वालों को रियायत दी गई है कि जिसके पास एक एकड़ जमीन है जिस की तकरीबन मार्केट वैल्यू आजकल ५० हजार रुपये है, उसके लिये एक एकड़ जमीन छोड़ दी है और दूसरी तरफ रिक्शा खींचने वाले, या मेहनत मजदूरी करने वाले या कुलीगीरी करने वाले, जिनके पास कोई मामूली-सा घर है जिसमें वह अपने कुटुम्ब के ८-१० आदमियों के साथ रहता है उसे भी इन्होंने नहीं बख्शा है इसके माने यह हुये कि शहर के अन्दर बड़े-बड़े ऊंचे स्टैंडर्ड के रहने वाले लोग इस बिल से बरी हो जायेंगे । उन पर इतना ज्यादा बोझा नहीं पड़ेगा । इस बिल के अन्दर यह कहा गया है कि जो म्युनिसिपल बोर्ड या टाउन एरिया, नोटिफाइड एरिया के लोग भी टैक्स देते हैं, वह वाटर टैक्स, हाउस टैक्स देते हैं, वह भी इससे बरी नहीं होंगे । म्युनिसिपल बोर्ड या नोटिफाइड एरिया के टैक्सेशन के अलावा यह बिल उन पर भी लागू होगा और उन लोगों को भी यह देना पड़ेगा । ऐसी हालत में उनकी क्या हालत होगी ? एक ही हाउस का एक टैक्स म्युनिसिपल बोर्ड को दे और दूसरा टैक्स सरकार को दे । एक मकान पर दो-दो टैक्स हो गये ।

जो इसमें यह इजाजत दे दी गई है कि जो मकान मालिक है, वह किरायेदार से टैक्स वसूल कर लेगा, इसके माने यह हुआ कि जो मिडिल क्लास का आदमी जिसकी आमदनी सौ रुपये या दो सौ रुपये है, अगर वह किराये के मकान में रहता है, मुलाजिमत के सिलसिले में या किसी दूसरे सिलसिले में, वह इससे नहीं बचेगा । आज सौ या दो सौ रुपये वाले आदमी का बजट इतना बैलेंस्ड होता है, कि अगर उसके यहां २० या २५ तारीख से पहले कुछ मेहमान आ जायं या डाक्टर साहब के आने का मौका हो जाय तो इतमीनान रखिये कि उसका २०, २५ तारीख को दिवाला हो जाता है । मकानदार आकर उससे कहेगा कि चूंकि सरकार ने तुम पर टैक्स लगा दिया है इसलिये किराये के साथ तुमको टैक्स भी देना पड़ेगा । इस तरह मिडिल क्लास का आदमी परेशानी का शिकार हो जायगा । जैसा कि मन्त्री जी ने खुद तसलीम किया यहां ९५ फीसदी आदमी इस प्रदेश में ऐसे हैं जो आसानी से टैक्स देने के लायक नहीं हैं । तो ऐसी सूरत में जब कि हमारे यहां ७५ फीसदी आदमियों की आमदनी ३० रुपया महीने से कम है उसे हम टैक्स के बोझ से लाद दें, यह बहुत नामुनासिब है । दूसरी जो बेकारों की संख्या है, अगर उसको बेकारी की पेंशन देने की बात सोचें तो उसको अगर हाउस टैक्स देना पड़े, तो ठीक है । लेकिन चूंकि किसी बेकार के पास रहने का ठिकाना है इस लिये उसे टैक्स देना चाहिये, तो यह भी सोचना पड़ेगा कि उस बेकार आदमी को बेकारी की पेंशन भी दें । लेकिन ऐसी बात नहीं है । ऐसी हालत में यह बिल जो है इसके अन्दर बहुत-सी खामियां हैं । असेसिंग आफिसर या वसूल करने वाली आथारिटी को यह भी अधिकार दिया गया है कि वह मकान के अन्दर जा सकता है दिन छिपने से पहले और दिन निकलने के बाद । अगर इसके बजाय चार बजे शाम के बाद और दस बजे सुबह के पहले पाबन्दी लगा दी जाय, तो कहीं ज्यादा अच्छा होगा । इस तरह से इस बिल के अन्दर काफी खामियाँ हैं । इसलिये इस बिल को सेलक्ट कमेटी में जाना चाहिये और सेलेक्ट कमेटी में दोनों तरफ के सदस्य बैठ कर विचार करें और उसके बाद दोबारा इसको हाउस में आकर बहस करने का मौका मिलना चाहिये ।

श्री बसन्तलाल शर्मा (जिला बहराइच)---आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो बिल प्रस्तुत किया गया है, इसको प्रवर समिति को भेजने का जो प्रस्ताव है, मैं उसका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं । आदरणीय मन्त्री जी ने इसको प्रस्तुत करते समय स्वयं कहा है और इस बिल के उद्देश्य में भी स्पष्ट हुआ कि तृतीय पंचवर्षीय-योजना को सम्पन्न करने के

लिये सरकार को धन की आवश्यकता है और उसको एकत्र करने के लिये जगह-जगह से ढूंढ कर के साधनों को जुटाने और आय को बढ़ाने की आवश्यकता है। इसलिये यह बिल लाया गया है। तृतीय पंचवर्षीय योजना का एक वर्ष बीत चुका है और बाकी जो समय है वह काफी तेजी के साथ बीतता जा रहा है। ऐसे समय में जो उपयोगी बिल इस प्रकार के आते हैं, उनको प्रवर समिति में भेजना मेरी समझ से समय को नष्ट करना है। प्रवर समिति में मेरे विचार से तथा नियमों के अनुसार भी वह बिल भेजे जाते हैं, जिनके अन्दर कोई भारी भूल रह गई हो, ताकि उसके ऊपर प्रवर समिति बैठकर के विचार करे और अपने सुझाव दे सके। प्रवर समिति को भेजने का प्रस्ताव करने वाले को अपने भाषण में ऐसे सुझाव देने की आवश्यकता भी होती है जिससे कि यह समझा जा सके कि यह प्रवर समिति में भेजा जाय। उसके साथ-साथ भाई बालोजी अग्रवाल का एक प्रस्ताव यह भी रखा गया कि जनमत संग्रह के लिये इसे भेजा जाय। जनमत संग्रह के बारे में जहां तक मेरा विचार है यह बात स्पष्ट है कि पैसा देना किसी को अच्छा नहीं लगता। कोई भी कर लगाने के सम्बन्ध में यदि सर्वसाधारण से पूछा जाय या जो उससे प्रभावित होते हैं उनसे पूछा जाय कि यह कर लगाया जाय या न लगाया जाय तो मैं समझता हूं कि उस पक्ष में बैठने वाले या इस पक्ष में बैठने वाले कोई भी सदस्य ईमानदारी से यह नहीं कह सकते हैं कि वह कहेगा कि कर लगाया जाय, प्रत्येक व्यक्ति इनकार ही करेगा कहेगा कि न लगाया जाय। तो जनमत संग्रह के लिये भेजा जाना यह बात भी कुछ समझ में नहीं आती।

भाई जगदीश शरणजी ने जिस वक्त इसका स्वागत करने में अपनी असमर्थता प्रकट की, उस वक्त मुझे और भी आश्चर्य हुआ। मैं जानता हूं कि उनके सामने कुछ मजबूरियां हैं क्योंकि एक बहुत बड़े नगर से चुनकर आये हैं और वह बरेली जैसा महानगर है। उनको भी अपने निर्वाचकों के बीच जाकर कुछ जवाब देना है। हम लोग जो यहां चुनकर आये हैं उनके सामने वास्तव में सब कुछ जिम्मेदारियां होते हुये भी एक समस्या है। कुछ राजनीतिक अटकलों से चलना पड़ता है और अपने निर्वाचन क्षेत्र में जाकर जनता के अन्दर उन सारी बातों को रखना पड़ता है। वह कठिनाइयां उनके सामने हैं और उन्होंने इस बातको स्पष्ट कहा भी कि मैं एक महानगर से चुनकर आया हूं और मुझे इस बात का अनुभव है कि वहां क्या-क्या हो रहा है? उन्होंने जो इस बात को बतलाया कि इस बिल के अन्दर कहीं भी ऐसा कोई प्राविजन नहीं है कि जिसके द्वारा कोई बेवा हो या अपाहिज हो या कोढ़ी हो, वह किसी मकान में रहता हो तो उसको छूट मिल सके। उसको भी यह कर देना पड़ेगा। आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरी समझ में जहां तक काम किया है मैं यह कह सकता हूं कि इस बिल के अन्दर इस बात को स्पष्ट कर दिया गया है। इसके खंड ६ के उपखंड (३) में यदि देखें तो उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि ऐसी अन्य भूमियां और भवन, जिनका पूंजीगत मूल्य ऐसी धनराशि से अधिक न हो जो राज्य सरकार आदेश द्वारा तदर्थ निश्चित करे। तो जब यह अधिकार राज्य सरकार अपने हाथ में ले रही है तो मुझे इस बात का निश्चित विश्वास है कि राज्य सरकार कोई आसमान से टपककर तो आयी नहीं है या भारत वर्ष के बाहर की तो है नहीं, उसके भी हृदय है, और उसकी सहानुभूति देश की जनता के साथ उन से कहीं ज्यादा है जो अपने को इसका दावा करते हैं, वह इसी सहानुभूति को सिद्ध करने के लिये हो इस बात की कोशिश कर रही है कि थोड़ा-सा कष्ट उठाकर के भी जनता का उत्थान हो। बार-बार दुहाई इस बात की दी जाती है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना की आड़ में प्रत्येक कर को लादा जा रहा है और गरीब जनता पर टैक्स लगाया जा रहा है। गरीब जनता का बार बार यहां पर उल्लेख किया जाता है। मैं अपने भाषणों में पहले भी इस बात को कह चुका हूं और आज भी इस बात को दोहराना चाहता हूं। जब इस बात को हम सब मानने के लिये तैयार हैं कि हमारे देश में ९५ प्रतिशत से अधिक जनता गरीब है और इन गरीबों के घर को ही हमें बनाना है। उस गरीब ने भी यह विश्वास करके कि हमारे देश का उत्थान हो, हमारी दैनिक आमदनी बढ़े, हमारे देश का विकास हो, हमारी आय के साधन

[श्री बसंतलाल शर्मा]

बढ़ें, बहुमत में कांग्रेस को भेजा है। उस बहुमत की बात को मानने के बारे में, दुर्भाग्य है कि रियासत हुसैन साहब चले गये, वे प्रजातांत्रिक सिद्धान्तों को भूल जाते हैं। वह अपने सिर पर लाल टोपी लगाये हैं और जनतन्त्र पर कुठाराघात करने की बात कहते हैं कि इस सूबे के अन्दर बहुमत जो बात चाहे वह बात पास करा लेता है और तीन महीने के लिये सदन को बन्द कर दिया जाय और इससे पैसा बचाकर प्लान का काम चलाया जाय। ऐसी बातें सुन कर मुझको दुख होता है। जब प्रजातन्त्र को लेकर यह सरकार चल रही है और प्रजातान्त्रिक आधार के ऊपर ही सरकार के ये प्लान बने हुये हैं तो कौन-सा यह सही तर्क है कि बहुमत की बात नहीं मानी जाय। बहुमत की बात को मानना होगा। उनको इस बात के लिये कम से कम अपने को वंचित नहीं रखना चाहिये जब कि इस हाउस के अन्दर बराबर उधर के संशोधन बहस मुबाहसा के बाद मान लिये जाते हैं। अभी नरसों ऐसे प्रस्ताव यहां पर रखे गये और उनको कहीं-कहीं मान लिया भी गया है। इसलिये इस प्रकार का लांछन लगाना कि बहुमत अपने मत के आधार पर पास करा लेता है कोई शोभा की बात नहीं है और समझ में आने वाली बात नहीं है।

भाई राधेश्याम जी शर्मा ने कहा कि एक परिवार के ५ आदमी यदि एक मकान में रहते हों तो उसको टैक्स से वंचित कर दिया जाय। यह समझ में आने वाला तर्क नहीं है। आप को तो ऐसे परिवार भी मिलेंगे जिनके अन्दर ५ से अधिक आदमी भी रहते हैं क्योंकि भारत वर्ष में हम लोग जनसंख्या बढ़ाने में कमी नहीं रखते। लेकिन सोशलिस्ट, प्रजा सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट को प्रगतिशील विचार धारा के लोग हैं, जिनका प्रजातन्त्र में विश्वास है और जो नियोजन को मानते हैं वे इस बात को जानते हैं कि नियोजन के बिना कोई भी देश बनाया नहीं जा सकता है। इस बात का उनके दिल में विश्वास है। जब वह इस बात को कहते हैं कि ५ व्यक्तियों के परिवार को इस टैक्स से छोड़ दिया जाय तो फिर आखिर किसके ऊपर टैक्स लगाया जाय? जिस गरीब जनता का भला होने वाला है यदि उसके ऊपर टैक्स नहीं लगाया जाय तो फिर किसके ऊपर यह टैक्स लगाया जाय?

भाई बालोजी अग्रवाल ने कहा कि इस बिल को जनमत संग्रह के लिये भेज देना चाहिये। जो बात उन्होंने कही है उनके कहने का मतलब शायद यह था कि शहरों की जनता को डबल टैक्स देना पड़ेगा। हाउस टैक्स देना पड़ेगा और वाटर टैक्स वगैरह देना पड़ेगा और यह टैक्स भी देना पड़ेगा। मैं इस बात को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि म्युनिसिपैलिटीज को जो टैक्स दिया जाता है उसके बदले में म्युनिसिपैलिटीज शहर की जनता को कुछ विशेष लाभ पहुंचाती है। उनके लिये सड़क बनाती है, उनके लिये सफाई का स्टाफ रखती है, मजदूरों को रखती है जो सड़क पर घरों से फेंके गये कूड़े को साफ करते हैं। पीने के लिये पानी का इन्तजाम करते हैं। नगरों के लिये रोशनी का प्रबन्ध करते हैं। पानी के पाइप दौड़ाते हैं और अनेक लाभ के काम करते हैं। उनके लिये वह पैसा एकत्र करतीं हैं। लेकिन जब उसकी आड़ लेकर जब इस टैक्स का विरोध किया जाता है तो ताज्जुब होता है। यह टैक्स भी तो जनता के लाभ के लिये लगाया जा रहा है। एक तरफ तो आप यहां पर आंकड़े पेश करते हैं और यह कहते हैं कि शहरों की जनता की आय बढ़ रही है न कि देहाती क्षेत्र की जनता की। ग्रामीण जनता की अपेक्षा शहरी जनता की आय अधिक बढ़ी है। जब शहरी जनता के ऊपर टैक्स लगाया जाता है तो उसका विरोध किया जाता है कि उसके ऊपर टैक्स न लगाया जाय। उस दिन विरोधी पक्ष की तरफ से एक प्रस्ताव आया था कि किसी के ऊपर टैक्स न लगाया जाय। मैं निवेदन करूंगा कि यदि जनता के ऊपर टैक्स न लगाया जाय तो फिर किसके ऊपर टैक्स लगाया जाय। जिस दिन प्रस्ताव आया था तो मैं बोल नहीं पाया मैं तो एक मोटी-सी बात आज उस सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। दो बातें कही जाती हैं। एक तो टैक्स का बकाया वसूल कर लिया जाय और दूसरे कर को बकाया पैसा एकत्र किया जाय। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि टैक्स का बकाया वसूल करने

में दिक्कतें हैं और वह पहले भी बतलायी गयी हैं। पहले जो जुडिशियरी और एक्जीक्यूटिव एक में थी उस समय सदन में बहुत काफी हल्ला इस बात पर हुआ था कि उनको अलग-अलग होना चाहिये। वह अलग-अलग की गईं और आज न्यायालयों का, (जुडिशियरी का) एक स्वतन्त्र स्थान। उन बकायों के बारे में उनके आदेश पड़े हुये हैं, वे स्थगन के आदेश हैं और उनको आज भंग नहीं किया जा सकता। लेकिन यदि मैं आपकी बात मान भी लूं तो बकाया जितना है उसके स्पष्ट आंकड़े आने चाहिये कि उसकी वसूली से इतना धन हमारे पास आ जायगा और बाकी की कमी इस प्रकार पूरी की जायगी। एक वेग (Vague) बात की दुहाई देकर जनता में इस प्रकार की बात कहना कि हम टैक्सों का विरोध करते और सरकार टैक्स लगाना चाहती है, कोई फायदा नहीं होगा।

मैं इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजने का विरोध इसलिये भी कर रहा हूं कि इस में अनेकों संशोधन आये हैं और भी कई अन्य संशोधन आ सकते हैं और जब इस विधेयक पर विचार हो रहा है तो उनके द्वारा जो गलतियां हैं उनको सदन में ही ठीक भी किया जा सकता है। यह सदन तो विचारों के आदान-प्रदान के लिये है ही और इसमें विचारोपरान्त विधेयक की उन कमियों को ठीक भी किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त इसमें कोई ऐसी भद्दी भूल भी नजर नहीं आती कि जिसके कारण इसे प्रवर समिति में भेजना जरूरी हो। मैं समझता हूं कि इसे प्रवर समिति में भेजना उचित नहीं है और इस पर सदन में ही विचार होना चाहिये। शहरी जनता की आय बढ़ने की बात जब कही जाती है तो उस पर कर लगाया जाय तो उसका विरोध नहीं होना चाहिये। मिडिल क्लास की दुहाई दी गयी। लेकिन आज हम क्यों समझते हैं कि वह किसान के मुकाबले में सखी है और किसान के मुकाबले उसकी आय ज्यादा है। यदि वह सुखी है तो उसे टैक्स देने में गुरेज नहीं करनी चाहिये। एक एकड़ जमीन वालों की दुहाई दी गयी कि उनको छोड़ दिया गया है। विधेयक में एक एकड़ वालों के साथ कोई रियायत नहीं की गई है। एक पूंजीगत आय, जिसकी परिभाषा इसमें दे दी गयी है उसके अनुपात से उस पर टैक्स लगेगा। और यह स्पष्ट है कि एक एकड़ को मकान बना होगा वह काफी बड़ा होगा। यह जरूरी नहीं है कि वह किसी बड़े आदमी का ही मकान हो। वह मकान किसी गरीब आदमी का भी हो सकता है। ऐसी अवस्था में यदि उसे उसमें शामिल कर लिया जाय तो इसमें अनर्थ की कौन-सी बात है। फिर आगे स्पष्ट भी कर दिया गया है कि एक एकड़ के अतिरिक्त भूमि पर कर पृथक रूप से लगाया जा सकेगा। वह पृथक रूप इसमें स्पष्ट नहीं किया गया है। तो हो सकता है कि वह अधिक मात्रा में हो। यदि उनका मालिक बड़ा आदमी समझ में आता है तो उसके लिये वैसा प्राविधान हो सकता है। तो किसी विधेयक में ऐसी आशंकायें पैदा कर देना जिसके लिये सरकार अपने हाथ में अधिकार ले रही हो, उचित नहीं मालूम होता और इसलिये इसका प्रवर समिति में जाना उचित नहीं है। इसे प्रवर समिति में भेजना समय नष्ट करना है और साधनों की प्राप्ति में अड़ंगा लगाना होगा। यहां सदन में विचारों का आदान-प्रदान करके इसे दुरुस्त किया जा सकता है। मेरा सुझाव है कि इस पर विचार होना चाहिये।

श्री विजयसिंह (जिला जालौन)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय भोखालाल जी ने जो प्रस्ताव प्रवर समिति में विधेयक को भेजने के लिये रखा है, उसका मैं समर्थन करता हूं। यह जो अप्रिय बिल है, जो आरम्भ से ही एक तरह से गलत है। जिसकी बेसिस ही रांग है, मैं इस बिल के सम्बन्ध में विरोध करना चाहता हूं।

जैसा कि हमारे माननीय पूर्ववक्ता महोदय ने कहा है कि शहरों की आमदनी बढ़ी है। परन्तु क्या इतनी आमदनी बढ़ी है कि आप छोटे से छोटे आदमी से लेकर बड़े से बड़े आदमी तक यह टैक्स लगायें। इस Bill में ऐसा कहीं नहीं है कि किसी गरीब आदमी को छोड़ दिया गया हो। इसमें जो बात गलत हो रही है, वह यह है कि इसे नागर क्षेत्रों में १ जुलाई से प्रचलित हुआ समझा जायगा। यह रिट्रासपेक्टिव इफेक्ट्स यह बिल आगे चल कर कभी

[श्री विजयसिंह]

पास होगा ही और इसका असर गरीब लोगों के ऊपर भी अधिक पड़ेगा और अमीर लोगों के ऊपर इसका प्रभाव नहीं के बराबर है ।

श्रीमन्, अभी कहा गया कि हम लोग प्लानिंग का विरोध करते हैं और करते भी अवश्य हैं । क्या हमारा यह कहना कि आप प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय बढ़ाइये तो क्या हम प्लानिंग का विरोध करते हैं ? हम मन्त्रिमन्डल का विस्तार कम करने के लिये कहते ह तो, हम क्या प्लानिंग का विरोध करते हैं ? 'A' class के बड़े अधिकारियों की एक हजार से अधिक तनख्वाह मत रखिये यदि हम ऐसा कहते हैं तो क्या प्लानिंग का हम विरोध करते हैं । जनता के खून पसीने की कमाई का सदुपयोग करने को कहकर क्या हम प्लानिंग का विरोध करते हैं ? सेकेंड फाइव ईयर प्लान जो आपकी फेल हो गई है, उसकी आलोचना यदि हम करते हैं तो क्या इसके माने यह हैं कि हम आपकी प्लानिंग का विरोध करते हैं ? हम आपकी तृतीय पंचवर्षीय योजना का विरोध वहां पर अवश्य करते हैं, यहां पर आप का थर्ड फाइव इयर प्लान बनाने में बौद्धिक सन्तुलन असन्तुलित हो गया है और आप उससे परेशान हो गये हैं और जिस बिल को पैसा लूटने के लिये लाना चाहते हैं ले आते हैं, केवल हम यहीं पर नहीं इस Bill का विरोध करते हैं हम इस प्रकार के सभी Bills का विरोध करेंगे । नहीं सोचते कि इस का गरीब जनता पर क्या प्रभाव पड़ेगा ? मैं तो यही कहूंगा कि सरकार का स्वरूप ऐसी परिस्थितियों में एक शरीफ डाकू के समान होता चला जाता है, जो बगैर बंदूक के कानून के सहारे, गरीब जनता की कमाई को लूटता है । उस की रोजी और रोटी छीनना चाहता है ।

श्रीमन्, इस बिल में एक तरफ से ही उलझन पैदा करने वाली चीजें आ गई हैं । उनको सिम्पलीफाई किया जाय । इसके लिये मैं जोर देता हूं कि इसको प्रवर समिति में भेजा जाय । जिससे इसकी खामियों पर विशेष विचार हो सके । यह बिल देहाती क्षेत्रों में भूमि कर लगाने के लिये, शहरों के नाम से यह कर लगाना ग्रामीणों को दिखाना है कि हम शहरों के धनपतियों पर भी कर लगाते हैं पर है यह छोटे भाई का ही गला काटने को ।

म्युनिसिपैलिटी कारपोरेशन और नोटीफाइड एरिया में जो भी टैक्स पड़ता है वह तो लगेगा ही इसके अलावा इस Bill की मन्शा कैपिटल वैल्यू निकाल कर एक और नया कर लेने की है । इस सब बातों पर प्रवर समिति में विचार हो सकेगा कि इसकी या Capital value का क्या आधार होना चाहिये । मैं तो यही कहूंगा कि इसको म्युनिसिपैलिटीज को दे दिया जाय और वही इसको लगायेंगे । इससे जो छोटे-छोटे मकान वाले लोग हैं, झोपड़ी वाले हैं, उनकी छूट पर भी विचार हो सकेगा और इसमें जो अभी बहुत बड़ी कमी है संम्भवतः नहीं रह जायगी । वहां म्युनिसिपिल टेक्सेज पर परसेंटेज हिसाब से लगाया जायेगा और इसकी वसूलयाबी के लिये अलग से कोई मशीनरी का इंतजाम भी नहीं करना पड़ेगा जिससे खर्चे के लिये अधिक धन की आवश्यकता नहीं होगी । यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको इसकी वसूलयाबी में अलग से मशीनरी लगानी पड़ेगी और व्यर्थ में आपका खर्चा बढ़ेगा ।

जैसा कि भाई जगदीशशरण जी अग्रवाल ने कहा और मैं उनकी बात का स्वागत करता हूं कि स्पष्टीकरण के विचार से इस बिल के अंदर कुछ कमी रह गई है । एक बात मैं अवश्य और अर्ज कर दूं जैसा कि उन्होंने भी कहा, कि ५ हजार से अधिक कैपिटल वैल्यू के आधार पर शहर वालों पर वह टैक्स लगेगा और देहात में ३,६०० की वैल्यू पर टैक्स लगेगा । यह देहात वालों पर अन्याय होगा । और सौतेला व्यवहार समझा जायगा । तो अन्त में मेरा यह कहना है कि इसको प्रवर समिति में भेजा जाय ताकि वहां दिमाग को सही करके इस पर हम विचार कर सकें और तब अमल में लायें ताकि गलत टैक्स दुरुस्त हो सकें ।

श्री मूलचन्द शास्त्री (जिला मेरठ)—उपाध्यक्ष महोदय, मुझे खुशी है कि प्रस्तुत बिल का विरोध हमारे विरोधी माननीय सदस्य नहीं कर रहे हैं । मुझे ऐसा लगता है कि वे भी समझते हैं कि यह टैक्स तो लगना ही है । इसलिये इसका विरोध न करके वह कहते हैं कि यह प्रवर समिति में भेजा जाय, यानी वह स्वागत तो करते हैं, सिर्फ विलम्ब करना चाहते हैं । मैं प्रार्थना करूंगा कि यह बहुत पहले रखा जा चुका है, अब एक धारा पर बहस होगी, काफी अवसर विवाद का मिलेगा । प्रवर समिति में भेजने से अनावश्यक देर होगी । कहा जाता है कि बहुमत है, पास तो हो ही जायगा, तो ठीक है, अगर आप ऐसा ही समझते हैं तो फिर प्रवर समिति में भेजने से ही क्या विशेष लाभ हो जायगा । अच्छा होता कि आप स्वागत करते कि अब तक तो गांवो पर ही टैक्स लगता था आज शहरों पर भी लगने का वक्त आया है । विरोध के पीछे भी अजीब भावना है । यह नहीं सोचते कि यह टैक्स उन्हीं रईसों पर लगेगा जिनके घरों में सब कुछ है, बिजली है, पानी है । और उन रईसों से थोड़ी भी आमदनी यदि होगी तो वह गरीब जनता के ही काम आयेगी, यह तो खुशी का विषय है ।

अभी एक माननीय सदस्य ने कहा कि हमें किफायत करनी चाहिये और बजाय २०० के सौ रुपया लिया जाय, बजाय ६–७ महीने के ३ महीने सेशन कर लिया जाय और १० रुपये के बजाय ५ रुपया रोज लिया जाय । मुझे इस सुझाव से सचमुच बड़ी खुशी हुई और मैंने सोचा कि अगर वह माननीय सदस्य या उनकी सारी पार्टी इसमें पहले कर दे तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि मैं उनका अनुकरण कर सकूं या नहीं यह तो अलग बात है, लेकिन मैं हृदय से उनकी सराहना जरूर करूंगा इधर का कोई भी सदस्य नहीं होगा जो हृदय से उनकी सराहना न करे । कल से लिख कर दे दिया जाय ताकि गवर्नमेंट आपके सुझाव को आपके लिये माने और जो इस प्रकार का सुझाव देना चाहते हैं उनको उस पर अमल अवश्य करना चाहिये और कल से ही अमल शुरू कर दें, यह मैं उनसे प्रार्थना करता हूं । एक बात यह कही गयी कि आबादी बढ़ रही है और सरकार परेशान है। मुझे याद है कि एक बहुत बड़े नेता ने एक स्थान पर यह कहा था कि आबादी बढ़ती चली जा रही है, लोग संयम से काम लें या फिर आपरेशन करा लें इन शब्दों को तोड़ा-मरोड़ा गया । आज भी एक सदस्य को यह कहते सुना गया कि आबादी बढ़ती जा रही है और जब किसी के घर में लड़का पैदा होता है तो खुशी मनाई जाती है किन्तु ये कांग्रेसी खुशी नहीं होते । मैं इस बात से सहमत हूं कि आबादी कम होनी चाहिये । यह ठीक बात है । लेकिन वह संतान यदि ईश्वर की देन है तो गवर्नमेन्ट ने यह दावा कभी नहीं किया कि हम ईश्वर के ऊपर होकर कोई काम करना चाहते हैं । आबादी जहां तक हो सके कम बढ़े इसके लिये सम्भव उपाय करें, यह ठीक है लेकिन किसी भी बात को तोड़ मरोड़ कर नहीं कहना चाहिये ।

एक बात यह कही गयी कि शहरों के अन्दर बेकार आदमी भी रहते हैं और उन पर भी टैक्स लगेगा। मैं कहता हूं कि यह बात ऐक्ट में कहां कही गयी है कि जो बेकार आदमी हैं उन पर भी टैक्स लगेगा ? इसमें तो यह है कि जो शहरों में, अपने मकान में या किराये के मकान में रहते हों उन पर टैक्स लगेगा । क्या यह हो सकता है कि जब बारिश हो रही हो तो आप कहें कि जहां सूखा हो वहीं पानी बरसे, दूसरी जगह न बरसे । क्या यह हो सकता है ? कदापि नहीं । इसी तरह से जब टैक्स लगेगा तो वह सभी पर लागू होगा, उसमें गरीब भी आयेंगे, अमीर भी आयेंगे औसत दर्जे के भी आयेंगे । उस नियम के दायरे में सभी आ जायेंगे और अगर कोई बच जायें तो यह कहा जायेगा कि सरकार ने पक्षपात किया । इसलिये मैं विरोधी दलों के सदस्यों से यह विनम्र निवेदन करूंगा कि उनको यह बात अवश्य सोच लेनी चाहिये कि हर बात का विरोध करने से जनता में यह भावना पैदा होती है कि यह विरोधी लोग तो केवल विरोध करने के लिये ही विरोध करते हैं यह किसी सिद्धान्त का विरोध नहीं करते । मैं समझता हूं कि एक शहर में अगर दो ढाई हजार रिक्शे वाले हैं तो उसमें मुश्किल से एक दो रिक्शेवाले ही ऐसे होंगे जो अपना मकान रखते हों । अभी तक हम लोग यह शिकायत करते आये हैं कि जो भी टैक्स सरकार लगाती आयी है वह देहातों में ही लगाती आयी है, शहरों पर नहीं । अभी तक इस प्रकार का विरोध आपने किया है । अब इस तरह का बिल माननीय मंत्री जी यहां लाये हैं जिससे उन लोगों पर भी टैक्स लगेगा ।

[श्री मूलचन्द शास्त्री]

जो लोग शहरों में रहते हैं । इससे उन लोगों पर भी टैक्स लगेगा जिनके बारे में यह कहा जाता रहा है कि उनकी आमदनी बढ़ रही है । और इससे उन लोगों के ऊपर भी टैक्स लगेगा जो बड़े आदमी कहलायें जाते हैं । इन शब्दों के साथ में, जो संशोधन विरोधी पक्ष की तरफ से पेश हुआ है, उसका विरोध करता हूं और यह चाहूंगा कि जो संशोधन माननीय सदस्य ने पेश किया है, वे उसे वापस ले लें ।

*श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का जो आज सदन के सामने है, स्वागत करता हूं इसलिये कि आखिर शहर वालों की तरफ सरकार का ध्यान तो गया । शहर वालों पर हर बार यही आक्षेप लगाया जाता था कि उनसे वसूली की तरफ काफी ध्यान नहीं दिया जाता । सरकार जब लूटने को सोचती है गांव वालों को ही लूटने की सोचती है । आज यह पहला मौका है कि जब शहर वालों को लूटने, उनकी जेब के अन्दर हाथ डालने की उसने सोची है । लेकिन पैसे वालों को तो लूटना ठीक भी है लेकिन लंगोटी वालों की लंगोटी में हाथ डालना कहां तक ठीक है ? यह बात अपनी समझ से बाहर की है । जिसकी झोपड़ी में दिया नहीं जलता है, जिसके दिये में तेल नहीं है, उसकी झोपड़ी को आप खाली करवाना चाहते हैं । सरकार कहती है कि अगर ऐसा देखा जायगा तो सरकार उस पर विचार करेगी और उनको सुविधा दे देगी लेकिन फिर यह खाली बंदूक क्यों चलायी जा रही है ? सरकार श्री बालोजी अग्रवाल के उस संशोधन को क्यों नहीं मान लेती है । जिसमें कहा गया है कि १० रुपया माहवार या १२० रु० साल देने वाले गरीब लोगों को इससे वंचित कर दिया जाय । उसके मान लेने से सरकार पर कौन-सी मुसीबत आ जायगी । मैं स्वागत करता हूं कि बड़े-बड़े कोठी वालों से पैसा लिया जाय, लेकिन गरीबों से इसको माफ किया जाय । वाटर टैक्स के अलावा उन पर आप यह बोझा डाल रहे हैं, इसे कभी भी समझदारी नहीं कहा जा सकता । आशा है कि मंत्री जी १२० रुपया साल और १० रुपया माहवार वाले संशोधन को स्वीकार कर लेंगे कि उनको छोड़ दिया जाय ।

म्युनिसिपैलिटी, टाउन एरिया और ऐसी दूसरी संस्थायें अपने अधिकार क्षेत्र में हाउस टैक्स लगाती है उन्होंने एक एन्युअल रेंट हर मकान का मान रखा है और उसके बारह महीने के किराये पर कुछ प्रतिशत टैक्स लिया जाता है । लेकिन इस बिल के अन्तर्गत रखे गये अधिकारी को आप ऐसा अधिकार दे रहे हैं कि अगर वह अधिकारी यह समझे कि सही ढंग से किराया निर्धारित नहीं किया गया है तो वह रिवाइज कर सकता । यह अनुचित सी चीज होगी । जो म्युनिसिपैलिटी के लोग पास के ही रहने वाले हैं, पड़ोसी हैं वह तो जानते नहीं हैं कि बिल्डिंग का किराया क्या है और वह बाहर का व्यक्ति जान लेगा । यह समझ से बाहर की बात है । ऐसा अधिकार देना उचित नहीं है । इससे वातावरण दूषित होगा, रिश्वत बढ़ेगी, गलत तरीके इस्तेमाल होंगे । अब तक एक और चीज है, वह है इंडस्ट्रीज के बारे में जिसके मुताल्लिक एक सेक्शन रखा गया है । होटल्स के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूं । उन पर आप जितना टैक्स लगाना चाहें लगा दें । जिन होटलों में शराब बनती हैं, दुर्व्यवहार होता है, और अजीब अजीब किस्म के किस्से होते हैं उन पर आप चाहे जितना कर लगाना हो लगा दें, लेकिन शहरों के अन्दर जो नयी इंडस्ट्रीज कायम होती जा रही हैं—मान लीजिये आज किसी जमीन की कीमत १०–१५ लाख रुपये है और उस पर १० लाख रुपये की बिल्डिंग बनायी जाती है और आप समझते हैं कि वहां नयी इंडस्ट्री कायम की जा रही है । उसका बीसवां हिस्सा लगाकर रेंटल वैल्यू ५० हजार लगा दिया गया है तो उसका हिस्सा यानी ५ हजार सालाना उस पर आप कर के रूप में थोपते हैं, तो यह इंडस्ट्री के रास्ते में एक बड़ा रोड़ा हो जायगा । उसमें कुछ ज्यादा छूट दी जाय ताकि रेंटल वैल्यू सही ढंग से निकाली जा सके । क्योंकि इंडस्ट्रीज की ओर सरकार

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

का ध्यान है, इसलिये उसके रास्ते में किसी तरीके से इस नये बिल के मुताबिक रोड़ा नहीं अटकाना चाहिये ।

इसके बाद मैं इस बात का भी समर्थन करता हूं कि जो आपने इस बिल के अन्दर किराये की दर रखी है । मैं जानता हूं कि पिछले १४–१५ वर्ष के अन्दर मकान मालिक को कोई हक नहीं था कि वह अपने किराये को बढ़ा सके । किराया न बढ़ाने से मकान की वह वैल्यू न रही जो आज के वातावरण में बने हुए मकानों की है । नये बने हुए मकानों का किराया कुछ और है और पुराने बने हुए मकानों के जो मालिक हैं, उनके सामने मुश्किलात ऐसी हैं कि एक तो किरायेदार वक्त पर उसका किराया नहीं दे पाते और अगर देते भी हैं तो वह उतना किराया नहीं देते जिससे वह उसकी मरम्मत भी करा सकें । इस आधार पर आप १०, १५ या २० रुपये या जो भी निश्चित करें उसके कम के किरायेदारों पर छूट दे दें लेकिन ऊपर के जितने किरायेदार हैं उनके ऊपर जरूर टैक्स लगाया जाय, यह निहायत उचित बात होगी । इससे मकान मालिकों को राहत मिलेगी और उनके ऊपर नाजायज बोझ टैक्स का नहीं पड़ेगा । छोटे किरायेदारों पर छूट मिलनी चाहिये, लेकिन बड़े-बड़े किरायदारों से यह कर वसूल होना चाहिये । यह अच्छी चीज है जिसका कि मैं समर्थन करता हूं । सम्भव है मेरे मित्र इसे उचित न समझते हों लेकिन मेरे ख्याल में इसका समर्थन उन्हें करना चाहिये ।

अब सवाल यह है कि जिस तरह का वातावरण शहरों के अन्दर पैदा होता जा रहा है कि आम जनता उम्मीद करती है कि जितना भी रुपया उससे वसूल किया जाता है उसका इस्तेमाल सही ढंग से हो । अगर उनके पैसे का इस्तेमाल सही ढंग से होता है तो उन्हें खुशी होती है और उनको पैसे देने में कोई संकोच नहीं होता है । पैसा बरतने के पहले हर आदमी गारंटी चाहता है कि उसके पैसे का सही ढंग से इस्तेमाल होगा । आज लोगों को आपको टैक्स देने में संकोच है वह इसलिये कि आम जनता की राय आप के साथ नहीं है । आप भी जानते हैं कि जनता आपका समर्थन नहीं कर सकती, जिससे आपके दिल में भी संकोच है । आपके प्रति लोगों का जो पिछला प्रेम था वह खत्म हो चुका और अब लोगों का सपोर्ट आपके साथ नहीं रह गया है । आम जनता समझती है कि उनके पैसे का, गरीबों के पैसे का सही ढंग से इस्तेमाल नहीं होता है और इस तरह से आप पर से लोगों का विश्वास उठता जा रहा है ।

म्युनिसिपल एलेक्शन को आप एक-एक साल और रोके चले जा रहे हैं और आपने फिर उसे टालने का प्रबंध कर लिया है, क्योंकि इसलिये कि आप समझते हैं कि जिस तरह से आप बिल ला ला कर लोगों के ऊपर टैक्स का बोझ लादते चले जा रहे हैं, लोग आपका सपोर्ट नहीं कर सकते । और आप की पार्टी को तथा आप के लोगों को वोट नहीं मिलेंगे और उनको आउट कर दिया जायगा । इसी डर से आप को घर का भूत खा रहा है और इसी कारण से आप इलेक्शन को पोस्टपोन कर रहे हैं । आपके इस स्थगन से यह साफ जाहिर है कि आप पब्लिक के सामने जाने की हिम्मत नहीं करते, उसके सामने जाकर खड़े होने को तैयार नहीं हैं । लेकिन कोई सरकार अपना कारबार नहीं चला सकती जब तक कि उसके साथ जनता का समर्थन न हो, जब तक उस का दिल साथ न हो जब तक उसका मन आपके साथ न हो । ठीक है आपके पास डंडा है, गुप्ता जी डंडा ले आयें हैं वह डंडे से ही अपनी पार्टी चलाते हैं और वह उसी डंडे से हमें और जनता को हांकना चाहते हैं लेकिन यह चीज नहीं चल सकती । हमने सन् १९३० के जमाने में सुना था कि––

"वह जुल्म पर जुल्म किये जायेंगे,
अभी तो हम भी दाद दिये जायेंगे ।
वह वक्त नहीं दूर ऐ नूर
जब बदले गिन गिन कर लिये जायेंगे ।"

श्री सुक्खनलाल (जिला मुरादाबाद)––उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन के सामने जो (नगर क्षेत्र) भवन और भूमि कर विधेयक प्रस्तुत है, मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं और जो प्रवर समिति में भेजने का प्रस्ताव आया है उसका विरोध करता हूं ।

[श्री सुक्खनलाल]

मैंने माननीय विरोधी दल के सदस्यों के भाषण सुने और अनेक भाषणों को सुनने के बाद यह तो कहा ही जा सकता है कि वह कर लगाने के विरोध में नहीं हैं बाकी अपनी आड़ वह किसी तरह से लेते हैं, यह कह कर कि गरीबों पर असर पड़ता है, उनको लूटा जाता है, गरीब रिक्शा वालों को, मजदूरों को सताया जाता है। मैं नहीं समझता कि इस बिल में कहां पर ऐसी व्यवस्था है कि जिस का गरीबों पर असर पड़ेगा, कैसे इन झोपड़ो वालों को और गरीब रिक्शा चलाने वालों पर असर पड़ेगा। इसका असर तो वह लोग जो पूंजीपति हैं बड़ी-बड़ी कोठी और मकान वाले हैं या जो किरायेदार उन पर टैक्स का बहुत हल्का सा भार पड़ेगा। उधर से अपने बचाव के लिये प्रचार किया जाता है और तरह-तरह की बात की जाती है और मजदूरों, रिक्शे वालों की आड़ ली जाती है। जहां किसानों की बात कही जाती है वहां अगर देहातों में किसानों की आय का अन्दाजा लगाया जाय तो शहरों की मिडिल क्लास की आय किसान की आय से किसी तरह भी कम नहीं है और उनकी आय कुछ न कुछ किसान की आय से अधिक बढ़ी हुई है जब आप नियोजन के द्वारा सब की आवश्यकतायें पूरी करने की बात करते हैं और आशा करते हैं कि हमारे देश के हर निवासी का जीवन स्तर ऊंचा हो जाय और उसे रात-दिन की आवश्यकतायें पूरी हों तो आप को सोचना होगा कि कैसे वह साधन इकट्ठा किये जायं और कहां-कहां से वह साधन जुटाये जायं।

मैं तो बड़े आदर के साथ माननीय मंत्री जी की सराहना करता हूं जो उनका ध्यान इस तरफ गया। आज ध्यान गरीबों से हटकर इधर गया, वह लोग जो शहरों के बिजली पंखों में रहकर जितना टैक्स जो कुछ भी देते थे, वह अपने आराम के लिये देते थे, वह हाउस टैक्स या म्युनिसिपल टैक्स ऐसा नहीं था कि जिससे दूसरों को लाभ पहुंचता हो, जितना लाभ वह उठाते थे उतना ही देते थे। लेकिन यह एक ऐसा टैक्स है कि जिस से जनसाधारण का लाभ होगा और वह धन हमारी योजना में काम आयेगा, जिससे गरीब आदमी को भी लाभ पहुंचेगा। इस कर के द्वारा हम गरीबों का बहुत कुछ उत्पादन कर सकेंगे जिनको वह बहुत दुहाई देते हैं। हम आज लोगों के भावी आराम का प्रबंध करना चाहते हैं उनकी सुविधाओं के साधनों को पूरा करना चाहते हैं, नाना प्रकार के साधन सड़कों, अस्पतालों, नहरों, डेम्स का प्रबंध करना चाहते हैं। जब हम इन जरूरतों को सामने रखते हैं तो इस प्रकार का थोड़ा-सा कर लगाना आवश्यक हो जाता है और चाहते हैं कि इस के लिये जनता का हर एक आदमी सहयोगी बने। मैं एक बात यह भी कहूंगा कि जिन लोगों ने उन गरीबों को दुहाई दी है कि उनको टैक्स देना पड़ेगा, मैं समझता हूं उन लोगों का गरीबों के साथ कैसा व्यवहार रहता है। गरीब लोग उन्हीं के द्वारा ज्यादा सताये जाते हैं जो आज गरीबों की दुहाई देते हैं। इस बिल का असर किसी भी गरीब पर नहीं पढ़ने वाला है, कोई झोपड़ी या रिक्शेवाला इससे प्रभावित नहीं होगा। क्योंकि इसमें है कि जब कर लगाया जायगा तो यह देखा जायगा किस पूंजी वाले मकान किस हद तक के किराये के ऊपर टैक्स लगाया जाय। फिर कैसे इसका असर गरीबों पर पड़ेगा, मेरी समझ में नहीं आता।

कहा गया बेवा, मोहताज और अपाहिजों पर भी इसका असर पड़ेगा। वह किस तरह से इसमें आते हैं? जब इस बिल में स्पष्ट है कि उन्हीं पर टैक्स लगाया जायगा जिनके मकान की कीमत ऐसी होगी जो इस कर के दायरे में आ सके, तो फिर बेवा, अपाहिज का इससे क्या संबंध है। जिनके पास बड़ी-बड़ी जमीनें हैं उन पर आज तक कोई ध्यान नहीं गया, काश्तकार अगर एक बिस्वा भी जमीन जोतता था तो उसको सरकार को लगान देना पड़ता है लेकिन शहरों में एक-एक कोठी में कई-कई एकड़ जमीन खाली पड़ी रहती है, या उसमें लोग सब्जी पैदा करके आमदनी करते थे, लेकिन आज तक सरकार ने उनसे कोई कर वसूल नहीं किया। अब अगर उस भूमि पर टैक्स लगाया जा रहा है तो क्या एतराज हो सकता है। तकलीफ उन्हीं लोगों को पहुंच सकती है जो अभी तक ऐसी जमीनों से लाभ उठाते थे, जिनकी हजारों लाखों की किराये की आमदनी होती है। तो इस बिल से गरीबों को कोई तकलीफ नहीं होगी। इसका असर पैसे वालों पर ही पड़ेगा। अतः मैं प्रवर समिति में भेजने के प्रस्ताव का विरोध करता हूं और इस बिल का समर्थन करता हूं।

*श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—उपाध्यक्ष महोदय, हम लोग इस बात की प्रतीक्षा में थे कि यहां कोई बिल ऐसा आवे, जिसमें नगर के पूंजीपतियों पर भी कोई टैक्स का बोझ पड़े । इसलिये जब यह बिल सामने आया तो हमने सोचा सरकार ने कोई अच्छा कदम इस दिशा में उठाया होगा और हमारे उन आरोपों का, जो अब तक हम लगाते रहे हैं, उत्तर देने की कोशिश की होगी । वह आरोप यह था कि करों का भार गरीब किसानों और मजदूरों पर ही पड़ता है नगर के पूंजीपतियों पर कोई टैक्स नहीं लगाया जाता । लेकिन जब इस बिल को देखा तो उससे बड़ी निराशा उत्पन्न हुई । कहने को तो यह नगर में टैक्स लगाने का बिल है । नगर में जिनके मकान और जमीन हैं उन पर टैक्स लगेगा । परन्तु वास्तव में जब इस पर गंभीरता से सोचा जाय तो इसमें से ७५ प्रतिशत टैक्स उन लोगों पर पड़ेगा जो वहां मजदूरी के ख्याल से आते हैं या छोटी मोटी नौकरी करते हैं और उन मकानों में रहते हैं । इसलिये इस बिल की जो भावना है वह समाप्त हो जाती है ।

वास्तव में देखना यह चाहिये कि भार किस पर पड़ेगा ? इसलिये जो सुझाव कुछ माननीय सदस्यों ने दिये हैं और मेरा भी यह मत है कि जिन नगरपालिकाओं में वाटर टैक्स और हाउस टैक्स लिया जाता है, उनमें एक निश्चित लागत के या निश्चित एनुअल वैल्यु के मकानों तक टैक्स नहीं लगना चाहिये था । लेकिन इसमें स्पष्ट रूप से निर्देश दिया गया है कि यह उन सभी करों के अतिरिक्त होगा जो वहां पहले से लागू हैं । ऐसी हालत में सभी लोगों पर चाहे उसका एक मकान है, एक कमरा है, छप्पर पड़ा हुआ है, कच्ची मिट्टी का मकान है या बेआबाद जमीनें हैं, उन सब पर यह टैक्स लगाया जायगा । यह बात निराशाजनक और खेदजनक है और इससे गरीब जनता पर बहुत बड़ा टैक्स पड़ेगा और नगर के लोगों पर जो टैक्स लगाने का विचार है वह इस तरह से बहुत अंश तक समाप्त हो जायगा ।

सबसे बड़ी बात जो इस बिल को देखने से पता चलता है वह यह है कि जितनी भी उम्दा धारायें हैं उन सब पर नियम बनाने का अधिकार सरकार ने अपने हाथ में ले लिया है । कुछ धारायें ऐसी हो सकती थीं इसमें जिनका इस बिल में तुरन्त निर्देश किया जाता और जिन पर यहां बहस की जा सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया । बहुत सी बातें सरकार ने अपने कब्जे में रख छोड़ी हैं और उन पर जब वह चाहें नियम बना सकती है । सबसे बड़ी बात जो अपने कब्जे में सरकार ने रख छोड़ी है वह यह है कि उस धनराशि की सीमा जिसके मूल्य तक की आबादी के मकान या जगह वह छोड़ देगी टैक्स से मुक्त कर देगी । इससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि सरकार का इरादा कुछ दुर्भावनापूर्ण है वर्ना यह कोई ऐसी बात नहीं थी जिसे अपनी पार्टी के अन्दर बहस के जरिये तय नहीं किया जा सकता था कि इतने मूल्य और किरायों के मकानों को कर मुक्त रखा जायगा । इसमें जो धारा दी हुई है, उसमें पूंजीगत मूल्य का जिक्र आया है । अगर हम पूंजीगत मूल्य को मान लें तो वह बहुत बढ़ा-चढ़ा कर बतलाई जा सकती है और अगर पूंजीगत मूल्य का १० प्रतिशत टैक्स के रूप में मान लें किसी जमाने में जाकर तो बहुत से लोग टैक्स नहीं दे सकेंगे । जो डेफिनीशन दी गयी है और जो स्पष्टीकरण दिया गया है वह तो संशोधन करके उसमें कभी भी लाया जा सकता है और उसमें भी कई प्रकार की बात कही गयी है । किन्हीं नगरपालिकाओं ने जो हाउस टैक्स एसेस कर रखा है रेंटल वैल्यू पर उसे पूंजीगत लागत मान लेंगे और कहीं कुछ और कहा गया है तो इस प्रकार से पूंजीगत मूल्य वाली धारा में जो कहा गया है वह भ्रम में डालने वाली बात है और सरकार के इरादे को प्रगट करती है । अन्त में जाकर इतना भारी बोझ टैक्स का पड़ जायगा जो कोई दे नहीं सकेगा और अन्त में उन मकानों का राष्ट्रीयकरण ही करना पड़ेगा । एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि उन्हीं मकान पर टैक्स लगाने की बात इस बिल में होनी चाहिये थी जो किराये पर उठाये जाते हैं । जो अपने रहने के मकान हैं, जिनमें कोई किरायेदार नहीं रखा जाता है, वे छोटे होते हैं । उनके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगना चाहिये । लेकिन उनमें सभी मकानों पर टैक्स लगाया गया है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री हरीशकुमार गंगवार]

तीसरी बात यह है कि इसमें किरायेदारों से टैक्स वसूल किया जा सकता है। जो जमीन या मकान का मालिक है वह उस टैक्स का रुपया जमा तो खुद करेगा लेकिन अपने किरायेदार से उसको वसूल करेगा। ऐसी स्थिति में किराया बहुत बढ़ जायगा और हर आदमी को किराये के मकानों में रहना मुश्किल हो जायगा।

इसके अलावा इसमें अपीलेन्ट अथारिटी के लिये कलेक्टर या और किसी अदालत का जिक्र किया गया है। हमारा ख्याल है कि जहां कहीं भी हम अपील सुनने का अधिकार कलेक्टर को देते हैं वहां जनता के साथ कुछ अधिक न्याय नहीं हो पाता। इसलिये अपील मुन्सिफ या जज के यहां होनी चाहिये।

प्रजातांत्रिक पद्धिति में सरकार का विश्वास कहने हैं कम होता जा रहा है। यदि सरकार इसी प्रश्न पर नगरपालिकाओं में चुनाव करा ले और उसके बाद इस टैक्स को लगाये तो मेरा ख्याल है यह समयोचित सुझाव होगा क्योंकि आपने वादा किया है कि नवम्बर में आप चुनाव कराने जा रहे हैं। अभी आप इस बिल को पोस्पोन कर दें और जब इस प्रश्न पर चुनाव लड़ कर बहुमत आपको प्राप्त हो जाय तो इस बिल को पास करा लें। यह तो आपके अपने अधिकार में है कि इसको पहली जुलाई से लागू करें या पहली अप्रैल से लागू करें।

जहां तक जमीनों का सवाल है, हां पक्ष के एक माननीय सदस्य ने कहा कि जमीनें पड़ी हुई हैं, सौ रुपये में खरीदी गयी थीं जिनकी अब कीमत हजार रुपये होगी मगर उनका कोई उपयोग नहीं हो रहा है, इसलिये उन जमीनों पर भी हम टैक्स लगायेंगे। लेकिन वास्तव में जो जमीनें पड़ी हुई हैं उनमें ज्यादातर ऐसे लोगों की हैं जो मकान धन की कमी के कारण बना नहीं सके हैं। किसी ने भी बीस साल पहले इस ख्याल से जमीन नहीं खरीदी होगी कि कीमत बढ़ जायेगी तो बेच लेंगे। उसके पास अगर पैसा होता तो वह जरूर मकान बना कर आमदनी करता। इसलिये जो जमीनें पड़ी हुई हैं और जिनके मालिकों के पास मकान बनाने की शक्ति नहीं है उनपर कर नहीं लगाना चाहिये। आप उनको समय दीजिये कि इतने समय के अन्दर मकान बना लें और अगर न बना सकें तो उनको छूट देनी चाहिये।

इसी तरह से इस बिल में ही यह निश्चित कर दिया जाना चाहिये था कि इतना पैसा जिन मकानों का मूल्य होगा वे इस कर से मुक्त होंगे। यह घोषणा भी इस समय होती जाय। तो बहुत राहत मिलेगी और सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी आपत्तियां जो उठाई गई हैं वे इस बात को जाहिर करती हैं कि वास्तव में इस प्रश्न पर एक बड़ा विवाद उपस्थित हो गया है और अनेकों प्रश्नों पर है और अनेकों बातों पर निर्णय नहीं किया गया है। इसलिये आवश्यक है कि इसको प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय जिसमें इस सदन के ४, ६, ८ आदमी बैठकर इस बात को तय करें कि इसमें कहां कमियां हैं और उनको किस तरह से दूर किया जा सकता है। मैं उन माननीय सदस्यों से सहमत हूं जिन्होंने यह कहा है कि विरोध वालों ने उन मानों में विरोध नहीं किया है जैसा कि करना चाहिये। यह ठीक है, हम चाहते हैं कि जो सम्पत्ति अधिक रूप में दूसरों के पास है उसके ऊपर टैक्स लगाना चाहिये और उसका नाजायज उपयोग नहीं होना चाहिये और सरकार को आमदनी होनी चाहिये। इसलिये हम इसका प्रबल विरोध नहीं कर रहे हैं। हम यह चाहते हैं कि इसके ऊपर अच्छी तरह से बहस हो जाय, इसके मैरिट्स और डिमैरिट्स सामने आ जायं इसलिये इसको प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय और जितने भी संशोधन दिये गये हैं उन पर वहां अच्छी तरह से बहस हो जाय और फिर यह अच्छे रूप में सदन में पेश हो तो शायद बहुत से माननीय सदस्य इसका विरोध करना उचित नहीं समझेंगे।

इसमें एक धारा २२ है, जिसमें कर निर्धारण अधिकारी को प्रवेश करने का अधिकार दिया गया है। मैं समझता हूं कि कुछ प्रतिबन्ध भी लगाये गये हैं कि इतने समय में घुसेगा और इन नियमों का पालन करेगा और पहले नोटिस देगा तब घुसेगा। मेरा ख्याल यह है कि इसके

साथ-साथ यह भी व्यवस्था होनी चाहिये कि अगर कोई कर निर्धारण अधिकारी इसका दुरुपयोग करेगा तो उसको दंड भी मिलेगा अन्यथा बहुत से सम्भ्रान्त नागरिकों को ये कर निर्धारण अधिकारी आये दिन परेशान करेंगे। इसी प्रकार से एक बहुत बड़ी कमी इसकी धारा २३ में यह है कि इसमें लिखा है कि कोई भी कार्यवाही, चाहे नियम का मामला हो क्यों न हो, अच्छी प्रकार से वैध मानी जायगी चाहे उसमें नियम की त्रुटि रह गई हो, यदि बहुत अन्तर नहीं पड़ता है। कर निर्धारण अधिकारी न जानता हो और अवधि का भी सवाल हटा दे तो फिर इस बिल में क्या रह जायगा। यह तो फिर कर निर्धारण अधिकारी की मनमानी रह जायगी। हमने जब यह कह दिया कि कोई विशेष प्रक्रिया न अपनाये और मूल वगैरा को भी मान लेंगे तो फिर इस बिल में इतनी धाराओं के बनाने की क्या जरूरत थी। यह तो फिर अफसरों की मनमानी रह जायगी।

हमारे भाई जगदीश शरण जी अग्रवाल जो बरेली से आये हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि बरेली का नाम इस लिस्ट में नहीं है जहां यह कानून लागू किया जा रहा है। अगर वह अपने अधिकार का उपयोग करें और प्रभाव डालें तो जिस तरह से उत्तर प्रदेश के ३० नगर सम्मिलित किये गये हैं और बाकी के ५५, उन स्थानों पर नगरपालिका और टाउन एरिया, जिन देहाती क्षेत्रों में हैं वहां पर यह टैक्स लगाया गया है तो बहुत सीमा तक वह अपने को बचाये रख सकते हैं। इतना उनसे निवेदन है। मेरा निश्चित मत है कि इस बिल को, थारो डिस्कशन के लिये, एक प्रवर समिति को सुपुर्द किया जाय और इसके सब प्वाइंट को स्पष्ट कर लिया जाय। और सरकार को जो बहुत से अधिकार मिले हुए हैं, उनको कम कर दिया जाय। अभी से सदन में एक बात का स्पष्टीकरण हो जाय, फिर उसके बाद यह बिल सामने पेश हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा और इसी लिये मैं इस बिल का विरोध करता हूं। हमारे जो संशोधन हैं, उनका मैं समर्थन करता हूं और इस बात को दोहराते हुए कि इस बिल को प्रवर समिति को सुपुर्द करना चाहिये, मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री जगदीशप्रसाद (जिला मुरादाबाद)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करने के लिये आया हूं। यह विधेयक बिल्कुल स्पष्ट है यह एक कर विधेयक है अतः और किसी बात के ऊपर कहने की आवश्यकता ही नहीं है। यह भी देख कर हर्ष हुआ कि साधारणतया इसका सदन में स्वागत ही हुआ है, कोई ऐसा विरोध इसका नहीं हुआ है जिससे यह कहा जा सके कि इस विधेयक में कुछ तब्दीलियां करनी हैं। साधारण आपत्तियां जो किसी भी कर विधेयक पर आती हैं, वही आपत्तियां इस विधेयक पर भी आयी हैं—खर्चा इस तरह से नहीं किया गया, बचत नहीं की गयी, कार्यान्वयन में दिक्कत होती है। यह साधारण बातें हैं। इनके ऊपर मैं नहीं जाना चाहता।

(इस समय ४ बजकर ३७ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

यह सदन यह निश्चय कर चुका है कि हमें तृतीय पंचवर्षीय योजना को चलाना है, सफल बनाना है। जब इसे सफल बनाना है तो उसके लिये आवश्यकता है कि रुपये की आवश्यकता को पूरा किया जाये। यह बहस यहां विस्तार से हो चुकी है कि उसके लिये कर लगाये जायेंगे। जहां तक इस विधेयक का सम्बन्ध है, जैसा कि मैंने कहा यह विधेयक इस प्रकार का है जिसका विरोध बहुत कम हुआ है। यह सिद्धांत पर भी ठीक है। इसका सिद्धांत है कि कोई भी नागरिक जो किसी भूमि या भवन का उपयोग करता है, उस लाभ को उठाता है, उसके बदले में, या उसके उपयोग करने पर सरकार को कुछ कर दे जो देश के निर्माण-कार्य में लगाया जाय। जो स्वयं मकान में रहता है वह स्वयं देगा, अगर किराये पर है तो किरायेदार देगा, मालिक होगा तो मालिक देगा। यह इसका सिद्धांत है। मैं इस सिद्धांत से सहमत हूं। जहां तक इस कर की दर का प्रश्न है दर से मैं सहमत हूं वह बिल्कुल ठीक है, कम से कम कितने पर कर लगे यह सीमा इसमें स्पष्ट नहीं की गयी है। अतः अधिक नहीं कहा जा सकता। परन्तु, अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मैं सरकार को सुझाव दूंगा वह नियत करते समय वह इस बात का ध्यान रखें कि माप दंड ऐसा हो जिससे साधारणतया सरकार के चौथे श्रेणी के कर्मचारी इसमें न आ जायं। उसी

[श्री जगदीशप्रसाद]

माप दंड से और जनता को भी देखें। चूंकि इसमें स्पष्ट नहीं है इस लिये मैं अधिक नहीं कहूंगा।

गणतन्त्र में जितना लेजिस्लेशन बढ़ता जाता है, यह स्वाभाविक है कि कुछ अधिकार सरकारी अधिकारियों को अधिक मिलते चले जाते हैं। उनको काम करने की सुविधायें देने के लिये और उस अधिनियम पर अमल करने के लिये, उनको कुछ अधिकार दिये जाते हैं। और जहां उनको अधिकार दिया जाता है उसका यह परिणाम भी होता है कि नागरिकों के कुछ अधिकारों पर थोड़ा सा नियन्त्रण होता है। परन्तु जनतन्त्र को सफल बनाने के लिये हमारे लिये यह आवश्यक है कि हम जो अधिकार अधिकारियों को दें उनके ऊपर सख्ती के साथ निगाह रखें और जहां तक हो यह देखें कि उससे नागरिकों को असुविधा न हो। इसमें मैंने १, २ बात ऐसी पाई जिससे मैं समझता हूं कि वह अधिकार अधिक है और इससे नागरिकों को असुविधा होगी।

इसमें धारा १७ में यह दिया हुआ है कि यदि अधिकारी कोई सूचना किसी नागरिक से मांगे और उसको सूचना देने में देर हो जाय तो वह स्वमति से ५० रुपये तक शास्ति लगा सकता है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से यह प्रार्थना करूंगा कि यह अधिकार तो उन्हें दें परन्तु वास्तव में होता क्या है। अधिकारी तो उस स्थान पर होता नहीं देखने के लिये। उसको देखने के लिये जो काम करते हैं वह क्लर्क करते हैं या छोटे कर्मचारी काम करते हैं। उसका परिणाम यह होगा कि जब स्वमति से शास्ति लेने का अधिकार होगा तो ५ रुपये देकर क्लर्क को खुश कर लेंगे उनको ५० रुपये जुर्माना नहीं होगा। और जो नहीं देगा उसको जुर्माना देना होगा। मैं आपके द्वारा माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इसको सोचें और कम से कम एक बात जरूर हो कि उस वक्त शास्ति लगाने के पहले एक दफा उसको अपने आप कुछ कहने का अवसर दें। वह बतलाये कि उसको किस कारण देर हुई। उसके पास सूचना तैयार है और उसको लेकर चला तो रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। वह नहीं पहुंच सका समय पर। आपने कहीं ऐसा प्राविजन नहीं रखा है कि ऐसी परिस्थिति में भी वह कौन सुनेगा। वह स्वमति से लगायेगा। उसकी राजी हुई तो लगायेगा और उसकी राजी हुई तो नहीं लगायेगा। कम से कम उसको एक अवसर दें कि वह अपनी दिक्कत रखे कि किस वजह से वह उत्तर नहीं दे सका।

अभी धारा २३ का जिक्र किया गया कि उसके अनुसार कुछ शर्तों के पूरा न होने पर प्रवेश करना मकान के अन्दर अवैध नहीं होगा। इसको भी कृपया देख लिया जाय। सरकारी अधिकारियों को जहां तक मैं देखता हूं उनको एक बात बांधे रखती है। जो कुछ टैक्नीकल बात होती है उससे वह बंधे होते हैं और उनको ही पूरा करने की उनको जरूरत होती है। वह बंध जाते हैं इस कारण पूरा नहीं करते हैं। इस कारण उनके रास्ते में कठिनाई आती है और यह दलील उनके रास्ते में आती है। मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा। इस चीज को देखें या डिपार्टमेंट देखें। एक एतराज यह उठाया गया कि जो जमीन खाली पड़ी है उनके ऊपर टैक्स न लगाया जाय। अध्यक्ष महोदय, जहां तक मैं जानता हूं शहरी इलाके में उनकी जमीन खाली पड़ी है जो ज्यादा फायदा उससे उठाना चाहते हैं। ऐसी जमीन कम है जो ले ली है लेकिन बना नहीं पा रहे हैं। बड़ी संख्या में उनकी जमीन है जो साधारण लोग हैं, लेकिन वह किसी समय के इन्तजार में हैं कि वह रकम इकट्ठा कर लें या उसका मूल्य बढ़ जाय। ऐसे उदाहरण भी मिलेंगे कि जिन्होंने बहुत थोड़े पैसे में जमीन खरीदकर उन्होंने उसका कई गुना मूल्य वसूल कर लिया है। ऐसी जमीन पर कर लगाना कुछ अनुचित नहीं है। इस विधेयक के अन्दर अध्यक्ष महोदय, एक कमी और है। आप कोई भी कर लगावें, लेकिन उन करों में कितनी गुंजायश होनी चाहिये कि कोई व्यक्ति तो उससे बच सके। आप यह ऐसा कर लगा रहे हैं कि उस वर्ग में आनेवाला कोई भी व्यक्ति न बच सके। इसमें कभी-कभी ज्यादती होगी। कुछ लोगों पर जुल्म होगा। एक ऐसा वर्ग है जो मकानों का उपयोग करता है या उसमें किरायेदार भी रहता है। बहुत से ऐसे लोग हैं कस्बों में जिनको मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं। ऐसी

विधवायें मिलेंगी, ऐसे बूढ़े मिलेंगे जिनको कहीं से १० रुपये माहवार की भी आमदनी बाहर से रोटी खाने के लिये नहीं है। वह कुछ रिश्तेदार की सहायता से या दोस्तों की सहायता से किसी तरह से वह गुजर करते हैं। वह उनका मकान है। उसकी मरम्मत भी वह नहीं करा सकते हैं। २० साल से वह मरम्मत नहीं करा सके हैं, लेकिन किसी तरह गुजर करते हैं। और ऐसे भी मकान मेरी जानकारी में हैं कि जिनके मालिकों के बाप-दादा रईस थे। मकान दिखलायी बड़ा देता है और उसमें वे अकेले पड़े हुए हैं। तो अगर कर लगा कर आप उन्हें वह मकान बेच देने पर मजबूर करें तो यह नहीं होना चाहिये। जो विधवायें हैं, जो बुड्ढे हैं, उनका कोई सहारा नहीं है, जो बेरोजगार हैं, उनको इस कर से मुक्त होना चाहिये।

एक बात और कहनी है। यह कर पूरे प्रदेश में एक साथ नहीं लग रहा है। इसमें सरकार को दिक्कत हो सकती है, लेकिन अच्छा हो कि यह समूचे प्रदेश में एक साथ ही लगे। इस का सम्बन्ध प्रदेश की ७, ८ करोड़ जनता से नहीं है। इसका सम्बन्ध गिनी हुई म्युनिसिपैलिटीज स और टाउन एरियाज से है यहां इसके कार्यान्वियन के लिये मशीनरी है और यह किया जा सकता है। तो अगर यह समूचे प्रदेश में एक साथ लग सकता तो अच्छा होता।

एक पूंजीगत लागत के बारे में काफी चर्चा हुई। मैं समझता हूं कि उसमें कुछ अधिक करने की आवश्यकता नहीं है। वह बात स्पष्ट हो चुकी है कि पूंजीगत लागत का अर्थ उसकी रेंटल वैल्यू से है।

अध्यक्ष महोदय, इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

सदन को एक सप्ताह के लिये स्थगित करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष—इस विषय में मैं किसी को बोलने के पहले एक सूचना सदन को देना चाहता हूं।

मेरे पास एक प्रस्ताव आया है कि सदन कुछ दिन के लिये बन्द कर दिया जाय ताकि इस सदन के आदरणीय सदस्य बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में और अपने-अपने क्षेत्र में जा कर देख सकें। यद्यपि इसको मैं कल ले सकता था लेकिन अगर सदन के सदस्यों की यह राय हो कि सदन को स्थगित किया जाय तो मैं यह उचित नहीं समझता कि इसको मैं कल के लिये रखूं। जिन माननीय सदस्यों ने यह प्रस्ताव दिया है, उनके नाम इस प्रकार हैं :—

माननीय रामअवध सिंह, माननीय चन्द्र देव सिंह, माननीय जगन्नाथ चौधरी, माननीय राजनाथ सिंह और माननीय सोहनलाल धुसिया। और माननीय कृष्णपाल सिंह जी ने जो सुबह का प्रस्ताव था उसका समर्थन किया था। तो मैं माननीय उपनेता सदन से निवेदन करूंगा कि वह अपनी इस सम्बन्ध में क्या राय देना चाहते हैं, ताकि इस विषय का निर्णय हो जाय।

माल मन्त्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—अध्यक्ष महोदय, मैंने इस पर बहुत सोचा। मैं समझता हूं कि यह प्रस्ताव तो न रखा जाय, लेकिन कल माननीय मुख्य मन्त्री जी आ जायेंगे तो उन से भी बात कर के जहांतक संभव होगा, माननीय सदस्यों की इच्छा की पूर्ति की जायगी।

श्री अध्यक्ष—मैं यह सोच रहा था कि अगर कल १२ बजे मैं सदन स्थगित करूं तो कल का दिन वेस्ट हो जायगा और जो लोग जाना चाहते हैं वह आज ही जा सकते हैं। जहां तक इस प्रस्ताव का सम्बन्ध है उसमें लिखा है अविलम्बनीय सदन स्थगित किया जावे। तो ऐसा प्रस्ताव है। अगर आप इसे अभी तय कर दें तो यह संभव हो सकेगा कि हम आज ही सदन स्थगित कर दें। नहीं तो कल १२ या १ बजे सदन स्थगित होगा।

श्री हुकुमसिंह विसेन—अगर सब की इच्छा है तो हमें कोई एतराज नहीं हो सकता।

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय (जिला गोरखपुर)—परसों आपने बाढ़ पर बहस होना तय किया है। उसका क्या होगा यह मुझे निवेदन करना है।

श्री अध्यक्ष—आप बैठिये।

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय—आप हम लोगों की तो सुनते ही नहीं। राजस्व मन्त्री जी को आपने बुला लिया।

श्री अध्यक्ष—मैं अब प्रस्ताव रखता हूं। जैसा सदन निश्चित करेगा वैसा होगा।

प्रश्न यह है कि सदन की बैठक अगले सात दिन के लिए स्थगित की जाय अर्थात् दिनाँक ४ सितम्बर को हम लोग फिर बैठेंगे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश (नागर क्षेत्र) भूमि और भवन-कर विधेयक, १९६२ (क्रमागत)

*श्री सहदेवसिंह (जिला इटावा)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, पिछले २ विधेयकों की भांति आज भी वित्त मंत्री और स्वायत्त मंत्री ने एक नया कर लगाने का प्रस्ताव सदन के समक्ष उपस्थित किया। पिछले १५ सालों से लगातार यह....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—कृपया सब लोग शांत रहें।

श्री सहदेवसिंह—यह देखा जा रहा है कि जनता के कल्याण के नाम पर उनको खुशहाल करने का वादा करके बराबर उस से कुछ न कुछ छीना जाता रहा है और उनको दिनों दिन गरीब किया जाता रहा है। उसका नतीजा यह निकला है कि प्रदेश की जनता का सरकार के आश्वासनों में सरकार की प्रतिज्ञाओं में सरकार की घोषणाओं में कोई विश्वास या श्रद्धा नहीं रह गई है। हालांकि मुख्य मंत्री ने और दूसरे पूर्वजताओं ने अनेकबार इस सदन में यह बात कही है कि जनता सहर्ष टैक्स का पैसा देने के लिये तैयार है। चुनाव के समय भी यह बात कह दी गई थी कि जनता पर नये टैक्स लगेंगे और हम को तृतीय पंचवर्षीय योजना को पूरा करना है। इसके बावजूद जनता बराबर हमको टैक्स देती है। यदि आज जनता इतनी ही उत्सुक है टैक्स देने के लिये और प्रसन्नतापूर्वक टैक्स आपको अदा करती है तो आप कानून बेकार उसके लिए बनाते हैं। आप क्यों नहीं जनता के ऊपर भरोसा करके यह चंदे की तरह से वसूल करते हैं। जिस तरह से और बातों के लिये आप जनता से चन्दा करते हैं तो आप टैक्स के लिये भी क्यों नही चंदा करते हैं। परन्तु ऐसा नहीं है। आज मैं तो यह समझता हूं कि सरकार की तरफ से टैक्स के प्रस्ताव धड़ाधड़ इस सदन में आ रहे हैं। आप टैक्स लगाने के सिद्धांतों तक की अवहेलना कर रहे हैं। आप यह महसूस नहीं करते हैं इस तरह से गलत और अन्याय पूर्ण टैक्स लगाने का परिणाम क्या होगा। हम सब लोग इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं कि गलत टैक्सेशन की नीति के कारण रोमन साम्राज्य जो किसी समय बहुत उन्नतिशील था नष्ट हो गया हम सब लोग इस बात को जानते हैं कि फ्रांस में गलत टैक्सेशन के कारण क्या हुआ? इंग्लैन्ड में जब अमेरिकन कालोनीज पर गलत टैक्सेशन लगा तो वहां विद्रोह हुआ। इसी तरह से आप लगातार टैक्स लगाकर वही परिस्थिति पैदा कर रहे हैं। सरकार जो यह समझती है कि जनता इतनी कमजोर है कि वह उसका विरोध नहीं कर सकती। परन्तु मैं सरकार से यह कह देना चाहता हूं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कि इससे प्रदेश के अंदर इस तरह की बातें पैदा हो जायेगी कि सरकार जो काम करना चाहती है वह और भी कठिन हो जायगा ।

आज जो प्रस्ताव चल रहा है उसका स्वागत किया जा सकता था यदि यह टैक्स उन मुनाफाखोरों और उन चोरबाजारी करने वालों पर लगता जिन्होंने पिछले सालों में चोरबाजारी करके, मुनाफाखोरी करके, सूदखोरी करके अथाह धन कमाया है । जिन्होंने शहर में बड़ी-बड़ी कोठियां खड़ी कर लीं हैं तो उसमें कोई आपत्ति नहीं होती । लेकिन जैसा कि सरकार का रुख है कि ऊपर से कुछ और अन्दर से कुछ इसी तरह से इस बिल में भी है । देखने के लिए शहर और भूमि और भवन पर टैक्स लग रहे हैं, लेकिन वास्तव में उन गरीब लोगों पर यह लगा रहे हैं जो उन के किरायेदार हैं। यह उन गरीब किरायेदारों से वसूल किया जायगा ।

हमें इस तरह से टैक्स लगाना चाहिये जिससे कि गरीब जनता पर कम बोझ उसका पड़े । और जो अच्छी स्थिति में हैं उन्हीं से वह वसूल हो यह चीज टैक्स लगाते समय देखना चाहिये । टैक्स देने में असंतोष सबको होता है किन्तु अगर वह गरीब व्यक्तियों पर लगता है तो वह उनमें काम करने की शक्ति को भी खत्म कर देता है । इससे उनके परचेंजिंग पावर नष्ट हो जाती है, उनके काम करने की शक्ति नष्ट हो जाती है । जब यह होता है तो हमारा उत्पादन का जो लक्ष्य होता है वह भी पूरा नहीं हो पाता है और देश दरिद्र एवं दुर्बल होता जाता है । इस बिल में भी यही किया जा रहा है कि भूमि तथा भवन के नाम पर गरीब लोगों से टैक्स वसूल किया जाय । इस बिल को देखने से हम यही कह सकते हैं कि यह प्रोग्रेसिव नहीं है, रिग्रेसिव है और मंशा इसकी यह है कि गरीबों से तो टैक्स लिया जाय और अमीर लोग इससे बचे रहें । इसलिये मैं इस बिल का सख्त विरोध करता हूं ।

एक बात और कही गयी है । कहा गया है कि सरकार यह चाहती है कि जिस तरह से माली तमाम पौधों से फल लेता है उसी तरह से सरकार भी सभी से पैसा वसूल कर अपने प्रशासन के कार्य को चलाना चाहती है । मगर सरकार उसी तरह से काम कर रही है जैसे एक कोयला बनाने वाला पेड़ को काट कर कोयला बनाता है और अपना काम करता है सरकार वही काम करती है जिससे जनता की सारी शक्ति खत्म हो जाय और वह कोई काम करने लायक न रह जाय इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि विपक्ष की ओर से जो संशोधन आये हैं सरकार को उन्हें स्वीकार कर लेना चाहिये । अगर यह बिल प्रवर समिति में जायेगा तो वहां अच्छी तरह से बिचार हो सकेगा। इन शब्दों के साथ मैं संशोधन का समर्थन करता हूं ।

विभिन्न समितियों के निर्वाचन कार्य-क्रम में परिवर्तन की सूचना

श्री अध्यक्ष—अब मैं एक सूचना देना चाहता हूं। कुछ समितियों के निर्वाचन की तिथि हमने ३१ अगस्त, ५ सितम्बर, १० सितम्बर आदि रखी थीं। मगर अब चूंकि सदन की बैठक ७ दिन के लिये स्थगित कर दी गयी है इस कारण उस कार्य क्रम में भी परिवर्तन किया गया है। उत्तर प्रदेश अपराध निरोधक समिति के ४, विश्वविद्यालय अनुदान समिति के ३, गोरखपुर विश्वविद्यालय कोर्ट के ५ तथा उत्तर प्रदेश भूमि संरक्षण मंडल के एक सदस्य के निर्वाचन हेतु कार्य क्रम घोषित किया गया था । इसमें नाम निर्देशन पत्रों की प्राप्ति की अन्तिम तिथि तथा समय ३१ अगस्त, १९६२ था, अब वह ७ सितम्बर, १९६२ रहेगा । नाम निर्देशन पत्रों की सूक्ष्म परीक्षा के लिये ५ सितम्बर, १९६२ थी अब वह १२ सितम्बर रहेगी । नामों की वापसी की अन्तिम तिथि १० सितम्बर, १९६२ थी, अब वह १७ सितम्बर रहेगी । निर्वाचन यदि आवश्यक हुआ तो दिनांक २१ सितम्बर को होगा ।

उत्तर प्रदेश (नागर क्षेत्र) भूमि और भवन-कर विधेयक, १९६२

(क्रमागत)

*श्री तमेश्वरप्रसाद (जिला बस्ती)—अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक में जो खंड २ है, उसके उपखंड (२) में 'झोंपडी' शब्द का इस्तेमाल आया है। परिभाषा के लिए उससे हमारे बहुत से भाइयों को भ्रम हो गया है। मैं भी पहले इस भ्रम में था कि यह धारा मुनासिब नहीं है जिसमें गरीबों पर कर लगाने की बात कही गयी है। लेकिन जब मैंने धारा ६ (३) देखा तो उसमें सरकार ने अपने अधिकार में यह बात ले ली है कि सरकार जिस सीमा तक चाहे उस भवन को टैक्स लगाने से बरी कर सकती है। असल बात यह है कि बहुत से ऐसे मकानात हैं बड़े-बड़े बंगले जिनकी दीवार मिट्टी की है और फूस से छाये हुए हैं और उनका १००, २००, ३०० रुपया माहवार किराया भी है वह भी "झोंपड़ी" शब्द की परिभाषा में आ जाते हैं और अगर इस परिभाषा को निकाल दिया जाय तो वे भी कर से मुक्त हो जायंगे। इसलिये सरकार ने यह अपने अधिकार में रखा है कि जिन्हें किराये के योग्य व मुनासिब समझे उस पर कर न लगावें।

दूसरी बात यह कही गयी है कि नगर के क्षेत्रों में रिक्शे वाले हैं इक्के और तांगे वाले हैं जिनकी आमदनी बहुत कम है उनकी झोंपड़ी पर भी टैक्स लगा दिया गया लेकिन धारा ६ (३) से स्पष्ट है कि सरकार का ऐसा मंशा नहीं है और वह २,४,६ रुपये किराये के मकानों को कर से मुक्त करना चाहती है।

एक बात यह कही गयी कि विधेयक में असेसिंग आथारिटी को मकान के अन्दर घुसने का अधिकार दे दिया गया है तो सेल्स टैक्स में भी इस प्रकार का अधिकार दिया गया है। वह इसलिये दिया गया है ताकि असेसमेन्ट करने के लिये भवन के बाहरी भाग को और अन्दर के भाग को भी देखा जा सके। उस पर प्रतिबन्ध भी है कि जो सुविधा दी जा सकती है जैसे नोटिस देना पर्दे का ध्यान रखना इसकी व्यवस्था के लिये प्रतिबन्ध है। उसमें ऐसी कोई बात नहीं है जो न्याय के विरुद्ध हो।

इसके अतिरिक्त सेविंग क्लाज है। अधिकारी लोग विधेयक के मातहत काम करेंगे। वह अनुचित काम कर सकते हैं इसलिये कहा गया कि सरकार को ऐसी सेविंग क्लाज नहीं रखनी चाहिये। लेकिन जितने भी विधेयक हैं और कई वर्षों से चालू हैं उन सबमें सेविंग क्लाज लगी हुई है ताकि काम करने वाले अधिकारी यह न समझें कि जो काम ईमानदारी से करेंगे अगर उसके बारे में कोई दावा करे तो रक्षा न हो सकेगी। इससे वह सतर्कता से काम करेंगे।

अगर कोई अधिकारी अपने अधिकार से आगे जाकर उसे एक्सीड करके कोई काम करता है तो उसके लिये यह सेविंग क्लाज लागू नहीं होता है। उसके खिलाफ मुकदमा दायर हो सकता है कार्यवाही हो सकती है। जब गांव के बारे में टैक्स लगाने की बात कही जाती थी तो यह दलील दी जाती थी कि शहर वालों पर टैक्स नहीं लगाया जाता है और जब शहर वालों पर टैक्स की बात कही जाती है तो उसका विरोध किया जाता है। हम चाहते हैं कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में शहर वाले भी आहुति दें इस लक्ष्य की पूर्ति में उनका भी हिस्सा हो। कहा जाता है कि यह मिडिल क्लास पर या गरीबों पर जुल्म होगा मैं समझता हूं कि ऐसी बात नहीं है। विरोधी दलों के माननीय सदस्यों ने जो कुछ कहा उसका तथ्य यही निकलता है कि सिद्धान्त से उन्हें विरोध नहीं है उससे तो वे सहमत हैं परन्तु डिटेल में वे परिवर्तन चाहते हैं। इस विधेयक के एक एक खंड पर बहस होगी और उस समय हमारे मित्र अपने सुझाव या संशोधन रख सकते हैं अगर माननीय सदन उन्हें उचित समझेगा तो उन संशोधनों का भी समावेश इसमें हो सकता है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

मैं इस प्रस्ताव का कि यह विधेयक माना जाय, पास किया जाय, समर्थन करता हूं। प्रवर समिति में भेजने का प्रस्ताव कोई माने नहीं रखता है, क्योंकि इस सदन में ही बैठकर हम लोग आपस में वादविवाद करके अपने विचारों का आदान-प्रदान करके इसकी कमियों को सुधार सकते हैं जो इसमें हों। एक मर्तबा यह प्रवर समिति में जाय, फिर लौट कर आवे और तब विचार किया जाय, इसमें समय नष्ट होगा।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय सदस्य जो बोल रहे थे उन्होंने परिभाषा में जो "झोंपड़ी" शब्द आया है, उसकी इतनी विषद व्याख्या कर दी और उसे इतना बड़ा महाझोंपड़ा बना दिया कि वह समझ में ही नहीं आता। उन्होंने बताया कि पुराने जमाने में अंग्रेजों के बंगले मोटी सी छप्पर वाले हुआ करते थे। उन्होंने उन्हें भी झोंपड़ी में शरीक कर दिया। मैं यह कहूंगा कि अगर इस तरह की "झोंपड़ी" इसमें ले आना था तो "झोंपड़ी, झोंपड़ा और महाझोंपड़ा" तीन शब्द इसमें रख दिये होते तो बड़ा उत्तम होता और लोगों की समझ में आ जाता। क्योंकि झोंपड़ी के बारे में मैं तमाम बातें जानता हूं कि किस मतलब से यह "झोंपड़ी" यहां रखी गयी है। बहुत सी ऐसी खुली हुई जगहें हैं जहां लोगों ने गाय-भैंस पाल रखी हैं और जमीन वाले ने उन जमीनों को किराये पर दे रखा है और गाय भैंस वाले ने उन पर झोंपड़ियां डाल रखी हैं। उन झोंपड़ियों में वे खुद रहते हैं और गाय-भैंस जमीन पर रहती हैं, इसलिये वे इस विधेयक से न छूटने पायें, इसका मतलब यही है। लेकिन माननीय सदस्य ने झोंपड़ी को महा झोंपड़ा बना दिया। बिल में दिया हुआ है "झोंपड़ी तथा अन्य बाड़े" अब इस "अन्य हर बाड़े के लिये क्या कहा जायगा? इसके अतिरिक्त यह भी है चाहे वे पक्की चुनाई, ईंट, लकड़ी, मिट्टी, धातु या किसी भी अन्य पदार्थ की बनी हों और चाहे किसी भी काम में लायी जाती हों किन्तु इसके अन्तर्गत तम्बू या कोई ऐसी अन्य चल संरचना नहीं है चाहे वह सनई के सेटों का ही बना हुआ हो या ईख की पत्तियों का हो। खाली कपड़े का बना हुआ नहीं होना चाहिये। उसको तंबू का नाम दिया गया है। सब झोपड़ी में आ जावेगा अतः झोपड़ी का अर्थ वही है जो आमतौर से झोंपड़ी का होता है।

श्री अध्यक्ष—अब पांच बज गये हैं इसलिये आप ४ तारीख को अपना भाषण जारी रखें।

जिला गोरखपुर में बर्डघाट पुल पर किये गये खर्च के सम्बन्ध में नियम ५० के अन्तर्गत विवाद

श्री अध्यक्ष—अब नियम ५० के अन्तर्गत विवाद होगा।

माननीय सदस्य याद रखें ४ तारीख को ११ बजे के बजाय हम लोग १०॥ बजे बैठेंगे।

*श्री कल्पनार्थसिंह (जिला गोरखपुर)—(माननीय अध्यक्ष से बैठकर बोलने की अनुमति लेकर) अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूं कि इस सवाल पर आपने आध घंटे का वाद-विवाद देकर इस सदन के सामने एक ऐसा चीज ले आने का मुझे मौका दिया जिसको जानने के बाद इस सदन का प्रत्येक माननीय सदस्य यह बात अच्छी तरह से समझ सकेगा कि उस पक्ष के बैठने वाले भाई लोग जो आज टैक्स लगाने की वकालत करते हैं उन लोगों ने पब्लिक के टैक्सों का आया हुआ गाढ़ी कमाई का रुपया खर्च करने का काम ऐसे लोगों के हाथ में सौंप रखा है जो रुपये का बुरी तरह से दुरुपयोग करते हैं इसका एक उदाहरण इस प्रश्न के द्वारा सदन के समक्ष उपस्थित हुआ है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कल्पनाथसिंह]

श्रीमन्, जो मेरा मूल प्रश्न था उसमें यह बताया गया था कि १,६८,३३६.३५ रुपया जनवरी १९६२ से मार्च १९६२ तक खर्च किया गया। इसी सिलसिले में जब आप एक एक आइटम को देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि आइटम नम्बर २ पर यह दिया हुआ है कि उसकी जांच करने पर ३,२९३·५७ रुपया खर्च किया गया। बाकी रुपये के बारे में कहा गया है कि वह वर्कचार्ज और मिसलेनियस आइटम्स पर खर्च किया गया है। इसके अलावा साढ़े सात प्रतिशत अतिरिक्त व्यय दिखाया गया है। इस प्रकार से इतने रुपये का दुरुपयोग किया गया है और उसी को छिपाने के लिये इस प्रश्न के उत्तर में कोशिश की गयी है यह मामूली बात नहीं है। तीन महीने के अन्दर १,६८,००० रुपय. का खर्चा इस पुल पर किया गया है जब कि उस पर कोई काम नहीं हुआ है। यह तो उत्तर में स्पष्ट ही लिखा हुआ है। उस पुल पर एक कमेटी बैठाई गयी और कमेटी की रिपोर्ट आने से पहले ही ठेकेदार को हटा दिया गया और डिपार्टमेन्ट ने उस पुल पर स्वयं काम करना शुरू किया जिसका यह नतीजा है "अंधरे बांटे सिरनी घुर घुर अपने देय।" सरकारी अधिकारियों की कुनबापरस्ती का यह उदाहरण है, मुझे मालूम है कि मंत्री जी अथवा उधर से जवाब देने वाले जो होंगे उन्हें यह बात अच्छी तरह से मालूम है कि एक एक आइटम के वाउचर नहीं थे जो बाद में तैयार कराये गये हैं।

प्रत्येक आइटस को किस किस तरह से गड़बड़ी करके खर्च किया गया और फिर बाद में जब यहां सवाल पूछा गया तो उसको ठीक करने की कोशिश की गयी और आज तक रोजमर्रा वह कोशिश जारी है। मेरा यह निश्चित मत है कि अगर इसकी इनक्वायरी सी० आई० डी० को दे दी जाय तो इसका पूरा भंडाफोड़ इस सदन के सामने हो जाय। मेरा यह भी कहना है कि आप स्वयं श्रीमन्, देखें कि आइटम ३ में मिसलेनियस लिखा है २,४०८ रुपये ४८ नये पैसे आइटम नं ४ में वर्क चार्ज टूल्स प्लान्टस ऐंड कंटिजेंसी में ६१,०४८ रुपये ८७ नये पैसे अतिरिक्त व्यय १३,४२९ रुपये २६ नये पैसे। श्रीमन् मैं यह जानना चाहूंगा कि जब कोई काम हुआ नहीं तो यह साढ़े ७ प्रतिशत अतिरिक्त व्यय कैसे हो गया? और अगर अतिरिक्त व्यय हुआ तो यह मिसलिनियस आइटम में मिसलेनियस चार्ज वर्क चार्ज में जिस तरह का गड़बड़ घोटाला करने की कोशिश की गयी है जिस तरह से गड़बड़ी करने की कोशिश की गयी है उसे देख कर यह कहना पड़ता है कि जिस तरह के आफिसर के हाथ में इस पुल के बनाने का काम है वे हजरत जो इस पुल के इन्चार्ज वहां मौजूद हैं, उन्होंने ही बनारस का घाट बनवाया और उस घाट में दरारें पड़ गयीं। अगर उनके अब तक के सारे काम को देखा जाय, उनके कैरेक्टर को देखा जाय तो मालूम हो जायेगा कि ये आफिसर कैसे हैं। २२,९८६ रुपये ६४ नये पैसे इसी आइटम के अन्तर्गत खर्च किये गये और डिफरेंट आइटम में थोड़ी थोड़ी रकम करके दिखलाया गया है ताकि किसी की निगाह उसके ऊपर न पड़ जाय।

१,६८, ००० रुपया डिफरेंट आइटम्स में बंटे हुए हैं और अलग खर्चा अलग अलग मदों में दिखला कर रुपये का दुरुपयोग किया गया है। इसका जीता जागता उदाहरण है कि एक कमेटी बैठी हुई है उसकी रिपोर्ट अभी नहीं आयी है जिससे यह नहीं मालूम हो सका है कि पुल के टूटने में ठेकेदार दोषी है या सरकार दोषी है। अभी कोई कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर सकता क्योंकि कमेटी बैठी हुई है और उसकी जांच हो रही है। और इसी बीच में उस ठेकेदार को हटा लिया गया और ठेकेदार की दोस्ती के नाते उसी ठेकेदार से आइटम नं० ६ के अन्तर्गत १,३२,९४७ रुपया ५५ नये पैसे का सामान खरीद लिया गया। मैं यह जानना चाहता हूं कि जब उस ठेकेदार को हटा दिया गया तो उस ठेकेदार की अच्छी अच्छी मशीन को जिससे काम अच्छा हो सकता था उसे क्यों छोड़ दिया गया और जो उसका लोहा लक्कड़ था, जिसका कोई लाभ नहीं था उसे उससे खरीद कर ठेकेदार को लाभ पहुंचाया गया? यह इसलिये किया गया कि उस ठेकेदार को लाभ पहुंचाना उद्देश्य था। श्रीमन्, उक्त ठेकेदार को उक्त पुल पर नियुक्त करने की घटना भी बड़ी ही विचित्र है कि किस तरह से किस किस जाल बट्टे से वह ठेकेदार वहां लाया गया। चूंकि ठेकेदार को नुकसान न पहुंचे इसलिये सबसे पहले उसके एग्रीमेन्ट बांड को कैंसिल

किया गया। होना तो यह चाहिये था कि उसका सारा सामान जब्त कर लिया जाय अगर आप समझते थे कि उस ठेकेदार द्वारा गड़बड़ी की गयी है। लेकिन वह समान विभाग ने खरीदा। जो सामान ठेकेदार वहां से उठाता तो उसे ढुलाई के पैसे अलग से देने पड़ते लेकिन बजाय इसके उस को और अधिक मूल्य देकर उस का सामान खरीदा गया और उस को लाभ पहुंचाया गया। यह इस लिये किया गया कि दोस्ती चलती रहे। आज ऐसे ठेकेदारों और विभाग के ऐसे ऐसे अफसरों के कारण प्रजातन्त्र खतरे में पड़ गया है केवल सदन में बैठे हुये लोग उधर के ....

श्री अध्यक्ष--आप संक्षिप्त बयान दीजिये, आप तो बहस कर रहे हैं। आपने जो टिप्पणी दी है उसी पर आप का बयान हो जाय और मन्त्री जी उसका जवाब दे दें और थोड़े से प्रश्न फिर हो जांय। कमेंटरी तो बहुत सी हो सकती है, उसमें आप अधिक न जायं।

श्री कल्पनाथसिंह--४० लाख की लागत का पुल जिस पर ३ मास में कोई काम नहीं हुआ और बिना सैंक्शन के १ लाख ६८ हजार रुपये का व्यय हो गया। यह खर्च क्यों इतना अधिक काहे में हुआ। इसको देखते हुये यह कहा जा सकता है कि इस मामले को मन्त्री जी को सीधे-सीधे सी० आई० डी० की इंक्वायरी में दे देना चाहिये। और अगर इन अफसरों के खिलाफ सही रेलीगेशन्स पाये जायं तो उनको दंड देना चाहिये, यही मेरी मांग है और मन्त्री महोदय इस समय इस पूरी घटना पर यदि प्रकाश डालें तो बड़ी कृपा होगी।

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री गिरधारीलाल)--अध्यक्ष महोदय, मैं इस सम्बन्ध में ज्यादा न कहूंगा, क्योंकि इसमें कुछ भ्रम मालूम होता है और जितने भी सवाल इसमें उठाये गये हैं, उनके सम्बन्ध में सभा सचिव जो पढ़कर वक्तव्य सुना देंगे और उनकी सारी शंकायें उससे समाप्त हो जायंगी, जितनी भी शंकायें हैं या मिथ्या भ्रम है वह सब उनका दूर हो जायगा।

परिवहन मन्त्री के सभा-सचिव (श्री गनेशीलाल)--अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं। लखनऊ-गोरखपुर राष्ट्रीय मार्ग है, जिसका रख-रखाव, सुधार तथा उत्तरदायित्व केन्द्रीय सरकार पर है। इन राष्ट्रीय मार्गों पर जो व्यय होता है वह केन्द्रीय सरकार देती है किन्तु निर्माण कार्य प्रदेशीय सरकार के निर्माण विभाग द्वारा किया जाता है। फाइनेंशियल, हैंडबुक, वाल्यूम ४ के पैरा ६३५ और अपेंडिक्स ५ के अन्तर्गत सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा जो अन्य विभाग स्थानीय तथा निजी निकायों के कार्य सम्पन्न होते हैं, उन पर सेंटेज चार्जेज लगाये जाते हैं। इस मद में जो धन प्राप्त होते हैं, उन पर सेंटेज चार्जेज लगाये जाते हैं। इस मद में जो धन प्राप्त होता है वह प्रदेशीय सरकार के हिसाब में जमा किया जाता है। इसके नियम अपेंडिक्स १, स्टेटमेंट ई० में दिये हुये हैं।

जो धन राष्ट्रीय मार्गों पर प्रदेशीय निर्माण विभाग के द्वारा खर्च किया जाता था उस पर केन्द्रीय सरकार १० प्रतिशत के हिसाब से सेंटेज चार्जेज प्रदेशीय सरकार को देती थी। सन १९५४ में यह दर घट कर साढ़े ७ प्रतिशत कर दी गई। अतः जितना धन राष्ट्रीय मार्गों पर प्रदेशीय सरकार द्वारा व्यय किया जाता है उस पर साढ़े ७ प्रतिशत सेंटेज चार्जेज लगाये जाते हैं। इस प्रकार प्रत्येक राष्ट्रीय मार्ग पर जैसे जैसे धन व्यय होता जाता है वैसे ही साढ़े ७ प्रतिशत सेन्टेज चार्जेज भी जोड़े जाते हैं और वह धन केन्द्रीय सरकार से वसूल कर के प्रादेशिक सरकार के हिसाब में जमा किया जाता है।

गोरखपुर में बर्डघाट पर राप्ती के पुल का निर्माण केन्द्रीय सरकार ने ४१.४३ लाख की अनुमानित लागत पर १९५८ में स्वीकृत किया। प्रदेशीय सरकार ने इस पुल का निर्माण का ठेका मेसर्स नार्दर्न कान्सट्रक्शन कम्पनी, लिमिटेड, दिल्ली को २४ नवम्बर, १९५८ को

[श्री मनेशी लाल]

३१.३५ लाख पर दिया। पुल का निर्माण कार्य उसके बाद ही आरम्भ किया गया और आशा थी कि पुल जनवरी, १९६२ तक पूरा हो जायगा।

१४ जुलाई, १९६१ को इस पुल की एक स्पैन (मेन स्पैन नम्बर २) एकाएक टूट गयी, जिसके कारण पुल के निर्माण कार्य को स्थगित करना पड़ा। इस समय भी पुल का निर्माण कार्य स्थगित है। पुराने ठेकेदार का ठेका रद्द कर दिया गया। नये ठेकेदार के लिये टेंडर मांगें हैं और अब यह आशा की जाती है कि पुल दिसम्बर, १९६३ तक पूरा हो सकेगा। ३ अगस्त, १९६२ तक इस पुल के निर्माण में ३४,३७,९११.३३ रुपये व्यय हुआ है। इस का विवरण इस प्रकार है —

	रु०
(१) धन जो ठेकेदार द्वारा खर्च हुआ	२७,४१,६८०.११
(२) अन्य व्यय जो नीचे लिखी मदों में विभाग द्वारा खर्च किया गया (५,९९,२०७.३३ रुपये)—	
(क) सेन्टेज चार्जेज	१,८७,६५८.२९
(ख) वर्क चार्ज और टी० ऐंड पी० कांटिन्जेन्सीज ..	६६,२२२.१०
(ग) टेस्टिंग आफ मेटीरियल्स	३९,७२३.६८
(घ) इंस्पेक्शन ऐंड सेलवेंजिग आफ कोलैप्स आफ स्पैन नम्बर २	१८,१५२.१०
(च) अदर्स	३,८४,४७५.०५
योग ..	३४,३७,९११.३३

१४ जुलाई, १९६१ को जो पुल का भाग टूटा था, उसकी जांच के लिये प्रदेशीय सरकार ने २४ जुलाई, १९६१ को एक विशेषज्ञों की कमेटी नियुक्त की जो इस बात का पता लगाये कि पुल के टूटने का कारण क्या था। कमेटी को ३ माह का समय दिया गया था। कमेटी ने यह सूचित किया कि पुल के टूटे हुये भागों की जांच करना आवश्यक था। पानी की गहराई के कारण पुल के टूटे हुये भाग की जांच करना सम्भव न था। इन टूटे हुये भागों की जांच अभी तक नहीं हो सकी है और इसी कारण कमेटी की रिपोर्ट सरकार को प्राप्त नहीं हुई है।

कमेटी ने कोई ऐसा आदेश नहीं दिया था कि पुल के अन्य भागों पर निर्माण कार्य स्थगित रखा जाय। केवल कमेटी की यह भावना थी कि पुल के टटे हुये भाग को डिस्टर्ब न किया जाय जब तक कि कमेटी उस पर कोई निश्चय न ले सके। इसलिये पुल के अन्य भागों पर निर्माण कार्य करने की कोई रुकावट नहीं थी किन्तु यह निर्माण कार्य भी ठेकेदार के काम बन्द कर देने के कारण न हो सका। जिस भाग का निर्माण हो चुका था उनकी देखभाल की गई। उन भागों का लोड टेस्ट किया गया और उन पर टैल टैल्स लगाये गये, उस पर अवश्य कुछ खर्चा किया गया।

पुल के टूटे भाग के निरीक्षण के लिये पहले यह प्रस्ताव था कि एक कौफर डैम बनाया जाय। उसका एक आगणन २.९९ लाख रुपये की लागत का केन्द्रीय सरकार को भेजा गया। साथ-साथ जांच कमेटी ने विभाग को यह आदेश दिया कि कौफर डैम बनाने का आवश्यक प्रबन्ध किया जाय। इस कौफर डैम के निर्माण के लिये शीट पाइल्स का प्रबन्ध वाराणसी टेम्पोरेरी डिवीजन से किया गया। उन शीट पाइल्स का मूल्य तथा उनको वाराणसी से गोरखपुर लाने में १,३३,००० रुपये खर्च हुआ। यह व्यय जनवरी और मार्च, १९६२ के

बीच में ही हुआ था। साथ ही साथ पुल के टूटे हुये भाग के आस-पास से नदी की मिट्टी की सफाई का कार्य भी आरम्भ किया गया था, जिसके लिये ३,३०० रुपये खर्च हुआ। इस प्रकार करीब १,३६,००० रुपये कमेटी के आदेश से कौफर डैम के संबंध में खर्च हुआ। जांच कमेटी ने अक्तूबर, १९६१ में यह भी आदेश दिया कि बाकी स्पैन्स का लोड टेस्ट किया जाय। इस कार्य में लगभग १०,५०० रुपये खर्च हुआ। इस प्रकार १,४७,००० रुपये कमेटी के आदेशानुसार जनवरी और मार्च, १९६२ के बीच खर्च किया गया। १,६५० रुपये ठेकेदार से सामान वापस लेने में वर्कवार्ज स्टाफ, टूल्स ऐंड प्लान्ट तथा कान्टिन्जेंसीज में खर्च हुआ। बाकी १३,५०० रुपये वह धन है जो केन्द्रीय सरकार से प्रदेशीय सरकार को सेन्टेज चार्ज के रूप में प्राप्त हुआ।

जनवरी, १९६२ और मार्च, १९६२ के बीच में कुल १,६८,३३६.३५ रुपये व्यय हुये। यह धन निम्नलिखित मदों पर व्यय किया गया था।

कार्य अथवा मद	खर्च (रुपयों) में
(१) पियर के ऊपर का भाग	७२२.५२
(२) टूटे हुये भाग का निरीक्षण तथा पानी निकालने का प्रबन्ध	३,२९३.५७
(३) प्रकीर्ण भाग	२,४०८.४९
(४) वर्क जार्ब और टूल्स और प्लांट कांटिजेंसीज ..	६,१४८.९७
(५) किये गये कार्य के व्यय पर ७,१-२ प्रतिशत अतिरिक्त व्यय	१३,४२९.२६
(६) कोफर डैम के बनाने का सामान तथा अन्य सामान (लोहा और सीमेंट)	१,३२,१४७.५५
(७) अन्य व्यय	१०,२८५.७९
कुल व्यय ..	१,६८,४३६.१५

प्रत्येक मद में जो धन व्यय हुआ था, उसका विवरण निम्न प्रकार है—

१—सुपरस्ट्रक्चर .. .. .. ७२२.५२ रुपये

१४ जुलाई, १९६१ तक ३ मेन स्पैन और १ सस्पेंडेड स्पेन्स पूर्ण हो चुके थे। उनमें से एक मेन स्पैन्स एकाएक टूट गया। बाकी दो मेन स्पैन्स और एक ससपेंडेड स्पैन्स की देखभाल के लिये जगह-जगह पर सीमेंट का प्लास्टर लगाया गया। यह प्लास्टर हजारों जगह लगाये गये थे। इस प्लास्टर लगाने का उद्देश्य यह था कि बने हुये स्पैन्स में श्रिंकेज के कारण दरारों की जांच हो सके। इस मद में कुल७२२.५२ रुपये व्यय किये गये।

२—इंस्पेक्शन और सेलवेंजिंग .. .. .. ३,२९३.५७ रुपये

पुल का जो भाग टूट गया था, उसको पानी से निकालने में तथा उसकी उचित जांच करने में यह व्यय हुआ। इस सम्बन्ध में सामान जैसे सीमेंट के खाली बोरे, रस्सी, सुतली तथा मशीनों का तेल इत्यादि के लिये ४८५.७९ रुपये तथा लेबर चार्जेज में २,७०८.७८ रुपये का खर्चा हुआ॥

[श्री गनेशी लाल]

	रु०
३--मिसलेनियस आइटम्स	२,४०८.६९
यह व्यय निम्नलिखित विषयों में खर्च किया गया--	
(१) जांच समिति के सामने गवाहों का लखनऊ आने जाने का खर्च	१४१.४३
(२) वाराणसी में घाट से स्टेशन तक ७० टन लोहे की ढुलाई में ११ रुपये प्रति टन की दर से	७६६.४७
(३) मऊ से गोरखपुर तक सा० नि० वि० की ट्रक द्वारा डाइविंग इक्विपमेंट को लाने में	४७.५०
(४) लखनऊ से गोरखपुर तक सा० नि० वि० की ट्रक द्वारा कम्प्रेशर और जेनरेटर आदि को ले जाने में	१४७.२०
(५) स्थानीय सामान को जैसे मिट्टी, रेत आदि को एक जगह से दूसरी जगह हटाने में	१,१३७.५०
(६) छोटे-मोटे सामान को खरीदने में जैसे सुतली, तेल, रस्सी, बिजली के बल्ब इत्यादि के लिये	१६८.५९
योग ..	२,४०८.६९

श्री कल्पनाथसिंह--अध्यक्ष महोदय, आप १५ मिनट का समय और बढ़ा दें और फिर इनको पढ़ने दें।

श्री अध्यक्ष--समय नहीं बढ़ सकता। नियम में आधा घंटा है।

श्री कल्पनाथसिंह--आधा घंटा तो उनको पढ़ने के लिये चाहिये।

श्री गिरधारीलाल--एक प्रश्न उठाया गया था, जिसके पीछे बहुत से उप प्रश्न थे, जिनका जवाब देना आवश्यक था। आपके पास जो पत्र आया था उसमें बहुत से प्वाइंट्स उठाये गये थे, उन सब का जवाब देना बहुत जरूरी था।

श्री अध्यक्ष--अच्छा ठीक है। अब दो, एक प्रश्न हो जाने दीजिये और जो स्टेटमेंट बाकी रह गया है वह पढ़ा हुआ समझा जायगा।

[श्री गनेशीलाल--

	रु०
४--वर्क चार्ज, पावर टूल्स तथा प्लान्ट एवं कान्टीजेंसीज ..	६,१४८.९७
इस सम्बन्ध में खर्च का विवरण निम्न प्रकार है--	
(१) मासिक वेतन, स्टोर मुन्शी, सर्वेयर, मेट, चौकीदार, मेहतर तथा अन्य वर्क चार्ज स्टाफ जोकि गिनती में कुल २४ आदमी थे, उनका ४ माह का वेतन	४,५४९.७०
(२) फावड़े आदि की मरम्मत तथा लकड़ी के गुटके आदि के बनाने के सम्बन्ध में	८७.६६
(३) फोटोग्राफ स्टेशनरी, बिजली का बिल तथा फर्नीचर की मरम्मत के सम्बन्ध में	१,५११.६१
योग ..	६,१४८.९७

[ ]श्री अध्यक्ष की आज्ञानुसार पढ़ा माना गया।

५—सेनटेज चार्जेज .. .. १३,४२९.३६ रुपये

सन् १९६१–६२ में इस पुल के निर्माण में कुल ५,७८,२११ रुपये व्यय हुआ जिस पर ७ १/२ प्रतिशत की दर से केन्द्रीय सरकार से प्रदेशीय सरकार को कुल ४३,५०६.७० रुपया मिलना चाहिये था, जिसमें ३०,०७७.४४ रुपये पहले मिल चुके थे तथा बाकी १३,४२९.२६ रुपये जनवरी और मार्च, १९६२ के बीच में वसूल किया गया और प्रदेशीय सरकार के हिसाब में जमा किया गया। इस पुल पर प्रत्येक वर्ष में जो व्यय हुआ तथा जो सेंटेज केन्द्रीय सरकार से वसूल किया गया उसका विवरण निम्नलिखित है—

वर्ष	खर्च	सेंटेज चार्जेज
	रु०	रु०
१९५८–५९	४,४८,५५७.५	३१,८४७.७८
१९५९–६०	११,९९,५५७.४६	५०,४८५.४६
१९६०–६१	९,३८,७६६.४६	६१,८१८.३५
१९६१–६२	५,७८,२१०.९४	४३,५०६.७०
१९६२–६३	..	
(३१ जुलाई, १९६२ तक)	८५,१५६.१३	

६—Material at site Account १,३२,१४७.५५ रुपये

इस सम्बन्ध में खर्च का विवरण निम्नलिखित है—

(१) लोहे के गर्डर का मूल्य जो वाराणसी डिवीजन से खरीदे गये	१,३०,४४४.९९
(२) १ टन १६ हन्डरवेट लोहा जो ठेकेदार से वापस लिया गया	१,६५६.४०
(३) ७ बोरे सीमेंट जो ठेकेदार से वापस लिया गया ..	४६.१६
योग ..	१,३२,१४७.५५

७—अदर ट्रांजेक्शन्स .. .. .. १०,२८५.७९ रुपये

इन धनराशि का व्यय लोड टेस्ट के लिये सामान खरीदने और मजदूरी बांटने के सम्बन्ध में किया गया। जो सामान खरीदा गया है उसका विवरण इस प्रकार है—

	रु०
(१) एक हजार बल्ली	५,०००
(२) ६,००० बांस	१,०००
(३) मजदूरी	३,०००
(४) साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट	लगभग १,३००
योग ..	१०,३००

[श्री गनेशीलाल]

इस सम्बन्ध में सब सामान, बांस, बल्ली तथा अन्य छोटे-छोटे सामान, टेंडर तथा कोटेशन्स मांगकर नियमानुसार खरीदे गये हैं।

पहले से बने हुये स्पैन्स को लोड टेस्ट के द्वारा परीक्षा की गई। यद्यपि इस पुल को ७० टन का बोझ ले जाने के लिये बनाया गया था किन्तु यह ११० टन का बोझ ले जाने में सफल हुआ।]

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)---जिस ठेकेदार को निकाल दिया गया, उसका सामान खरीदने की आवश्यकता सरकार को क्यों पड़ी ?

श्री गिरधारीलाल---गवर्नमेंट जब भी किसी से काम लेती है तो उसको बहुत सा सामान कंट्रोल्ड रेट पर देती है और जब काम नहीं होता तो वह सामान वापस ले लिया करती है। इस तरीके से १३ या १४ सौ रुपये का सामान जो उसके पास था वह वापस ले लिया गया। इसके अलावा काम खत्म हो रहा था और सब सामान के ऊपर गवर्नमेंट ने कब्जा किया है। अभी उसमें बहुत सी बातें चल रही हैं।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)---इस बात को देखते हुये कि पुल की कुल लम्बाई १,३४५ फुट है और अभी मन्त्री जी ने अपने वक्तव्य में कहा है कि हजारों जगहों पर सीमेंट लगानी पड़ी है उस पुल में तो हजारों जगह सीमेंट लगाने के पश्चात अब उस पुल की क्या स्थिति है, क्या वह कमजोर हो गया है या क्या बात है ?

श्री गिरधारीलाल---वह तो चिप्पियां लगा कर स्थान-स्थान पर देखते हैं कि जो क्रैक है अगर वह बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि कोई खराबी है। तो बाकी का तो सब पुल ठीक है, सिर्फ बीच ही का स्पैन है जिसको कमेटी देख रही है। जिस वक्त बीच का स्पैन पूरा हो जायगा तब किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी।

श्री कल्पनार्थसिंह---क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि कितने रुपये का सामान ठेकेदार को दिया गया जिस दिन डिलीवरी ली गई थी ?

श्री गिरधारीलाल---श्रीमन्, मैं अन्दाजन बतलाये देता हूं।

श्री अध्यक्ष---अन्दाज से नहीं बताया जायगा।

श्री नरसिंह नारायण पांडेय---क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि जिस कौफर डैम में लाखों रुपया खर्च हुआ है और राप्ती में इस समय बाढ़ आई है तो डैम की इस समय क्या पोजीशन है ?

श्री गिरधारीलाल---अध्यक्ष महोदय, यह कौफर डैम नहीं बनाया गया है बनारस डिवीजन से गरडर्स और शीट्स वगैरह सब की सब मंगा ली गई है। जैसा कि अभी बताया गया है कि गवर्नमेंट आफ इंडिया की जो इंक्वायरी कमेटी थी, उसका आदेश था कि सब सामान इकट्ठा कर लिया जाय। इसलिये सब सामान इकट्ठा किया गया। लेकिन उस का एस्टीमेट करीब दो लाख रुपये का आता था, इसलिये यह मुनासिब नहीं समझा गया कि इतना रुपया खर्च करके इसको कौफर डैम बनाया जाय। इसलिये इसको छोड़ दिया गया।

श्री कल्पनार्थसिंह---क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि १ लाख ३२ हजार रुपये का सामान ठेकेदार को दिया गया तो उस सामान की डिलीवरी किन-किन तारीखों को ली गई ?

श्री गिरधारीलाल---वास्तव में हमारे भाई कल्पनाथसिंह जी गलतफहमी में हैं। इसका ताल्लुक ठेकेदार से नहीं है। बहुत थोड़ा सा पैसा है। इसका जवाब सभा सचिव देंगे उन्होंने प्रश्न निकाल लिया है।

श्री अध्यक्ष---समय समाप्त। अब हम उठते हैं और ४ तारीख को प्रातः काल साढ़े दस बजे बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बजकर ३० मिनट पर ४ सितम्बर, १९६२ के १० बजकर ३० मिनट तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मिश्र,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
२७ अगस्त, १९६२।

नत्थी क

(देखिये नत्थी 'क' पीछे पृष्ठ ७३४ पर)

दिनांक २८ अगस्त, १९६१ को सदन में दिये गये श्री रामलखन के तारांकित प्रश्न संख्या १३ तथा १५ के उत्तरों में संशोधन

मूल प्रश्न

१३--क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी नगरमहापालिका उत्तर प्रदेश नगरमहापालिका अधिनियम, १९५९ की धारा १७२ (१) के अनुसार कर दाताओं से कर वसूल करने के लिये बिना किसी संकल्प पारित किये ही १५ प्रतिशत सम्पत्ति कर अप्रैल सन् १९६० से वसूल कर रही है ? यदि हां, तो नगर महापालिका में उक्त कर लगाने के लिये किस तारीख को संकल्प पारित किया गया ?

मूल उत्तर

१३--जी नहीं । वाराणसी नगर महापालिका ने उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, १९५९ की धारा १७२ (१) के अन्तर्गत अपने प्रस्ताव संख्या १३, दिनांक १८ मार्च, १९६० के अनुसार १५ प्रतिशत सम्पत्ति कर १ अप्रैल, १९६० से लगाने का निश्चय किया और इस निश्चय हो जाने के उपरान्त ही तदनुसार कर १ अप्रैल, १९६० से लगाया गया ।

संशोधित उत्तर

१३--वाराणसी नगरमहापालिका ने १९६०-६१ के बजट पर प्राथमिक सामान्य बहस के दौरान दिनांक १८ मार्च, १९६० को निश्चय किया कि "सामान्य कर" की दर १५ प्रतिशत होगी, जिसमें गृह तथा जल कर भी सम्मिलित है । यही निश्चय प्रस्ताव संख्या १३, दिनांक १८ मार्च, १९६० कहलाया तथा इसके पारित हो जाने के पश्चात् ही दिनांक १ अप्रैल, १९६० से सम्पत्ति कर उक्त दर से लगाये गये ।

मूल प्रश्न

१५--क्या स्वायत्त शासन मंत्री को ज्ञात है कि वाराणसी नगरमहापालिका ने उक्त अधिनियमित कर के विरुद्ध अपने कई अधिवेशनों में कार्य-स्थगन प्रस्ताव पारित किये हैं ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी उनकी प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

मूल उत्तर

१५--जी नहीं । श्री भट्टाचार्य ने दो कार्य-स्थगन प्रस्ताव नगरमहापालिका वाराणसी की बैठकों में रखे थे जो अस्वीकृत हो गये थे। वे प्रस्ताव पारित नहीं हुये। उनकी प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दीगयी है ।

संशोधित उत्तर

१५--श्री दुर्गादास भट्टाचार्य, सभासद, नगरमहापालिका, वाराणसी ने, दो कार्य-स्थगन प्रस्ताव क्रमशः दिनांक २६ सितम्बर, १९६० तथा २५ नवम्बर, १९६० को रखे थे। उनमें से पहले प्रस्ताव पर बहस हुई परन्तु कोई मतदान नहीं हुआ

दूसरा प्रस्ताव नगरप्रमुख द्वारा अनियमित करार दिया गया। उनकी प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है।

विचित्रनारायण शर्मा,
स्वायत्तशासन मंत्री।

श्री दुर्गादास भट्टाचार्य ने अपना कार्य-स्थगन प्रस्ताव उपस्थित करते हुये कहा कि महापालिका की धारा १७२ के अन्तर्गत कर लगाने का एक विशिष्ट रूप से प्रस्ताव लाना चाहिये था वह नहीं किया गया। बजट में केवल कर की दर स्वीकार की गयी अर्थात् निर्धारण की गयी। लगाना तथा निर्धारण करने में अन्तर है। महापालिका ने बिना प्रस्ताव पास किये ही १५ प्रतिशत कर की वसूली शुरू कर दी। महापालिका के सामने एक विशेष-रूप से प्रस्ताव आना चाहिये था किन्तु वह नहीं आया और वसूली शुरू हो गयी।

प्रस्ताव संख्या ३७२, दिनांक २५ नवम्बर, १९६०

श्री दुर्गादास भट्टाचार्य का कार्य-स्थगन प्रस्ताव:

"गत पुनरीक्षित बजट अधिवेशन के अन्तिम दिन, दिनांक १ नवम्बर, १९६० को मुख्य नगराधिकारी ने अधिनियम की धारा १७२ (१) में उल्लिखित करों के आरोपण आदि के सम्बन्ध में जो प्रस्ताव उपस्थित किया और मेरे वैधानिक आपत्ति उठाने तथा विरोध स्वरूप सभा त्याग करने के बावजूद भी उस पर जो विचार तथा निर्णय हुआ वह सर्वथा अवैधानिक है तथा नियम विरुद्ध है। अधिनियम के अनुसार मुख्य नगर अधिकारी को महापालिका में प्रस्ताव लाने का अधिकार नहीं प्राप्त है वरन् धारा १०१ (१) में स्पष्ट निषेध है। इस भयंकर वैधानिक भूल के कारण उत्पन्न परिस्थिति, मर्यादा भंग और भविष्य में सम्भावित कठिनाइयों तथा हानि को देखते हुये महापालिका निश्चय करती है कि अधिवेशन की कार्यवाही आधा घंटे के लिये स्थगित करके इस परिस्थिति पर विचार कर लिया जाय।"

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७३६ पर)

जिलेवार भूमि जो जानवरों के चरने हेतु छोड़ रखी गई है तथा जिसका सरकार द्वारा प्रबन्ध होता है

क्रम-संख्या	जिले का नाम	भूमि का क्षेत्रफल (एकड़ में)
१	अल्मोड़ा	४,४८,२७५.००
२	नैनीताल	६,९५,७२६.००
३	गढ़वाल	२,९०,२८१.००
४	पिथौरागढ़	६५,२८०.००
५	चमोली	२,६८,१६०.००
६	टेहरी	५,४४,०००.००
७	उत्तरकाशी	१०,६९,४४०.००
८	देहरादून	३,२७,२६०.००
९	मुरादाबाद	२५,६५३.००
१०	रामपुर	४,८००.००
११	बरेली	९९०.००
१२	बदायूं	९,९९९.००
१३	शाहजहांपुर	३३,५४१.००
१४	लखनऊ	६,५७७.००
१५	सीतापुर	११,४१३.८९
१६	हरदोई	२१,६३२.६३
१७	रायबरेली	७,५२३.००
१८	उन्नाव	३१,९३३.१७
१९	बाराबंकी	८,३७५.३५
२०	सुल्तानपुर	१,६०९.९८
२१	प्रतापगढ़	४४६.६७
२२	फैजाबाद	३,०५१.०८
२३	इलाहाबाद	३४,७९६.१६
२४	मिर्जापुर	६,०८,३९१.०४
२५	झांसी	१,४१,८१३.१२
२६	जालौन	५५,९००.१६
२७	बांदा	१,५२,१६०.६४
२८	हमीरपुर	६०,६५९.२०
२९	वाराणसी	१,८५,६००.००
३०	इटावा	३५,०७९.४३
३१	कानपुर	७,२०७.६५
३२	फतेहपुर	३,७१०.००
३३	फर्रुखाबाद	११,६११.८७
३४	आगरा	२३,०८०.६०

क्रम-संख्या	जिले कानाम	भूमि का क्षेत्रफल (एकड़ में)
३५	मथुरा	२२१.००
३६	मैनपुरी	८,४८१.०६
३७	बिजनौर	१,२६,२३४.६०
३८	अलीगढ़	३८१.५४
३६	बुलन्दशहर	१६,८७४.३७
४०	एटा	४१६.६७
४१	मेरठ	२०,०८७.६५
४२	मुजफ्फरनगर	२२,६४६.६३
४३	सहारनपुर	६७,१६०.००
४४	गोंडा	१,३८,४८८.००
४५	आजमगढ़	६३२.००
४६	गोरखपुर	७२,५६७.००
४७	देवरिया	३,०७४.००
४८	पीलीभीत	२७,२६८.००
४६	खीरी लखीमपुर	३,३६,६४०.००
५०	बहराइच	१,१७,३६०.१५

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४० का उत्तर पीछे पृष्ठ ७४७ पर)

No. 844-FI/XI-A-740-59

FROM

SRI D. P. ARYA,
UP SACHIV,
UTTAR PRADESH SHASAN,

NAGAR-PALIKA (KA) VIBHAG

TO

SRI ZAFAR HUSAIN KHAN,
MEMBER, MUNICIPAL BOARD,
TILHAR.

Dated Lucknow, June 28, 1962.

SIR,

I AM directed to say that, after a careful consideration of your explanation dated December 28, 1960, and further explanations, dated June 14, 1961 and July 17, 1961 in resepct of the charges levelled against you in G. O. no. 71-F/XI-A-740/1959, dated December 6, 1960, the Governor, having come to conclusion that you have so *flagrantly abused your* position as a member of Tilhar Municipal Board as to render your continuance as a member detrimental to public interest, is, in exercise of the powers under sub-section (3) of section 40 of the U. P. Municipalities Act, 1916 (U. P. Act II of 1916), pleased to remove you forthwith from the memership of the Board.

Yours faithfully,
D. P. ARYA,
Up Sachiv.

पी० एस० यू० पी०-ए० पी०—०१५३ एल० ए०—१९६२-८४५।